खण्ड-207, अंक-8
बुधवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(9 सितम्बर, 1959 ई0)

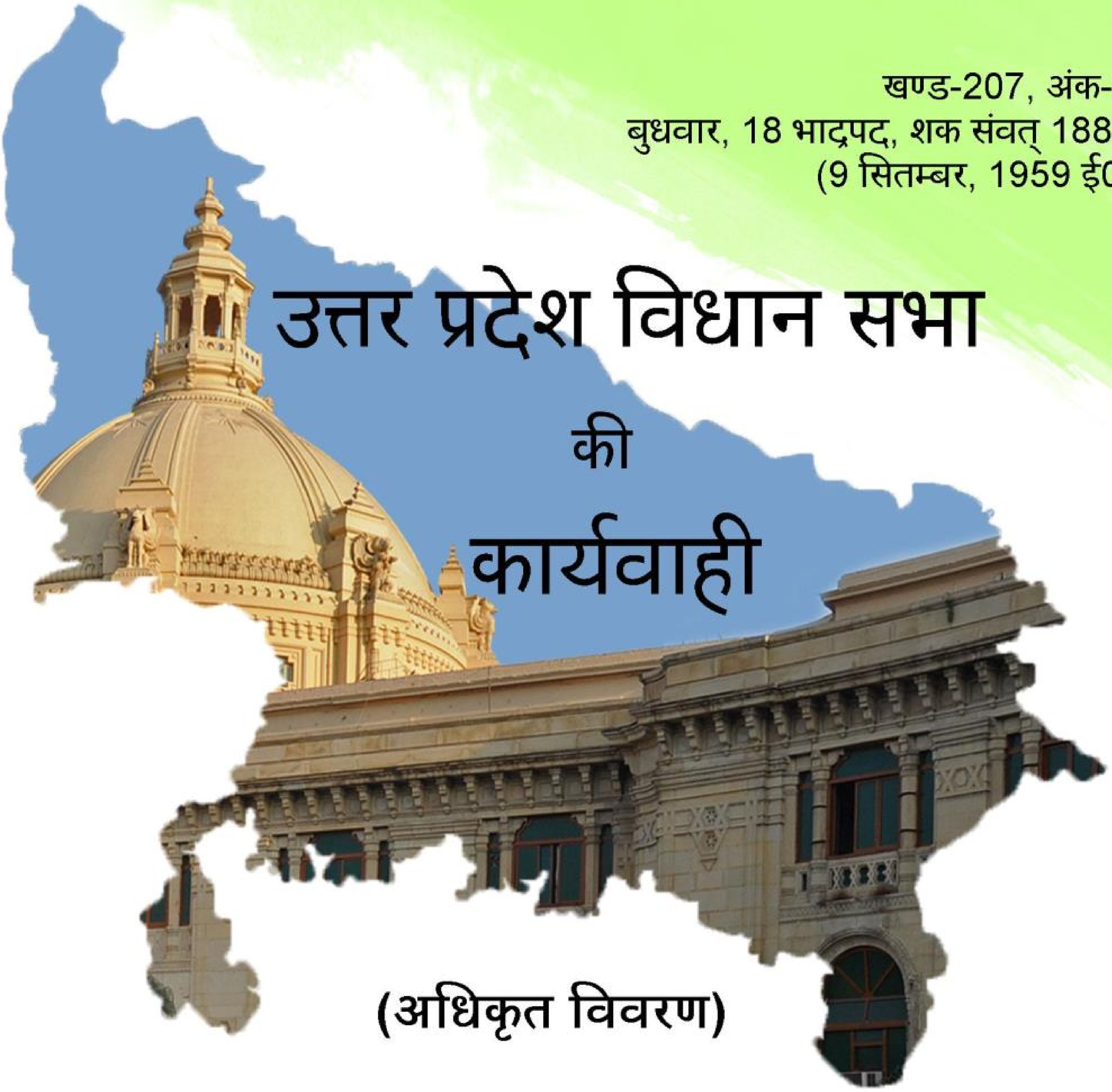

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

### उपस्थित सदस्य—३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह , श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह, विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर आचार्य,
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धर्नाराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पञ्जारराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामभूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

# प्रश्नोत्तर

---

## बुधवार, ९ सितम्बर, १९५९

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### लखनऊ में एक दुकान पर अनधिकृत गल्ला मिलना तथा आटे में मिलावट की शिकायत

**१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर), श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) तथा कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि अभी हाल में लखनऊ शहर में गौतम बुद्ध मार्ग पर एक ट्रक मैदे से भरी हुई पकड़ी गई तथा वहीं पर दो जनरल मर्चेन्ट्स की दूकानों में ५० मन से अधिक गेहूं बिना लाइसेन्स के पकड़ा गया है ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां, एक ट्रक, जिस पर मैदा लदा था, गौतम बुद्ध मार्ग पर मार्केटिंग इन्सपेक्टर द्वारा जांच करने के लिये रोकी गई और उसे ठीक पाने पर जाने दिया गया। गौतम बुद्ध मार्ग पर स्थित मित्रा जनरल स्टोर्स की भी जांच स्थानीय मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने की और ५० मन से अधिक गल्ला बिना लाइसेंस के पाने पर उस दूकानदार का चालान कर दिया गया है।

**२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री राजनारायण तथा कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि स्थानीय आटा मिल बावजूद सरकारी इंस्पेक्टरों की मौजूदगी के २५ प्रतिशत तक सरकारी गेहूं के आटे से मैदा निकाल रही है तथा उसका बचा हुआ चोकर आटे में मिलाया जाता है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

**३--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री राजनारायण तथा कुंवर श्रीपालसिंह--क्या यह सही है कि गल्ला व्यापार संघ के अधिकारी श्री विश्वम्भर दयाल अग्रवाल ने एक हफ्ते पहले खाद्य मंत्री से मुलाकात कर उन्हें चोकर मिले आटे के नमूने दिये ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं। आटे का कोई नमूना नहीं दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मैदा ट्रक में लदी हुई थी जब कि मैदा बनाना मिलों में बन्द है तो वह कहां से आई ? किस की थी और कहां जा रही थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैदा बनाना बिलकुल बन्द नहीं किया गया है बल्कि २,००० टन प्रति मास खास मौकों के लिये बनाई जाती है और यह २,००० टन वितरित की जाती है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--यह मिलें जो सरकार के लिये गेहूं पीसती हैं और गेहूं से मैदा बनाकर चोकर निकालती हैं और मैदा का ब्लेक करती हैं तो क्या इस को सूचना मानकर मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जहां तक मिलों का ताल्लुक है उन को हम ने सील कर दिया है और उस की रोज ३-४ बार चेकिंग होती है और वह किसी तरह से भी काम नहीं कर सकतीं, इतना जरूर मुझे भी मालूम पड़ता है कि कुछ मैदा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और दूकानदार ने यही कहकर अपने को बचा लिया कि वह एक स्टाक से मैदा दूसरे स्टाक को ले जा रहा था, उसकी नियत पर सन्देह जरूर है लेकिन चूंकि अभी तक एक स्टाक से दूसरे स्टाक को ले जाने की इजाजत की जरूरत नहीं थी इसलिये कुछ किया नहीं जा सकता था और कानूनी कार्यवाही करने में हम असमर्थ हैं लेकिन भविष्य के लिये हम इस तरह के आदेश दे रहे हैं कि स्टाक बदलने के लिये भी इजाजत ली जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो उत्तर में कहा कि मिलों को सील कर दिया गया है और दिन में ४ बार उन की जांच कराई जाती है तो यह जांच किस के द्वारा कराई जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उसको एक गजटेड आफिसर, डिप्टी आर० एम० ओ० देखते हैं। हम ने केवल मैदा बनाने वाली मशीन को सील किया है, जिस दिन उसको चलाने की इजाजत देते हैं तो उस का रिकार्ड हो जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--एक सप्ताह पूर्व श्री विश्वम्भर दयाल जी खाद्य व्यापार संघ की ओर से मंत्री जी से मिले थे तो क्या उन्होंने मंत्री जी से यह संकेत नहीं किया था कि चोकर मिला हुआ आटा आता है और यदि यह शिकायत उन्होंने नहीं की तो क्या शिकायत थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उन्होंने कहा था कि मोटे किस्म का आटा है, चूंकि जो बारीक पीसते हैं वह मैदा वाला होता है और उसी को सील कर दिया गया है इसलिये जरा मोटा पिसा आ रहा है और ऐसा मालूम होता है कि उस में चोकर मिला है।

**श्री राजनारायण**—जब श्री विश्वम्भर दयाल अग्रवाल ने सरकार को जानकारी कराई कि आटा मोटा आ रहा है और ऐसा मालूम होता है कि उस में चोकर मिली हुई है तो उस के बाद इस शिकायत को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—इसकी पूरी-पूरी जांच कराई और यह मालूम हुआ कि आटे में कोई खराबी नहीं है बल्कि स्वास्थ्य-वर्द्धक है जिसको खाकर आदमी खूब मोटे हो सकते हैं।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उस आटे को फूड लेबोरेटरी में भी जांच करवाया था कि खराब नहीं है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—लेबोरेटरी में जांच कराने की आवश्यकता नहीं थी ? चख कर देख लिया।

**कुंवर श्रीपालसिंह**—मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने जांच की और सही पाया इसलिये छोड़ दिया। तो मंत्री जी बतायेंगे कि मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने किस बात की जांच की और कौन-सी चीज सही पाई ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—जांच इस बात की की कि यहां से अनधिकृत तरीके पर कहीं बाहर तो नहीं ले जा रहे हैं और उससे मालूम हुआ कि एक गोदाम से दूसरे गोदाम में रखने के लिये ले जा रहे थे।

**श्री राजनारायण**—मंत्री जी बताएंगे कि जिन जनरल मर्चेन्ट्स की दूकानों पर ५० मन से अधिक गेहूं बिना लाइसेंस के पाया गया उनके ऊपर क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चोकर मिला हुआ आटा स्वास्थ्य के लिये क्या ज्यादा हितकर है ?

**श्री अध्यक्ष**—आप खाकर देखें तो स्वयं पता लग जाएगा।

**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—मंत्री जी बताएंगे कि यह जो ५० मन से अधिक गल्ला दूकानों पर पाया गया वह कहां से आया ? क्या सरकारी दुकानों का था ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**—यह तो लाइसेंस्ड डीलर्स जो होते हैं वह रखते हैं। जो कोई भी, फ्री मार्केट से भी, ५० मन से ऊपर रखता है उसको लाइसेंस लेना लाजमी है। इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था।

## सूचना विभाग से लेखकों को पारिश्रमिक देना

**४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सूचना विभाग की ओर से सार्वजनिक हित में सरकारी दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के हेतु समाचार-पत्र, पत्रिकाओं में लेख एवं संबाद पत्र लिखने के लिये लेखकों को कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है ?

**गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—विभागीय पत्र-पत्रिकाओं में लेख आदि लिखन के लिये लेखकों को पारिश्रमिक दिया जाता है।

**५—श्री गौरीशंकर राय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस मद में निम्नलिखित अवधि में कितने रुपये व्यय हुए :

(क) १९५८-५९ ?

(ख) १-४-५९ से ३०-८-५९ तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) सन् १९५८-५९ में २१,२९५ रु० ८० न० पै० तथा,

(ख) १-४-५९ से ३०-८-५९ तक १०,०८५ रु० ८० न० पै०।

श्री गौरीशंकर राय—मंत्री जी बताएंगे कि विभागीय पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त दूसरी पत्र-पत्रिकाओं में भी लिखने के लिये पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, पहले कुछ वर्ष तक कदाचित इसकी व्यवस्था थी कि लेखकों से लेख लिखाते थे और उसका पारिश्रमिक उनको देते थे। सूचना विभाग की ओर से वह लेख पत्र-पत्रिकाओं में भेज दिये जाते थे छपने के लिये।

श्री गौरीशंकरराय—मंत्री जी बतायेंगे कि इन्सपायर्ड पब्लिसिटी या प्रेरित प्रचार का जो कार्यक्रम था वह अब है या समाप्त हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन्सपायर्ड पब्लिसिटी क्या चीज है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की पब्लिसिटी कराते थे कि लेखकों से लेख विभिन्न विषयों के ऊपर लिखाते थे। वह अपनी पत्र-पत्रिकाओं में छापते थे और ऐसे लेख भी लिखाते थे जिन्हें दूसरी पत्र-पत्रिकाओं को भेजते थे। वह छापना चाहें तो छापें और न चाहें तो न छापें। गत वर्ष तक यह व्यवस्था थी, अब नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों को पारिश्रमिक दिया जाता है उनमें क्या कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि ऐसा नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह कालम के हिसाब से दिया जाता है या लेखों के अच्छे और बुरे हिसाब से या किस हिसाब से दिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कई प्रकार से दिया जाता है। कालम के हिसाब से भी दिया जाता है। ऐसे लेखक भी हैं जिनकी लेखक होने के नाते जो हैसियत है उसके हिसाब से भी दिया जाता है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि लेख सरकारी अधिकारी लिखते हैं और नाम किसी और का दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—आप इसका कोई उदाहरण दें, अन्यथा यह आक्षेप है।

श्री रामायणराय—मान्यवर, आक्षेप नहीं है, ऐसा कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष—आप उनसे पूछें कोई ऐसी शिकायत उनके पास आयी भी है ?

श्री रामायणराय—मंत्री जी के पास इस तरह की कोई शिकायत आयी है कि लेख किसी अधिकारी ने लिखा और नाम किसी सार्वजनिक आदमी का दे दिया ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--मुझे इसकी सूचना नहीं है। पर यदि कोई लेखक महोदय किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखे हुए लेख पर अपना नाम छपवाने के लिये तैयार हो जायं, जैसें कोई लेख मेरा हो और उसपर माननीय सदस्य अपना नाम देने को तैयार हो जांय, तो उसमें क्या आपत्ति है ?

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसकी भी कोई सीलिंग है ? यदि है, तो क्या है प्रति लेख ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--इसकी तफसील के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इस समय मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कोई निर्धारित सीलिंग है नहीं क्योंकि योग्यता और लेखक होने के नाते जो हैसियत हो जाती है कुछ लेखकों की, जैसे माननीय पालीवाल जी स्वयं हैं, तो उसकी कोई भी सीलिंग नहीं है।

**श्री उग्रसेन**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १९५७ में सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह चल रहा था तो उसके विरोध में एक लेख लिखा गया था और किसी अखबार में छपा था और उसका पेमेन्ट सूचना विभाग से हुआ था ?

**श्री अध्यक्ष**--इसके लिये आप अलग से प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा है।

**श्री राजनारायण**--क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जनहित की दृष्टि से सरकारी नीति का स्पष्टीकरण करने के लिये जिन लोगों से लेख लिखवाये जाते हैं उन लेखों को अन्तिम रूप में स्वीकृति कौन देता है और उसकी क्या योग्यता है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--लेख तो भिन्न-भिन्न लेखकों से लिखवाये जाते हैं और जिन पत्रों में छपते हैं उनके सम्पादक हैं वही उसकी स्वीकृति देते हैं और तब छपते हैं।

**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या मंत्री जी उन पत्र-पत्रिकाओं के नाम बतायेंगे जिनमें सूचना विभाग की ओर से सरकारी नीति को स्पष्ट करने के लेख छपाये जाते हैं ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--इस प्रकार के जो लेख लिखाये जाते हैं प्रायः सभी बड़े-बड़े पत्रों में भेजे जाते हैं। अंग्रेजी के लेख अंग्रेजी के पत्रों में और हिन्दी के लेख हिन्दी के पत्रों में भेजे जाते हैं।

## तारांकित प्रश्न

### पंचायत निरीक्षकों के चुनाव में अनियमितता की शिकायत

*१--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--स्थानाभाव पंचायत निरीक्षकों का साक्षात्कार करने के सम्बन्ध में १७ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन में पंचायत निरीक्षकों का साक्षात्कार उक्त तिथि पर किया गया उसमें कितने लोगों को सर्विस अर्थात् पंचायत निरीक्षक पद का अनुभव निम्न प्रकार था --

(१) छः वर्ष या इससे अधिक,
(२) पांच वर्ष या इससे कुछ अधिक,
(३) चार वर्ष या इससे कुछ अधिक,
(४) तीन वर्ष या इससे कुछ अधिक,
(५) दो वर्ष या इससे कुछ अधिक,
(६) एक वर्ष या इससे कुछ अधिक,
(७) एक वर्ष से कम ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--मांगी गई सूचना निम्नलिखित है :--

| अनुभव | संख्या |
|---|---|
| ६ वर्ष या इससे अधिक .. .. .. | ४ |
| ५ वर्ष या इससे अधिक परन्तु ६ वर्ष से कम .. .. | २ |
| ४ वर्ष या इससे अधिक परन्तु ५ वर्ष से कम .. .. | ८ |
| ३ वर्ष या इससे अधिक परन्तु ४ वर्ष से कम .. .. | २८ |
| २ वर्ष या इससे अधिक परन्तु ३ वर्ष से कम .. .. | २६ |
| १ वर्ष या इससे अधिक परन्तु २ वर्ष से कम .. .. | ५० |
| १ वर्ष से कम .. .. .. .. | २८ |

*२--श्री मुक्तिनाथराय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त साक्षात्कार में कुल कितने व्यक्ति सम्मिलित हुये थे और साक्षात्कार के परिणाम-स्वरूप कितने व्यक्ति पंचायत निरीक्षक पदों पर नियुक्त किये गये ?

श्री जयराम वर्मा--उक्त साक्षात्कार में कुल १४६ व्यक्ति सम्मिलित हुये थे उनमें से ५३ व्यक्ति पंचायत निरीक्षक पदों पर नियुक्त किये गये ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ६ वर्ष या इससे अधिक समय तक काम करने वाले एक भी व्यक्ति चुनाव में नहीं लिये गये और १ या २ वर्ष से कम अनुभव वाले २२ व्यक्ति लिये गये ? तो इस अनियमितता का क्या कारण है ?

श्री जयराय वर्मा--इंटरव्यू किया गया और बहुत-सी बातें देखी गईं । उसमें जिनके मार्क्स ज्यादा आये, वह लिये गये ।

श्री मुक्तिनाथराय--मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त साक्षात्कार के निमित्त जो सेलेक्शन बोर्ड बना था उसके कौन-कौन सदस्य थे ?

श्री जयराम वर्मा--उस बोर्ड में तीन सदस्य थे । एक तो डायरेक्टर थे और दो और विभाग के पदाधिकारी थे ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि शासकीय आदेश संख्या १५७१/२-बी--५०-१९५५, दिनांक लखनऊ, मई, १९५६ जिसमें कहा गया है कि--

"The candidates will be interviewed by the Selection Committee consisting of :

(1) A representative of the Public Service Commission who will preside over the Committee.

(2) The Head of the Department or the appointing authority or Secretary to Government as the case may be.

(3) One more senior officer of the department whom the appointing authority or Government may wish to nominate."

का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--यह तो चुनाव विभाग द्वारा हुआ है ।

**श्री धनुषधारी पांडेय** ( जिला बस्ती )--क्या सरकार बतलायेगी कि जब लिस्ट ११२ कैंडिडेट्स की बनायी गयी तो उसके बाद ५ कैंडिडेट्स क्यों बढ़ा दिय गये ?

**श्री जयराम वर्मा**--कोई संख्या बढ़ाई नहीं गयी। जो संख्या थी, वही है।

**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार के पास ऐसी शिकायत या शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जो लोग कम वर्ष के भी अनुभवी थे उनको ले लिया गया और जो अधिक वर्ष ६-५-४ के अनुभवी थे उनको नहीं लिया गया ? ऐसा हुआ, तो क्यों ?

**श्री जयराम वर्मा**--साक्षात्कार हुआ, उसमें उनकी योग्यता, काम और विकास कार्यों में जो काम किया था, वह सब देखा गया और जिसके नम्बर ज्यादा आये उसको लिया गया।

**श्री उग्रसेन**--उनका चुनाव सीनियारिटी के आधार पर क्यों नहीं किया गया ?

**श्री अध्यक्ष**--यह तो बहस है। उन्होंने बतला दिया है जिस आधार पर किया गया।

**श्री मुक्तिनाथराय**--जो चुनाव जुलाई, ५८ में हुआ था उसमें पहले ११२ व्यक्तियों की लिस्ट थी। बाद में ५ व्यक्ति, जैसे १४ अ, १६ अ वगैरह पर और बढ़ा कर उसे ११७ की लिस्ट बनाई गयी और १४ अ व १६ अ को जिनकी सर्विस केवल ६ महीने या साल भर की थी उनको लिया गया और शेष व्यक्तियों को नहीं लिया गया ?

**श्री जयराम वर्मा**--१४६ व्यक्ति बुलाये गये थे और वे लोग वही थे जो उस समय या तो स्थानापन्न निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे या उससे पहले कहीं काम कर चुके थे और सबका इटरव्यू उसमें हुआ।

**श्री मुक्तिनाथराय**--जुलाई, ५८ में जो चुनाव हुआ था उसमें १४ अ और १६ अपर जो व्यक्ति लिये गये थे वे विभाग में कार्य कर रहे थे या नये थे और उनकी सर्विस क्या थी ?

**श्री जयराम वर्मा**--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

## औद्योगिक गृह निर्माण योजना

*३--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रचलित है ?

**श्री जयराम वर्मा**--सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में प्रचलित है--

(१) कानपुर, (२) लखनऊ, (३) आगरा, (४) प्रयाग, (५) मिर्जापुर, (६) सहारनपुर, (७) बरेली, (८) मेरठ, (९) रामपुर, (१०) गोरखपुर, (११) अलीगढ़, (१२) वाराणसी, (१३) मैनपुरी।

*४--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कितने औद्योगिक गृहों का निर्माण किन-किन जिलों में हो चुका है ?

**श्री जयराम वर्मा**--उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक २०,६१८ मकान निम्न जिलों में बन चुके हैं :--

| | | |
|---|---|---|
| (१) | कानपुर .. .. .. .. | १४,८०४ |
| (२) | लखनऊ .. .. .. .. | १,०४६ |
| (३) | आगरा .. .. .. .. | २,२९६ |
| (४) | प्रयाग .. .. .. .. | ७२० |
| (५) | मिर्जापुर .. .. .. .. | ९६ |
| (६) | सहारनपुर .. .. .. .. | ७९२ |
| (७) | मेरठ .. .. .. .. | १२० |
| (८) | बरेली .. .. .. .. | ८४ |
| (९) | रामपुर .. .. .. .. | ३३६ |
| (१०) | गोरखपुर .. .. .. .. | १०८ |
| (११) | अलीगढ़ .. .. .. .. | २१६ |
| | योग .. | २०,६१८ |

**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में भारत सरकार भी सहायता देती हैं ? यदि हां, तो वह सहायता किस प्रकार की है, आर्थिक है या टेक्निकल तथा उसकी मुख्य-मुख्य शर्तें क्या है ?

**श्री जयराम वर्मा**--केन्द्रीय सरकार से बतौर कर्ज के रुपया मिलता है।

**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी और मैनपुरी जिलों के अन्तर्गत एक भी मकान न बनवाये जाने का क्या कारण है ?

**श्री जयराम वर्मा**--ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने इसके लिए रुपया नहीं मांगा।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न में उन्होंने औद्योगिक गृहों के बनने की जो सूची दी है उसमें औद्योगिक गृहों के माने क्या हैं ? क्या उनका मतलब उन गृहों से है जिनमें उद्योग-धधे खोले जायेंगे या उनसे है जो उद्योगों में लगे हुये श्रमिकों के रहने के लिये बनाये जाते हैं ?

**श्री जयराम वर्मा**--उद्योगों में लगे हुये श्रमिकों के लिये होते हैं।

**श्री जगदीशप्रसाद**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत कुछ और जिलों में गृह निर्माण कराने का विचार है ?

**श्री जयराम वर्मा**--अभी तो नहीं।

**श्री राजनारायण**--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक गृह निर्माण के लिये जितना रुपया दिया था वह सबका सब रुपया गृह-निर्माण के काम में न लगा कर दूसरे कामों में खर्च किया गया है ?

**श्री जयराम वर्मा**--जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---इस पंचवर्षीय योजना में कितने मकान बनने का लक्ष्य था और उसमें जो मकान नहीं बन पाये उनके न बनने का क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा---इसमें २०,६९० मकान बनने थे और २०,६१८ बन चुके हैं। सिर्फ ७२ मकान बाकी हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन औद्योगिक गृहों में राज्य सरकार के कोष स कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री जयराम वर्मा---कुल मकानों के लिये ६,८८,७६,५६० रुपया खर्च होना था जिसमें से ७२ मकान का बाकी रह गया।

श्री राजनारायण---सरकार ने अभी कहा कि वाराणसी जिले की तरफ से औद्योगिक गृहों के लिये रुपया नहीं मांगा गया था, तो सरकार का यह उत्तर किस आधार पर हुआ और वह कौन सी संस्था है जो श्रमिक गृहों के लिये रुपया मांगती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, पहले जो चार साल की योजना थी उसमें नहीं मांगा लेकिन बाद में १९२ मकान वहां पर बने हैं।

श्री अध्यक्ष---वे यह जानना चाहते हैं कि कौन-सी संस्था रुपया मांगती है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हम लोग डायरेक्टली म्युनिसिपल बोर्ड से डील करते हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को अब यह स्पष्ट है कि वाराणसी नगरपालिका की ओर से औद्योगिक गृहों के लिये रुपया मांगा गया था और यदि हां, तो कितना रुपया मांगा गया था ?

श्री जयराम वर्मा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में औद्योगिक गृह निर्माण के लिये कोई रकम दी गयी थी और वहां अभी तक कोई भी औद्योगिक गृह नहीं बना ?

श्री अध्यक्ष---बरेली का तो बता दिया कि वहां ८४ बने। आप शाहजहांपुर का तो नहीं पूछ रहे हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय---बरेली में जितनी रकम दी गयी थी वह पूरी खर्च नहीं हुई है और कुछ अभी शेष है ?

श्री जयराम वर्मा---८४ मकान बन चुके हैं और इसकी सूचना नहीं है कि कुछ रुपया बाकी रह गया है।

## कानपुर म्युनिसिपल तथा विकास बोर्डों में हरिजनों की नियुक्ति

*५- श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कानपुर विकास बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड में मार्च, १९५७ से अब तक कितने कर्मचारी प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त किये गये ? उनमें से कितने हरिजन हैं ?

**श्री जयराम वर्मा**—कानपुर विकास बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड में मार्च, १९५७ से अब तक (३१ जुलाई, १९५९ तक) जितने कर्मचारी प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त किये गए हैं तथा उनमें जितने हरिजन हैं, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

| श्रेणी | नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या | नियुक्त हरिजन कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| मिनिस्टीरियल सेवा .. .. .. | ८८ | १३ |
| रेवेन्यू सेवा .. .. .. | २० | २ |
| सार्वजनिक निर्माण सेवा .. .. .. | ९ | १ |
| जलकल एवं मैकेनिकल इन्जीनियरिंग सेवा .. | ४५ | १० |
| शिक्षा सेवा .. .. .. | ७३९ | १८ |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा .. .. | २८३ | २११ |
| नगरपालिका वर्कशाप सेवा .. .. | १०२ | ८७ |
| कानपुर नगर परिवहन सेवा .. .. | ३६ | २ |
| निम्न श्रेणी कर्मचारी .. .. .. | ३९५ | २७ |
| योग .. .. | १,७१७ | ३७१ |

**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन पदों पर नियुक्तियां अनुपात से पूरी नहीं हुई हैं तो इस समय जो नियुक्तियां रेवेन्यू इंसपेक्टर तथा कल्कों में होने जा रही हैं उनमें उनका कोटा पूरा करने के लिये विचार करेंगे ?

**श्री जयराम वर्मा**—रेवेन्यू सेवा में तो २० में से २ हैं और यहां पर संरक्षण पूरा है इसलिये इसके लिये सवाल पैदा नहीं होता है ।

**श्री राजनारायण**—जब २० में से दो ही हैं तो किस आधार पर उनका कोटा पूरा है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—श्रीमन्, सब में मिलाकर उनका २१.५९ प्रतिशत कोटा है । इसमें कहीं ज्यादा है और कहीं कम है ।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कर्मचारी म्युनिसिपल बोर्ड तथा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती किये गये हैं उनके लिये एडवरटाइजमेंट किया गया था या नहीं ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—श्रीमन्, यह तो कई वर्षों का हिसाब है, सबकी सूचना कैसे दे सकता हूं ।

## बहराइच नगरपालिका का सीमा बदलने के लिए अनुरोध तथा अध्यक्ष का त्यागपत्र

*६—**श्री सैयद जरगाम हैदर** (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—इस विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं है । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*७—श्री सैयद जरगाम हैदर (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बहराइच ने अपनी सीमा बदलने के लिये अनुरोध किया था। यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, उस पर विचार करने के उपरान्त सरकार ने इस मामले को फिलहाल मुल्तवी कर दिया है।

*८—श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

## बरेली जेल के लिए खरीदी ऊन में खराबी

*१०—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०-५१ में करीब छः हजार रुपया की ऊन की खरीद बरेली जेल के लिये असिस्टेन्ट डाइरेक्टर आफ जेल इंडस्ट्रीज द्वारा की गई थी ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं।

*११—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार को विदित है कि जो ऊन खरीद की गई उसमें करीब ४० प्रतिशत ऊन खराब निकली ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सन् १९५०-५१ में बरेली जेल के लिये खरीदी गई ऊन केवल १० प्रतिशत खराब निकली जिसका मूल्य ५९९ रु० ४ आना था। इसमें से ४०० रु० ठेकेदार से वसूल हो पाये। शेष रकम राइट आफ कर दी गई।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो ऊन खरीदी गयी है उनके लिये क्या मंत्री जी ने टेंडर मांगें थे ? यदि हां, तो हाईऐस्ट और लोएस्ट टेंडर क्या थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मंत्री जी ने कोई टेन्डर नहीं मागें, लेकिन सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मांगें थे और लोऐस्ट ८५ रुपये मन था।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि १० प्रतिशत ऊन खराब निकली और ४०० रुपया ही वसूल हुआ तो बकाया रुपया क्यों नहीं वसूल हो सका ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—५९९ रुपये ४ आने का नुकसान हुआ था। कोशिश की गई कि सभी वसूल हो जाय लेकिन ४०० रुपये ही वसूल हुये। बाकी रुपया वसूल नहीं हो पाया।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ऊन कहां से खरीदी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह ऊन जो खरीदी गयी, किसके द्वारा खरीदी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एक ठेकेदार के द्वारा खरीदी गयी। नाम तो नहीं है, मर पास ?

**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ठेकेदार से पूरा रुपया नहीं वसूल हो सका इसलिये सरकार को वह रुपया राइट आफ करना पड़ा, तो क्या ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—इस समय इस की सूचना नहीं है ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस प्रकार के जो ठेके दिये जाते हैं उनमें कंट्रेक्टर से कोई सीक्योरिटी मनी ले लिया जाता है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—आम तौर से शायद कुछ ऐसा होता हो लेकिन चूंकि ऊन मिली नहीं थी, तो बाजार से उसके टेंडर्स लिये गये । १०० मन ऊन लेने की बात थी लेकिन ठेकेदार ने केवल ७० मन २० सेर ऊन सप्लाई की । यह मुझे नहीं मालूम कि सीक्योरिटी ली गयी या नहीं । इसका पूरा विवरण नहीं है ।

**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह दस परसेंट जो ऊन खराब निकली इसकी सरकार ने किस अधिकारी द्वारा जांच करायी ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—जेल के अधिकारियों ने की ।

## फरार कैदियों की गिरफ्तारी

*१२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ११ अगस्त, १९५९ को गोंडा जेल से फूलचन्द नामक कैदी जेल से भाग गया ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—११ अगस्त, १९५९ को कोई कैदी गोंडा जेल से नहीं भागा, बल्कि उस जेल से फूल चन्द नाम का कैदी १० अगस्त, १९५९ को भागा था ।

*१३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में जनवरी, १९५८ से ३ अगस्त, १९५९ तक कितने कैदी जेल से फरार होकर भाग गये और उसमें से किन-किन जेलों के पुनः पकड़े गये ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—जनवरी, १९५८ से अगस्त, १९५९ तक कुल ३३ कैदी जेलों से भागे और उनमें से १४ कैदी पुनः पकड़ लिये गये । पुनः पकड़े गये कैदियों के विषय में जेलोंवार सूचना इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| सम्पूर्णानन्द कैम्प, धुर्मा मारकुन्डी, मिर्जापुर .. .. | २ |
| सम्पूर्णानन्द कैम्प, नानकसागर .. .. .. | ३ |
| जिला कारागार, शाहजहांपुर .. .. .. | १ |
| जिला कारागार, टेहरी .. .. .. | १ |
| जिला कारागार, बाराणसी .. .. .. | १ |
| जिला कारागार, अलीगढ़ .. .. .. | १ |
| जिला कारागार, बरेली .. .. .. | १ |
| जिला कारागार, रायबरेली .. .. .. | १ |
| केन्द्रीय कारागार बरेली .. .. .. | ३ |
| योग .. | १४ |

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि फूलचन्द नामक जो कैदी १० तारीख को भागा था उसको कितने दिन की सजा थी ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---यह सूचना तो मेरे पास इस समय नहीं है कि उसको कितनी सजा थी ।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो १९ कैदी अभी तक नहीं पकड़े गये हैं वह किन जेलों के थे ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---इसका तो विवरण मेरे पास नहीं है । वैसे मैं इतना बतला सकता हूं कि किस जेल से कितने भागे और जो भागे उनमें से कितने पकड़े गये, अगर इसकी इच्छा हो माननीय सदस्य को ।

**श्री राजनारायण**---क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि प्रदेश में कुल १४ कैदी जेल से भागे, उसमें सम्पूर्णानन्द कैम्प से पांच भागे हैं तो सम्पूर्णानन्द कैम्प से कैदियों के भागने की तादाद अधिक क्यों हुई ?

**श्री अध्यक्ष**---यह जो आपने १४ कहा, यह गलत कहा । उन्होंने कहा था कि १४ कैदी पुनः पकड़ लिये गये ।

**श्री राजनारायण**---क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि किसी जेल से एक, किसी जेल से दो कैदी भागे लेकिन सम्पूर्णानन्द कैम्प से पांच कैदी भागे हैं तो सम्पूर्णानन्द कैम्प, जो आदर्श कैम्प है, उससे कैदियों को भागने में क्यों आसानी हो रही है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---यह भागने वालों की संख्या नहीं है, यह तो पकड़े जाने वालों की संख्या है जिनका जिक्र किया है । यह एक ओपिन कैम्प है वहां से कुछ भाग गये । ऐसी बात हमको स्वीकार करनी चाहिये ।

**श्री राजनारायण**---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि उस कैम्प में पकड़े गये कैदियों की संख्या ५ है तो भागने वाले कुल कितने हैं ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---सम्पूर्णानन्द नानकसागर कैम्प १६, और सम्पूर्णानन्द कैम्प मारकुन्डी, मिर्जापुर २ ।

**श्री राजनारायण**---अब क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि सम्पूर्णानन्द कैम्प नानकसागर से जो १६ कैदी भागे, तो ऐसा क्यों हुआ ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---हजारों कैदी खुले हुये स्थान में कार्य करते हैं और प्रायः सभी खुले हुये रहते हैं । एक बहुत बड़ा परीक्षण है । उसमें यह सम्भव है कि कुछ कैदी भागे हों । उनमें से कुछ लोग पकड़ लिये जाते हैं । कुछ भागकर यहां आजाते हैं और शिकायत करते हैं कि जो काम वह करते हैं उससे दूसरा काम उनको दिया जाय ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सम्पूर्णानन्द शिविर से जो १८ कैदी भागे, उसमें से केवल ५ क्यों पकड़े गये बाकी १३ क्यों नहीं पकड़े गये ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---इसका कारण स्पष्ट है जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया ।

**श्री प्रतापसिंह**---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि नानकसागर कैम्प, जिला नैनीताल से जो कैदी भागे, वह इसलिये भागे हैं कि वहां पर जो अधिकारी हैं वे उनसे जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---इसके बिलकुल उल्टा है । आमतौर पर जितने वे लोग वहां पर काम करते हैं वह सवेतन काम करते हैं उसके लिये उनको मजदूरी मिलती है ।

**कुंवर श्रीपालसिंह**--माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि भागकर कैदी यहां चले आते हैं और १८ भागे हुये कैदियों में ५ पकड़े गये तो जो नहीं पकड़े गये उनमें से कितने यहां भागकर चले आये ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--एक कैदी यहां आया था। वह भी जहां तक मुझे याद है फिर उसके बाद वापस चला गया ।

**श्री अध्यक्ष**--आपका मतलब यह तो नहीं है कि वह सदन में आ गया था ?

( हंसी )

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--इसका मुझे ज्ञान नहीं है, उधर बैठने वाले सदस्य जानते होंगे।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--इस बात को देखते हुये कि सम्पूर्णानन्द कैम्प में ज्यादा तादाद भागने वालों की है तो क्या माननीय मंत्री जी इस योजना पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--जी नहीं, बल्कि इसके बिलकुल विपरीत योजना यह है कि इसको और बढ़ाया जाय। सरकार ऐसा समझती है कि ऐसी योजना विस्तारपूर्वक चलाई जाय ।

**श्री राजनारायण**--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पूर्णानन्द कैम्प, मिर्जापुर के सम्बन्ध में, और दूसरे कैम्पों के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायत उसको मिली है कि वहां कैदियों के खाने की अव्यवस्था है, रहने की अव्यवस्था है, पानी की अव्यवस्था है और रोशनी की अव्यवस्था है, दवा की अव्यवस्था है, और उन्हीं अव्यवस्थाओं का समुच्चय उन लोगों को वहां से भागने में सहायक हो रहा है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--यह बिलकुल गलत बात है। आज तक इसके सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं मिली।

**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या मंत्री माननीय जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न संख्या में ये कैदी भागे हैं तो इसका क्या कारण है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--भागने के कारण तो अलग-अलग हैं। कहीं पर वह अपने कैम्प से भाग गये हैं, कहीं अवसर मिलने पर भाग गये। प्रत्येक कैदी के भागने का एक ही कारण होना संभव नहीं है ।

## लखनऊ कमिश्नरी में बन्दीगृह निरीक्षक

*१४--**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)--क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कमिश्नरी में जिलेवार कौन शासकीय व्यक्ति बन्दी गृह निरीक्षक नियुक्त हुये हैं ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के पैराग्राफ ६६७ में जो अधिकारी बंदीगृहों के निरीक्षक निर्धारित हैं, उनके अलावा लखनऊ कमिश्नरी के लिये कोई नई नियुक्ति नहीं की गई ।

## हाईकोर्ट द्वारा पंचायत निरीक्षक व मंत्रियों की बहाली

*१५--**श्री मुक्तिनाथ राय**--वर्तमान सत्र के २८ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेश संख्या ३२१९/२-बी--१७८-१९५८, दिनांक १३ अक्तूबर, १९५८, की प्रतिलिपि जो संचालक, पंचायत राज/उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को ६ नवम्बर, १९५८ को भेजी गई थी, वह क्या है ? क्या सरकार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री जयराम वर्मा**--वांछित शासकीय आदेश संख्या ३२१९/२ वीं--१७८-१९५८ दिनांक १३ अक्तूबर, १९५८ नियुक्ति (ख) विभाग द्वारा प्रसारित किया गया था। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ--७१५--पर)

**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह आदेश उन अधिकारियों पर भी लागू होता है जो पंचायत के मंत्रियों को गलत ढंग से निलंबह या सेवा मुक्ति का आदेश देते हैं ?

**श्री जयराम वर्मा**--यह सब पर लागू होता है ।

*१६--१७--**श्री प्रतापसिंह**--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये ।]

## आजमगढ़ नगरपालिका पर ऋण का बकाया

*१८--**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन १९५० से आज तक आजमगढ़ नगरपालिका को प्रतिवर्ष कितना रुपया सरकार ने अनुदान या कर्ज के रूप में दिया है और इस समय उपरोक्त नगरपालिका पर कितना रुपया कर्ज का बकाया है ?

**श्री जयराम वर्मा**--नगरपालिका आजमगढ़ को सन् १९५० से आज तक प्रतिवर्ष निम्नलिखित धनराशियां अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई है :--

| वर्ष | अनुदान | ऋण |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| १९४९--५० | .. | १३,२०० |
| १९५०--५१ | ४४८ | .. |
| १९५१--५२ | २५,००० | .. |
| १९५२--५३ | .. | .. |
| १९५३--५४ | ४५,००० | .. |
| १९५४--५५ | १९,१०० | १,१०,००० |
| १९५५--५६ | ४५,९०० | ४,३३,६०० |
| १९५६--५७ | .. | १९,६०० |
| १९५७--५८ | २२,८०० | .. |
| १९५८--५९ | ८०० | ३६,८०० |

इस समय नगरपालिका पर सरकार के कुल ५,५५,८०७ रुपये १९ नये पैसे कर्ज के बाकी हैं।

**श्री चन्द्रजीत यादव**--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका को जो यह ऋण दिया गया है, कितनी अवधि में सरकार इसको वसूल करना चाहती है ?

**श्री जयराम वर्मा**--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**--आजमगढ़ नगरपालिका को जो ५,५५,८०७ रुपये १९ नये पैसे की धनराशि दी गयी है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आय कम है और उस पर बहुत बड़ा कर्ज है सरकार उसका कुछ हिस्सा राइट आफ़ करने का विचार कर रही है ?

**श्री जयराम वर्मा**--जी नहीं ।

**श्री झारखंडेराय**---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह धनराशि जो ग्रान्ट अथवा लोन के रूप में दी गयी है वह किसी विशेष कार्य के लिये दी गयी है अथवा अनेक कार्यों के लिये ? यदि कई कार्य हैं तो वे कौन-कौन हैं ?

**श्री जयराम वर्मा**---जनता के व्यायाम सम्बन्धी खेल कूद तथा कसरत के निमित्त ५,००० रुपया दिया गया। स्कूलों के सामान के लिए ४४८ रु० अनुदान दिया गया। पक्की सड़कों की तरक्की के निमित्त २५,००० रुपया और फिर ४५,००० रुपया दिया गया। मेहतर और भंगियों के आवासगृह के निर्माण के निमित्त ५,०००, फिर पक्की सड़कों की तरक्की के लिए १,४१,००० रुपया दिया गया। बालकों के खेल कूद की सामग्री के लिए १,६०० रुपया, पक्की सड़कों की तरक्की के निमित्त २२,३०० रुपया, बाढ़ के निमित्त २२,००० रुपया, सड़कों की तरक्की के लिए १६,८०० रुपया, फिर बाढ़ के निमित्त ६,००० रुपया का अनुदान दिया गया। मेहतरों और भंगियों के वास्ते हाथ की गाड़ियों के क्रय करने के लिए ८०० रुपया अनुदान पालिका के कर्मचारियों के वेतन क्रम में संशोधन के फलस्वरूप बढ़ी हुई धनराशि का पूर्ण करने के लिए १३,२०० रुपया ऋण मेहतरों एवं भंगियों के लिए आवासगृह के निर्माण के लिये १०,००० रुपया ऋण। जलकल योजना के निमित्त ९,१४,००० रुपया और नगरपालिका के न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए आवासगृह निर्माण के लिए ७६,००० रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

**श्री झारखंडेराय**---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब उन्होंने कहा है कि यह पैसा राइट आफ करने का सरकार का विचार नहीं है तो इसे वापस लेने में सरकार कौन सा कदम उठा रही है और किस प्रकार लेना चाहती है ?

**श्री जयराम वर्मा**---नगरपालिका से इसके लिए बार-बार तकाजा किया जा रहा है कि रुपया दे दें।

## गोड़वाघाट पुल की नीलामी पर आपत्ति

*१९---**श्री शीतलाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में टेढ़ी नदी पर गोड़वा घाट का पक्का पुल बनाने में जो ६०,००० रुपया जिला बोर्ड गोंडा ने ऋण लिया था उसके भुगतान के लिये पुल साल ब साल नीलाम किया जाता था अब तक पुल नीलाम से लगभग १,५०,००० (डेढ़ लाख) रुपया जिला बोर्ड को प्राप्त हो चुका है फिर भी पुल क्यों नीलाम किया जाता है ?

**श्री जयराम वर्मा**---यह सही है कि पुल निर्माण हेतु भूतपूर्व जिला बोर्ड गोंडा का ६०,००० रुपये का ऋण दिया गया था और परिषद् पुल पर पथकर की वसूली से अब तक १,३४,७१७ रुपये प्राप्त कर चुकी है। फिर भी चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा १४८ के अनुसार परिषद् को पुल पर पथकर लगाने का अधिकार प्राप्त है कर वसूली हेतु पुल नीलाम किया जाता है।

**श्री शीतलाप्रसाद**---क्या स्वशासन मन्त्री को पता है कि उक्त पुल तथा सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि धारा १४८ के अन्तर्गत उक्त पुल का नीलाम करना वैधानिक है ?

**श्री जयराम वर्मा**---यह पुल तो जिला बोर्ड का है और जिला बोर्ड को अधिकार है कि उसका नीलाम करे।

**कुंवर श्रीपालसिंह**---माननीय सदस्य ने अभी जो सूचना दी कि यह पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर आ गई है सड़क, तो क्या वह पुल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है ?

**श्री जयराम वर्मा**---पुल तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है।

*२०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

## ताज के निकट बांध बनाने के लिये नगरपालिका आगरा की मांग

*२१—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा ताज के पास एक बांध बनाने की जो योजना सरकार को प्राप्त हुई थी उस सम्बन्ध में अब तक क्या हुआ है और क्या सरकार के पास आगरा म्युनिसिपल बोर्ड से यह मांग भी आई है कि आगरा की जल सप्लाई के लिये जल की कमी के कारण यह बांध बनाना और भी आवश्यक हो गया है? यदि हां, तो सरकार इस योजना को शीघ्र कार्यरूप में परिणत करने के लिये कोई कदम शीघ्र उठा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ताज के पास बांध बनाने का जो प्रस्ताव पहले आया था वह धनाभाव के कारण स्वीकार नहीं किया जा सका तथा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो मांग आगरा नगरपालिका की ओर से अब आई है उस पर विचार हो रहा है।

*२२—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[गृह मंत्री से सम्बन्धित सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## नैनी सेण्ट्रल जेल में वर्षा का पानी भर जाने की शिकायत

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को पता है कि सेन्ट्रल जेल नैनी में वर्षा होने पर अस्पताल तथा कैदियों के बैरक में पानी टपकने के कारण पानी भर जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

## पंचायत मन्त्रियों के निवास स्थान के सम्बन्ध में आदेश

*२४—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संचालक पंचायत राज ने कोई आदेश निकाला है जिसके अनुसार पंचायत राज मंत्री अपने निवास स्थानों से कम से कम २५ मील की दूरी पर रखे जावेंगे?

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

श्री अमरनाथ—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो २५ मील के अन्दर अथवा अपने घर पर ही अब तक मौजूद हैं?

श्री जयराम वर्मा—निश्चित संख्या बताना तो सम्भव नहीं है।

श्री अमरनाथ—क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह आदेश कब दिया गया?

श्री जयराम वर्मा—अक्तूबर, १९५८ में यह आदेश दिया गया था।

श्री प्रतापसिंह—पंचायत राज मन्त्री जो अपने घर से २५ मील दूरी पर रख दिये गये, इस आदेश के निकालने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—चूंकि नजदीक रखने में कुछ काम में अव्यवस्था होती है, लोग शिकायत करते हैं कि वह अक्सर काम नहीं करते।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के बावजूद भी यह आज्ञा थी कि जिन पंचायत मन्त्रियों का काम अच्छा हो या निर्माण के कार्य में लगे हों उन्हें उस स्थान से दूर न भेजा जाय?

**श्री जयराम वर्मा**---जी हां। अगर पंचायत अधिकारी या असिस्टेंट पंचायत अधिकारी इस बात का प्रमाण-पत्र दें कि किसी पंचायत मन्त्री का काम अच्छा है तो उसे नजदीक रखा जा सकता है।

**श्री मुक्तिनाथ राय**---स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास प्रदेश के कुछ जिलों से ऐसे प्रस्ताव आये हैं कि यह आदेश उचित नहीं है और इसको वापस लिया जाय और पंचायत मन्त्रियों को उनके घर के करीब रखा जाय ?

**श्री जयराम वर्मा**---इस तरह की बात नहीं है बल्कि उससे कुछ भिन्न है और वह इस तरह से कि सब को दूर न रखा जाय, जिनका काम अच्छा है वह नजदीक रखे जायं और वह तो हमारे आदेश की मंशा है ही। और दूसरे यह कि अगर दूर रखा जाय तो महंगाई का भत्ता दिया जाय।

**श्री गौरीशंकर राय**---इस आदेश के सम्बन्ध में व्यावहारिक रूप से जो कठिनाइयां हुई हैं उनको देखते हुये और मन्त्रियों की छोटी तन्ख्वाह को देखते हुये, क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी ?

**श्री जयराम वर्मा**--- यह आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि २५ मील की दूरी पर रहना, घर से कोई बहुत दूर नहीं हो जाता है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि उसने जो आदेश दिया है उसका पालन सब जगह हो रहा है या नहीं ?

**श्री जयराम वर्मा**---इसका पूरा पालन नहीं हो पाया और इसमें कुछ असावधानी हुई है। अब आदेश दे दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी पालन कराया जाय।

*२५---**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

## फर्रुखाबाद जिले में पंचायत मन्त्रियों के स्थानान्तरण में विलम्ब

*२६---**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकारी आदेश कि पंचायत मन्त्री अपने निवास स्थान से २५ मील दूरी पर रखे जाने के विरुद्ध फर्रुखाबाद जिले में अधिकांश पंचायत मन्त्री अपने निवास-स्थान पर तथा अपने निवास स्थान के नजदीक ही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

**श्री जयराम वर्मा**---जी हां। खरीफ आन्दोलन एवं पंचायत कर वसूली के कार्यों में पंचायत मन्त्रियों के व्यस्त रहने के कारण।

**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---मंत्री जी ने बताया कि खरीफ आन्दोलन तथा कर-वसूली के कारण मन्त्रियों का तबादला नहीं किया गया। तो क्या यह जो मन्त्रियों के तबादले पर आयेंगे वह कार्य नहीं कर सकेंगे, यह कारण है या कोई दूसरा कारण है ?

**श्री जयराम वर्मा**---ऐसा कोई कारण नहीं है, बल्कि ३० अप्रैल, १९५९ की अंतिम तिथि रखी गई थी, लेकिन फिर जिलों से ऐसी मांग आई कि इस वक्त हटा देने से कर की वसूली में कुछ दिक्कत पड़ेगी और उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको भी हटाने में दिक्कत होगी और खरीफ आन्दोलन में भी दिक्कत पड़ेगी, इसलिये ३० जून तक तारीख बढ़ा दी गई थी और अब यह आदेश दिया गया है कि अपनी-अपनी जगह पर वह २५ मील की दूरी पर कर दिये जायं।

**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के पंचायत मन्त्रियों का यह प्रबन्ध कब तक हो जायगा कि वह अपने स्थान पर २५ मील की दूरी पर काम करने लगें ?

**श्री जयराम वर्मा**---शीघ्र २५ मील की दूरी पर रख दिये जायंगे और वह वहां पर काम करने लगेंगे ।

## बाराबंकी जिला जेल की इमारत में खराबी की शिकायत

*२७---**श्री जंगबहादुर वर्मा** ( जिला बाराबंकी )---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल बाराबंकी में खपरैल छाया हुआ है जिसे बन्दर उखाड़ देते हैं और बरसात के दिनों में कैदियों व हवालातियों को पानी बरसने पर रात भर बैठे रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें छत नुमा बैरकें बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---जी हां, खपरैल छाया हुआ है, जिसे कभी-कभी बन्दर उखाड़ देते हैं किन्तु ऐसा नहीं होता कि पानी बरसने पर कैदी अथवा हवालाती बन्दी रात भर बैठे रहें ।

*२८---**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला जेल बाराबंकी में कितने एकड़ भूमि पर खेती होती है और उससे कितनी आमदनी सन् १९५८-५९ में हुई ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---२५.४७ एकड़ भूमि पर । ११,०१४·७४ रुपये की ।

**श्री जंगबहादुर वर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ बजे के लगभग जब कैदी बन्द हो जाते हैं तब बन्दर उखाड़ देते हैं तो रात को कैसे रोकने का प्रबन्ध किया जाता है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---मुझे तो मालूम नहीं कि ५ बजे के बाद ही उखाड़ देते हैं, कभी उखड़ जाता हो तो मुझे मालूम नहीं ।

**श्री झारखंडेराय**---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का कोई ऐसा विचार है कि प्रदेश के जिन जेलों में खपरैल से छतें छाई हुई हैं उन्हें धीरे-धीरे हटाकर पक्की स्थायी छतें बनवाई जावें ताकि उनकी मरम्मत का खर्चा बच सके ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---जी हां, यह बात सही है ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---जिला जेल बाराबंकी की खेती से जो आमदनी हुई वह किस मद में खर्च की जायगी ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---रुपया तो मिलता नहीं । आमतौर पर साग, गेहूं, अरहर, जौ, उर्द, मूंग की फसलें होती हैं, जो कैदियों को ही खिला दी जाती हैं ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार के पास ऐसी सूचना आई है कि बंदर इसलिये उखाड़ देते हैं कि उनके रहने के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---कभी-कभी कैदी उसका प्रबन्ध अपने आप कर देते हैं

**श्री उग्रसेन**—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह यह कैसे कहते हैं कि बारिश होने पर भी कैदी रात भर नहीं बैठे रहते हैं ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—अगर कभी उखाड़ देते हैं तो उसकी फौरन मरम्मत हो जाती है। प्रायः ऐसा नहीं है कि कोई क़ैदी या हवालाती रात भर बैठा रहे।

## लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम तथा रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त धन का वितरण

*२९—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या स्वशासन मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि असरकारी व्यक्तियों के लिये भवन निर्माण सहायता की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो इस योजना में अब तक कितना रुपया ऋण अथवा अनुदान के रूप में वितरित हो चुका है ?

**श्री जयराम वर्मा**—ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत असरकारी अथवा सरकारी व्यक्ति में भेद किया गया है। इस कारण केवल असरकारी व्यक्तियों के ऋण देने का प्रश्न नहीं उठता।

*३०—**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शासन ने कितना रुपया भवन निर्माण के सहायता के लिये इस राज्य को दिया है और सरकार उसके वितरण की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

**श्री जयराम वर्मा**—Low Income Group Housing Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार ने अभी तक ४१४.६५ लाख रुपया राज्य सरकार को दिया है। Rural Housing Projects Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार से अभी तक ६६ लाख रुपया राज्य सरकार को मिला है। Low Income Group Housing Scheme के अन्तर्गत प्राप्त धन का वितरण U. P. Co-operative Bank तथा कुछ स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। Rural Housing Projects Scheme के अन्तर्गत प्राप्त धन का वितरण विकास आयुक्त द्वारा किया जा रहा है।

**श्री राजेन्द्रसिंह**—क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब भारत सरकार ने नागरिक क्षेत्रों के लिये ४१४.६५ लाख रुपया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये केवल ६६ लाख रुपया दिया है तो वह भारत सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बढ़ाने के लिये लिखेंगे ?

**श्री जयराम वर्मा**—वह रुपया खर्च होने पर और मिलेगा।

**श्री राजेन्द्रसिंह**—वह रुपया अभी तक खर्च क्यों नहीं हो पाया है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—यह योजना हाल ही में ली गई है। इसके लिये स्थान चुनने का और कैसे रुपया वसूल हो, यह सब देख रहे हैं।

## रामनगर घाट पर रिपटा पर से गुजरने वालों से चुंगी लेना

*३१—**श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में रामनगर, घाट पर जो रिपटा बना हुआ है उस पर पास होने से पैदल आदमियों से, घुड़सवार, साइकिल सवार, ऊंट सवार, बैलगाड़ी सवार, गल्ला लदी गाड़ी पर कितनी चुंगी ली जाती है ?

**श्री जयराम वर्मा**—प्रश्नगत रिपटा पर निम्नलिखित दर से चुंगी वसूल की जाती है :—

| | प्रति व्यक्ति | | |
|---|---|---|---|
| | रु० | आ० | पा० |
| पैदल आदमी .. .. .. .. | — | १ | — |
| टट्टू सवार .. .. .. | — | १ | ६ |
| घुड़ सवार .. .. .. .. | — | ४ | ६ |
| साइकिल सवार .. .. .. | — | ३ | — |
| ऊंट सवार .. .. .. .. | — | ४ | ६ |
| बैलगाड़ी सवार .. .. .. | — | ३ | — |
| गल्ला लदी गाड़ी .. .. .. | — | ३ | — |
| | प्रति गाड़ी | | |

इस सम्बन्ध में जिलाधीश से और पूछतांछ की जा रही है।

**श्रीमती बेनीबाई**—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रिपटा बनाते समय यह घोषणा की गई थी कि इसके पूरा हो जाने के बाद यह चुंगी हटा दी जायगी ?

**श्री जयराम वर्मा**—इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है।

## कंधारी बाजार इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ का लेआउट एवं एक्विजीशन प्लान

*३२—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या २९ फरवरी, १९५६ को सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार स्वायत्त शासन विभाग के कमरे में विधान भवन के प्रस्तावित विस्तार के प्रकाश में कंधारी बाजार डेवलपमेंट स्कीम पर विचार करने के लिये राज्य के उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी ? यदि हां, तो उसमें उक्त योजना के संबंध में क्या-क्या निर्णय किये गये। क्या सरकार कंधारी बाजार इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के लेआउट एवं एक्विजीशन प्लान की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जी हां। उक्त मीटिंग में यह तय किया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की विधान भवन के प्रस्तावित विस्तार संबंधी योजना का नकशा ट्रस्ट की कंधारी बाजार सामान्य विकास योजना के नक्शे पर अंकित guxctaposed कर लिया जाय और तब परीक्षण किया जाय कि ट्रस्ट की स्कीम का कितना भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना में चला जायगा और शेष भाग, यदि हो, तो उसके संबंध में क्या किया जाय।

कंधारी बाजार सामान्य विकास योजना के लेआउट तथा एक्वीजिशन प्लान की एक एक प्रति† सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

*३३—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ के अन्तर्गत रहने वाले उन व्यक्तियों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है जिनके मकान टूट-फूट गये हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उन्हें निर्माण की इजाजत नहीं दी है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जिनके मकान टूट-फूट गये हैं और निर्माण की इजाजत नहीं दी गई है, उनके बारे में ट्रस्ट एक्वीजीशन करते समय पुनर्वास संबंधी निर्णय करेगा।

---

नोट:—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

† प्रति छापी नहीं गई।

*३४—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम, लखनऊ शुरू हुई है तब से अब तक यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की अनुसूची की धारा १४ के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में ट्रस्ट को कितना प्रतिकर देना पड़ा?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है।

## ऋषीकेश नगरपालिका के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ऋषीकेश नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ वहां के सदस्यों ने देहरादून के कलेक्टर के पास कोई शिकायती-पत्र इसी वर्ष भेजा है? यदि हां, तो क्या सरकार उस शिकायती पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा उस शिकायती पत्र पर कोई जांच हुई है? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। उक्त शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इस पर जिलाधीश ने नगरपालिका के अध्यक्ष का स्पष्टीकरण मांगा था जो उनको प्राप्त हो गया है और उस पर जिलाधीश इस समय विचार कर रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१६–७१७ पर)

## तुलसीपुर टाउन एरिया के उपनियमों का गजट न हो सकना

*३६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तुलसीपुर टाउन एरिया के अध्यक्ष ने टाउन एरिया की सभी गति-विधियों के लिये माडल बाइलाज के आधार पर बाइलाज बना कर नवम्बर, १९५७ में टाउन मैजिस्ट्रेट बलरामपुर के द्वारा जिलाधीश गोंडा को पब्लिकेशन के लिये भेजा था? यदि हां, तो अब तक उसके गजट न होने के क्या कारण हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टाउन एरिया तुलसीपुर ने १३ सितम्बर, १९५७ को तथा १ अक्टूबर, १९५७ को कुछ उपनियम टाउन मजिस्ट्रेट बलरामपुर को प्रेषित किये थे किन्तु उनमें अनेक त्रुटियां पाई गईं, अतः उन्हें उक्त अधिकारी ने संशोधनार्थ वापस कर दिया। नाममात्र परिवर्तन के पश्चात् यह उपनियम जिलाधीश के कार्यालय में सब से पहली बार ७ मार्च, १९५८ को प्राप्त हुए, जिलाधीश ने पहले यह उपनियम शासन की स्वीकृत.र्थ भेजे किन्तु यहां से यह सूचित किये जाने पर कि उपनियम जिलाधीश की पुष्टि से ही लागू किये जा सकते हैं, उन्होंने उपनियमों की केवल हिन्दी लिपि गजट में प्रकाशन के लिये प्रेस भेज दिया। प्रेस ने २६ अगस्त, १९५८ को उपनियम इस निर्देश के साथ वापस कर दिया कि विज्ञप्ति का अंग्रेजी रूपान्तर भी भेजा जाय, तदनुसार अंग्रेजी रूपान्तर टाउन एरिया कमेटी से प्राप्त किया गया। इसी बीच इन उपनियमों के विरुद्ध कुछ आपत्तियां तुलसीपुर की जनता से प्राप्त हुईं। इन आपत्तियों की जांच के फलस्वरूप यह पाया गया कि इन उपनियमों का नियमानुसार टाउन एरिया में प्रकाशन नहीं किया गया था। अतः त्रुटियों को दूर करने के लिये जिलाधीश के कार्यालय ने उक्त उपनियम कमेटी को ३० जून, १९५९ को वापस कर दिया। अभी तक उन उपनियमों को कमेटी ने पुनः नहीं भेजा है इस कारण गजट में इनका प्रकाशन न हो सका।

## इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा व्याज की अदायगी

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका ने १९५७–५८ में ऋण का ब्याज किस-किस मद में कितना-कितना अदा किया था?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा जिस-जिस मद के अन्तर्गत जितनी-जितनी ब्याज की धनराशि दी गई है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१८ पर)

## प्रश्नों के बारे में प्रार्थना

**श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)**—अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में एक अर्ज करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—आप मेरे कमरे में आइये और वहां कहिये।

**श्री शिवप्रसाद नागर**—आज मैंने देखा कि आपकी दृष्टि या तो लम्बे या बहुत मोटे आदमी पर पड़ती थी। मैं वह आकार प्राप्त नहीं कर सका हूं। तो वह प्रक्रिया बताने की कृपा करेंगे जिस प्रकार मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर सकूं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न बहुत खूबी के साथ किया कीजिये।

## उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५६–५७ का प्रतिवेदन*

**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ के खंड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५६–५७ के वार्षिक प्रतिवेदन को तत्संबंधी ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)**—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी स आपके द्वारा जानना चाहता हूं, या श्रीमन् ही कुछ निर्धारित कर दें, कि इस पर बहस कब होगी। बाद में वह बासी हो जायगी।

**श्री अध्यक्ष**—वह बाद को ही होने का अन्दाजा मालूम होता है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)**—यह प्रतिवेदन हम को कब मिलेगा?

**श्री अध्यक्ष**—वे आज वितरित हो गये हैं।

## एक विलम्ब से प्राप्त कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

**श्री अध्यक्ष**—कार्य-स्थगन प्रस्ताव आज मैंने एक अस्वीकृत कर दिया है। क्योंकि वह समय के बाद में आया और विषय भी ऐसा है जिस पर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

## खांडसारी के निर्यात पर सरकारी नियन्त्रण के विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**—नियम ५२ के अन्तर्गत जितने मेरे पास प्रस्ताव आये हैं उनमें श्री जगदीशशरण जी अग्रवाल का मैंने स्वीकार किया है। वह यह है:—

"खांडसारी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण गृह उद्योग है जिससे लाखों किसानों मजदूरों, एवं अन्य व्यक्तियों का संबंध है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित अधिकांश खांडसारी प्रदेश के बाहर निर्यात होती रही है। हाल में सरकारी पाबंदियों से इसका निर्यात बिलकुल बन्द हो गया है, जिसके फलस्वरूप आठ दस लाख मन चीनी रुक गई है और छोटे-छोटे उत्पादकों के सामने एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। खांडसारी उत्पादकों का मत है कि इसके पीछे

* छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

पीछे चीनी मिल मालिकों का भारी हाथ है। यदि उत्तर प्रदेशीय सरकार या तो इस स्टाक को खरीदने या निर्यात कराने के लिये अविलम्ब कदम न उठावेगी तो इस बड़े गृह उद्योग पर आश्रित सहस्रों व्यक्तियों को अप्रत्याशित क्षति पहुंचेगी। जो एक व्यापक अशांति का कारण होगी।"

इस तरह की सूचना उन्होंने देकर ध्यान आकृष्ट किया है।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे क्षेत्रों में अति हो जाया करती है और उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, कहा भी गया है "अति सर्वत्र वर्जित:", इसी प्रकार किसी-किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की बात भी जरूरत से ज्यादा हो जाती है। खाण्डसारी की चर्चा सदन में पहले हो चुकी है। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो ८-७ दिन हुये जब कि जिन माननीय सदस्य ने यह सूचना रखी है वह मुझसे इस विषय में मिल चुके हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर के ८-१० सज्जन इस विषय में मुझसे मिल चुके हैं। इस प्रकार ध्यान तो मेरा बहुत ज्यादा आकृष्ट कर दिया है।

जहां तक चिन्ता और घबराहट की बात है, मेरी समझ में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिये। हमारे प्रदेश में साधारणतया २ लाख ५० हजार से लेकर ३ लाख टन तक खाण्डसारी की पैदावार होती है। अर्थात् मनों में करीब ६७ लाख ५० हजार मन और ८१ लाख मन पैदावार होती है। हर साल इसमें से करीब ९ लाख मन खांडसारी का निर्यात इस प्रदेश से होता है, शेष ६४-६५ लाख मन की खपत इसी प्रदेश में होती है। हमारे हिसाब से इस वक्त प्रदेश में करीब साढ़े दस लाख मन खांडसारी बची हुई है और जिन माननीय सदस्य ने इसका नोटिस दिया है उन्होंने ८ लाख मन बताया है। इस प्रदेश में हर साल ६४-६५ लाख मन खांडसारी की खपत होती है तो कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि ८-९ लाख मन जो खांडसारी बची हुई है उसकी खपत न हो जाय। इस वक्त अधिकतर स्थानों में खांडसारी का भाव ३१-३२-३३ रुपये है। जबकि सफेद शकर का भाव कम से कम ३६ रुपया मन है। इसलिये उसकी खपत हो जाने की पूर्ण आशा है। जहां तक पाबन्दी का ताल्लुक है पाबन्दी हम नहीं लगाते, भारत सरकार की तरफ से लगायी जाती है। पाबन्दी हाल ही में हुई है। इसके अलावा मैं इतना जरूर जानता हूं कि उनकी यह पाबन्दी उनका अंतिम निर्णय नहीं है। वे भी इस बात पर विचार कर रहे हैं और हम भी उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। अंतिम विचार उनका क्या होगा, यह तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो लोग खांडसारी बनाते हैं उनको चिन्ता होने का कोई कारण नहीं है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह सरकार की सूचना में है कि जो इस वक्त खांडसारी रुकी हुई है वह दूसरे नम्बर की है, जो सदा ही पूर्ण रूप से यू० पी० से बाहर जाती है? यू० पी० में उसका मारकेट नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं केवल इतना बता सकता हूं कि जो खांडसारी निर्यात होती है वह केवल ९-१० लाख मन होती है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि जो खांडसारी बची है उसकी सारी खपत यहां हो ही जायगी लेकिन चूंकि सफेद शकर से उसका भाव कम है इसलिये कोई कारण मालूम नहीं पड़ता कि उसकी खपत न हो जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि जो खंडसारी निर्यात होती है क्या वह ऐसे देशों में जाती है जहां से विदेशी विनिमय का देश को लाभ होता है? यदि ऐसा होता है तो क्या सरकार उसके ऊपर से पाबन्दी हटाने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी जानकारी में विदेश तो जाती न होगी, जाती होगी तो इसी देश के किसी प्रदेश में जाती होगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने खांडसारी वालों की मदद करने के लिये केंद्रीय सरकार को खांडसारी पर से पाबन्दी हटाने के लिये लिखा है? अगर लिखा है, तो केंद्रीय सरकार का क्या रुख है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि दो सरकारों के बीच में क्या-चिट्ठी पत्री होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां तक पाबन्दी हटाने का प्रश्न है भारत सरकार की यह अंतिम नीति नहीं, संभव है उसमें सुधार हो जाय।

[आचार्य दीपङ्कर (जिला मेरठ)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि खांडसारी का प्रदेश से बाहर निर्यात राजस्थान और पंजाब में होता था, जहां इस समय ५५-५६ रुपये का भाव है जब कि पश्चिमी यू०पी० में ३५-३६ रुपया मन है? यदि ऐसा है, तो उसका कारण क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर वहां भाव ज्यादा है तो उसका कारण यह स्पस्ट ही है कि अधिकतर खांडसारी उत्तर प्रदेश में ही पैदा होती है और वह वहां पहुंच नहीं रही है, अतः वहां भाव बढ़ने ही चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी का उद्योग ठीक से चल सके, उसके लिये विशेष सुविधा दिलाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वे इस बात का प्रयत्न करें, उसमें जो कुछ हमसे भी थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि यह स्टाक जिसकी खपत उत्पादकों के अनुसार यू०पी० में नहीं है, उसको सरकार मुनासिब मूल्य पर खरीद ले या उसके निर्यात के लिये केंद्रीय सरकार से सिफारिश की जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त इस खांडसारी को खरीदने का हमारा कोई विचार है नहीं।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अगला सीजन नवम्बर से शुरू होता है, तो नवम्बर के पहले जो इस वक्त खांडसारी का उत्पादन हो रहा है, उसकी ठीक तौर से बिक्री हो जाय और निर्यात हो जाय, इसकी व्यवस्था करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--चाहते हम भी ऐसा ही हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार जो मिल एरिया है, यह जानते हुए कि वहां का बहुत सा गन्ना बच जाता है और मिलों में नहीं पेरा जाता, वहां पर बिना लाइसेंस के क्रसर्स लगाने की आज्ञा देगी?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न इससे उठता नहीं है।

श्री राजनारायण--उसी से तो खांड बनती है।

## १० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न २६ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

**श्री अध्यक्ष**---अब माननीय स्वशासन उपमंत्री, १० मार्च, १९५९ को विधान सभा के सदस्य श्री अनन्तराम वर्मा के तारांकित प्रश्न संख्या २६ से संबंधित माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संबंध में अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

**स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)**---अध्यक्ष महोदय, १० मार्च, १९५९ को श्री अनन्तराम वर्मा ने अलीगढ़ शहर की ड्रेनेज योजना के लिये जमीन प्राप्त करने के विषय में निम्नलिखित प्रश्न संख्या २६ पूछा था। उसका उत्तर, जैसा कि प्रश्न के सामने अंकित है, दिया गया था।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| २६---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर के गूलर रोड, इगलास रोड तथा सिकन्दराराऊ रोड के किसानों ने अपनी जमीन को ड्रेनेज स्कीम के अन्तर्गत बेदखल न करने के लिये सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो कब दिया है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है? | २६---सरकार को २२ अगस्त, १९५८ को केवल गूलर रोड, एटा रोड तथा इगलास रोड के किसानों की ओर से, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था उस पर सरकार ने निर्णय किया है कि जमीन तो ले ली जाये क्योंकि वह सलेज फार्म के लिये आवश्यक है परन्तु जब उक्त फार्म की भूमि ठेके पर दी जाये तो विस्थापित किसानों को प्राथमिकता दी जाये तथा अन्य लोगों के मुकाबिले में उन्हें १० प्रतिशत कम पर ठेके दिये जायें। |

उपरोक्त प्रश्नोत्तर के पश्चात् श्री वर्मा ने एक अनुपूरक प्रश्न भी पूछा था उक्त प्रश्न तथा उसका उत्तर इस प्रकार था:

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन किसानों की जमीन ले ली गई है, उनको कोई कम्पेनसेशन दिया गया है? | लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार उनको कम्पेन्सेशन दे दिया गया है। |

सरकार को बाद की छानबीन से यह मालूम हुआ कि उपरिलिखित अनुपूरक प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं था अतः स्थिति का स्पष्टीकरण करने हेतु सरकार आप की आज्ञा से सदन को यह सूचित करना चाहती है कि अलीगढ़ में सलेज फार्म के लिये ली गई केवल गूलर रोड स्थित भूमि के, जिसका क्षेत्रफल १ बीघा २ बिस्वा है, स्वामियों को लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत मुआवजा दिया गया है अन्य जमीनों का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।

## भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

**श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)**---श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि यह सदन कब उठेगा और अगली बार फिर कब बैठेगा? इसकी जानकारी हम लोगों को जाने से पहले हो जानी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**---इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या कहना है?

**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---हमारा तो यह खयाल था अध्यक्ष महोदय, कि सदन की बैठक कल ही समाप्त हो जाय। और मेरा ऐसा अनुमान है कि बहुत से माननीय सदस्यों को इसी में सुविधा भी है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा खयाल था, और कुछ ऐसी बात भी हुई थी, कि आज तो वर्षा की कमी पर वादविवाद हो और कल और परसों जो असरकारी प्रस्ताव हैं उन पर, इस तरह से इस सदन की कार्यवाही इधर ११ तारीख तक चलेगी। मैं समझता हूं कि इस पर माननीय नेता सदन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल के अनुरोध को मानें लेता हूं और ऐसी दशा में सदन परसों तक चलेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि जब आपस में यह कल ही तय हो चुका था कि सदन ११ तारीख तक चलेगा तो इस तरह से सदन का समय क्यों खराब किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के व्हिप से इस विषय में हमसे पहले ही बात हो चुकी थी तो फिर सदन में क्यों यह प्रेमालाप होता है ?

श्री अध्यक्ष---इस प्रेमालाप का तो स्वागत करना चाहिये।

श्री राजनारायण---यह कमरे में ही हो तो अच्छा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---यह जो लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन बंटा है, क्या सरकार इसके लिये कोई समय देगी ?

श्री अध्यक्ष---वह तो बता दिया गया कि इस सत्र में नहीं, आगे देखा जायगा।

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानना चाहा था कि आगे सदन कब बैठेगा।

श्री अध्यक्ष---यह तो बाद में तय होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सदन में जो प्रेमालाप होता है उस के परिणामस्वरूप जो ईर्ष्या होती है उस का भी कोई प्रबंध किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---मैं मौका देता हूं कि वह प्रकट हो जाय।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---सदन में जो प्रेमालाप होता है वह तो ठीक है, लेकिन आप के कमरे में नहीं होना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मोको निकालो न जाय तो मैं कुछ कह लूं।

श्री अध्यक्ष---आप अपना स्थान ग्रहण करें।

## श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे निम्न प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा दी जाय---"यह सदन वर्तमान उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष पद के लिये अयोग्य समझता है और प्रस्ताव करता है कि उनको उक्त पद से हटा दिया जाय क्योंकि---

(१) उन्होंने विधान सभा के सदस्यों पर दल विशेष में सम्मिलित होने के लिये दबाव डाला है।

(२) उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवस्थायें दीं।

(३) उन्होंने प्रश्नों को मनमाने ढंग से अस्वीकृत किया है जिससे भ्रष्टाचार के अनेक मामले समय पर नहीं खुल पाये।

(४) उन्होंने उपाध्यक्ष के कार्यालय में व्यवहारतः मारल रिआरमामेंट और सोशलिस्ट पूनिटी पार्टी का कार्यालय खोल रखा है।"

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

(५) उन्होंने उपाध्यक्ष के कार्यों के लिये नियुक्त व्यक्तियों एवं टाइपराइटर आदि का प्रयोग पार्टी विशेष तथा व्यक्तिगत हित साधन के लिये किया है ।

अब मैं संक्षेप में इन कारणों पर प्रकाश डालना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष---अब प्रकाश डालने का सवाल नहीं है, कारण आप बता चुके। नियम में यह दिया हुआ है कि ऐसे प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक प्रस्ताव लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---वही उल्लेख मैं करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---वह कारण संक्षेप में आप बता चुके । वह आप पहले ही बता चुके, अब कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---विलम्ब से क्यों लाये इसका कारण तो बता सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । वह आपका कर्त्तव्य नहीं था कि जल्दी लाते। मैं इजाजत नहीं देता हूं। इसके बारे में जब अनुज्ञा मिल जायगी तब आपको मौका मिलेगा। आपने कारण बता दिये।

प्रश्न यह है कि जो इस प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा देने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

(१४ सदस्य खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष---१४ की संख्या है जबकि ८६ की आवश्यकता है अनुज्ञा देने के लिये। इसलिये सदन की इस प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा नहीं है ।

## अनावृष्टि के कारण राज्य में सूखे की स्थिति पर विवाद के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---अब अनावृष्टि के कारण राज्य में सम्भावित सूखे की परिस्थिति पर वाद-विवाद होगा। लेकिन इसके बारे में यह निश्चित हो जाना चाहिये कि यह बहस कब तक चलेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, एक दिन रखा गया है और प्रश्न बड़े महत्व का है। अभी माननीय गेंदा सिंह जी बोलेंगे, फिर आगे के सात नेता बोलेंगे आध-आध घंटा लेंगे तो साढ़े तीन घंटा खत्म हो गया। फिर मंत्री जी बोलेंगे तो चार घंटा हो गया। अब साढ़े बारह बजे हैं। केवल साढ़े चार घंटे ही रह गये हैं। तो हम लोग जो पीछे बैठे हैं वह भी उतना ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये लोग करते हैं। हम न कुछ कह पायेंगे न सुन पायेंगे। तो ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि सब लोग अपनी-अपनी बात कह सकें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे दो दिन कर दिया जाय, आज और कल।

श्री अध्यक्ष---मैं इसके बारे में निश्चय बता चुका हूं। आज का ही दिन रखा है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज के विवाद में नेताओं को साधारणतः १५ मिनट और अन्य बोलने वालों को १० मिनट का समय दिया जाय और अगर उचित समझें तो आप बढ़ा सकते हैं।

## सवा चार बजे सदन की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव

**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय आज का विवाद सवा चार बजे तक चले और फिर समाप्त हो जाय तो अधिक अच्छा है। उसका कारण यह है कि आज हमारे यहां हमारे एक गेस्ट माननीय जय प्रकाश नारायण जी आने वाले हैं। उनके पास समय कम है और वह चाहते हैं कि साढ़े चार बजे से उनको पन्त ग्रथ माला में भाषण के लिये समय दे दिया जाय। इसलिये यदि सबकी सहमति हो तो मैं चाहता हूं कि आज हमारा हाउस सवा चार बजे तक बैठे तो अच्छा है।

**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस सदन को अख्तियार है कि अपने कार्य को जिस समय चाहे बन्द कर दे, लेकिन ऐसा कारण देना कि फलां कार्य की वजह से यह अपना कार्य समाप्त करता है यह इस सदन की शान में बट्टा लगाता है। इस प्रदेश के अन्दर कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको इस सदन के मुकाबिले में प्राथमिकता दी जाय। इसलिये मैं बरेली के माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने किया है उस पर आग्रह न करें और उनकी बात को ध्यान में रख कर यह निवेदन करूंगा कि इस सदन का कार्य आज चार बजे शाम तक चलाया जाय।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मुझे माननीय नवलकिशोर जी की बात तो समझ में आयी क्योंकि उन्होंने एक मकसद को स्पष्टरूप से कहा और दूसरी तरफ जब माननीय त्रिलोकीसिंह जी इस बात को मानते हैं कि सदन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और सूखा पर विवाद होने के सम्बन्ध में उन्हीं के दल के एक सदस्य कह रहे थे कि दो दिन का समय दिया जाय क्योंकि आज समय कम है तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हुआ हूं कि हमारी कहां वाणी जा रही है और कहां कर्म जा रहा है। यहीं के लिये नहीं बल्कि बाहर के लिये भी कह रहा हूं। अब जहां तक माननीय जयप्रकाश नारायणजी के भाषण को सुनने के लिये सदन को ४ बजे स्थगित करने की बात है मैं उससे सहमत नहीं हूं। और मैंने आपसे भी कहा था और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था जो उनके कार्यालय के लोगों ने नहीं लिया। मैंने लिखा है कि यह एक गैर-सरकारी संस्था है और उसकी सारी कार्यवाही हमारे सचिवालय में हो रही है, सारे सरकारी साधन इस्तेमाल किये जा रहे ह और इसी सिद्धांत को लेकर तानाशाही आती है। इसलिये हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई कार्यक्रम सेक्रेटेरियट में हो। जो लोग सुनना चाहें वह चले जायं लेकिन उसके लिये सदन को ४ बजे स्थगित किया जाय यह हम नहीं स्वीकार कर सकते। यों माननीय जयप्रकाश नारायण जी बड़े विद्वान, प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हैं और एक नये सिद्धांत की, अदलीय राजनीति और विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं उनका भाषण अवश्य अच्छा होगा। जो उनके भाषण में दिलचस्पी लेना चाहेंगे वह सुनेंगे। मगर सेक्रेटेरियट के अन्दर हो, सदन का कार्य स्थगित हो, मैं इसको उचित नहीं समझता।

मैं नेता विरोधी दल की तारीफ भी करता हूं उन्होंने विश्लेषण ठीक किया। उन्होंने कहा कि सदन का कार्य सर्वोपरि है उसके लिये किसी दूसरे कार्य के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हो सकती। अगर यह सही बात है, सदन के पास कार्य है, सूखा पड़ा हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा की गई, सारे प्रदेश में। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही जिस रूप में चल रही है उस रूप में चलने दें जिसको जाना होगा भाषण सुनने के लिये वे सदन का कार्य छोड़ करके चले जायेंगे।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवलकिशोर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, और वह इसलिये कि इस सदन की परम्परा रही है कि कई अवसरों पर बाहर के आवश्यक कार्यों के कारण सदन का कार्य स्थगित किया जाता रहा है, कुछ लोगों की दावतों के लिये स्थगित कर दिया जाता है, कुछ और कारणों से भी किया गया। तो यह कोई नई बात नहीं हो रही है और इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इसमें सदन की शान नहीं जाती यदि कोई ऐसा व्यक्ति भाषण देने के लिये

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

आता है जो किसी दल का व्यक्ति नहीं है, जो हर पार्टी से अलग रह कर निःस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिये सदन का कार्य स्थगित किया जाय उससे सदन की प्रतिष्ठा कम होती हो। बल्कि इससे सदन का सम्मान बढ़ेगा अगर हम ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं माननीय नवलकिशोर जी से कहूगा कि माननीय जय प्रकाश नारायण जी के नाम को और उनके आगमन को, यहां जब इस प्रकार का मतभेद हो गया कि सदन बैठे या न बैठे, तो जो उनका प्रस्ताव है, ऐसे उच्च कोटि के विद्वान के लिये वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें और हम लोग आपस में तय कर सकते हैं, उसको कट्रोवर्सी में न लाया जाय ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मेरे कान में आज दर्द हो रहा है इसलिये माननीय पालीवाल जी और माननीय दुबे जी के भाषणों को अच्छी तरह से नहीं सुन सका, लेकिन विरोधी दल के नेता का भाषण सुना। मेरी गुजारिश यह है कि अभी एक सांस में यह फरमाया गया कि सदन की शान के खिलाफ है कि हम किसी आदमी के लिये सदन स्थगित कर दें और उसी सांस में झट से यह भी फरमा दिया कि चार ही बजे सदन स्थगित कर दिया जाय। मैं तो इसको अपोज करता हूं कि बन्द नहीं होना चाहिये। क्या तमाशा है? बच्चे बैठे हैं यहां? लड़के बैठे हैं जो अक्ल नहीं रखते? मैं समझता हूं कि स्थगित नहीं होना चाहिये। अभी पालीवाल जी ने फरमाया कि यह सदन बन्द हुआ है। इसके लिये कोई कायदा कानून तो है नहीं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि बन्द किया जा सकता है अगर कोई खास बात हो तो, लेकिन अगर खामख्वाह के लिये कोई साहब तशरीफ ला रहे हैं उनके लिये सदन बन्द कर दिया जाय तो यह सदन का अपमान करना है। आध घंटे के बाद फिर बैठा जा सकता है। रात अपनी है, वक्त अपना है। इत्मीनान से उनका व्याख्यान सुना जा सकता है, लेकिन बन्द करना सदन का अपमान करना है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, दो सवाल पैदा हो गये हैं। एक तो यह कि सदन सवा ४ बजे या साढ़े ४ बजे खत्म हो जाय या न हो। दूसरे सरकारी भवन सेक्रेटेरियट और सरकारी साधनों का प्रयोग गैर सरकारी पार्टी-कार्य के लिये गत दो दिन से हो रहा है, वह किया जाय या न किया जाय, यह उचित है अथवा नहीं। जय प्रकाश जी के विचारों से किसी को सहमति हो अथवा न हो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश के जो महान व्यक्ति माने जाते हैं उनमें वे भी हैं और उनके भाषण के लिये हम सभी इच्छुक होंगे चाहे उनकी एक भी बात हमें न रुचे। मैं माननीय नवलकिशोर जी से चाहूंगा कि इस विवाद को---क्योंकि उन्होंने ही इसे शुरू किया है---समाप्त करायें और मैं समझता हूं कि जय प्रकाश जी के लिये भी उचित होगा कि वे अपने समय का ऐसा ऐडजस्टमेंट करें जिसमें सदन ५ बजे शाम तक बैठे और उसके पश्चात् उनका भाषण शुरू हो, जब यहीं हम सब बैठे हैं तो यहां से उठ कर ही जा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है और खासकर नवलकिशोर जी से कि वे इस तरह का ऐडजेस्टमेन्ट कर लें ।

दूसरी बात जो राजनारायण जी ने उठाई है उसे मैं भी परसों से महसूस करता रहा हूं कि यह प्रथा और प्रणाली प्रारम्भ की गयी, परसों, यह उचित नहीं है और इसका यहीं अन्त हो जाय, किसी प्रकार, तो अच्छा होगा क्योंकि सरकारी भवन में गैर-सरकारी तरीके से कोई बात की जाय यह अच्छा नहीं लगता और इससे सचमुच प्रजातंत्र की जड़ पर एक ठेस लगती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सदन का टाइम ऐसा एडजस्ट किया जाय---५ बजे शाम हो---उस समय उनका भाषण शुरू हो जिससे हम यहां से जा कर वहां सम्मिलित हो सकें और सरकारी भवन का पार्टी-हित में इस्तेमाल न हो, ऐसी व्यवस्था हो।

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इस किस्म का विवाद यहां खड़ा किया गया और इस तरह का सवाल उठाया गया कि ये जो कुछ लेक्चर्स होते हैं उनके सम्बन्ध में सरकारी भवन, सरकारी सामान और सरकारी फर्नीचर का इस्तेमाल होता है। हमारे यहां दारुलशफा में अक्सर व्याख्यान होते हैं। अभी डाक्टर लोहिया वहां आये थे। मुझे भी निमंत्रण दिया गया था कि मैं भी उसमें सम्मिलित होऊं। वहां भी सरकारी सामान है और वह भी सरकारी इमारत है। अगर सरकारी सामान व इमारत का इस्तेमाल करना यहां गलत है तो वहां भी गलत था। लेकिन मैं न इसे गलत समझता हूं और न उसे। यह किसी पार्टी की तरफ से कोई चीज नहीं हो रही है। जो चीज हो रही है वह लेजिस्लेचर के नाम से हो रही है। उसमें अगर एक तरफ मुख्य मंत्री शरीक हैं तो दूसरी तरफ उसकी जो प्रबंध करने वाली कमेटी है उसमें विरोधी दल के नेता भी शामिल हैं। लेजिस्लेचर के नाम से कोई काम हो रहा है तो वह कोई गलत काम नहीं है। फिर हर पार्टी के नेता लोग उसमें शरीक हुये। इसके ऊपर सब की मोहर है ---करीब करीब सबकी मोहर। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है।

माननीय झारखंडे राय जी ने जो ५ बजे के बाद वाली बात उठाई तो और रोज तो ५ बजे के बाद ही हम लोग मीट करते रहे हैं, लेकिन आज की मजबूरी है। जयप्रकाश जी को हम लोगों ने बुलाया है। इसी मीटिंग के लिये वे आये हैं। फिर रात में जा कर उनको कानपुर में एक ट्रेन पकड़नी है। उसके लिये जरूरी है कि वे यहां से साढ़े ५, पौने ६ के करीब छुट्टी पा जायं। अगर ५ बजे उनका व्याख्यान शुरू होगा तो किसी तरह से उनको ट्रेन मिल नहीं सकती और जो काम हर्ज करके वे यहां आ रहे हैं उससे उनके प्रोग्राम में बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष---अब मैं इस सिलसिले में पहले स्पष्टीकरण इस बात का दे दूं कि आमतौर पर सदन के कार्य को स्थगित नहीं करना चाहिये, लेकिन इस वक्त यह बात स्पष्ट है कि पहले जब सूखे के ऊपर बहस के बारे में चर्चा हुई थी तो दो घंटे की चर्चा के लिये जिक्र आया था। मैंने कहा था कि इसके लिये एक रोज निश्चित कर दिया जाय और आज का रोज निश्चित हुआ। व्याख्यानों का प्रबंध करने वाली कमेटी में मैं भी स्वयं मौजूद हूं और मैं समझता हूं कि हमारे परिषद् के चेयरमैन और विरोधी दल के नेता भी उसमें मौजूद हैं। यह सोचा गया कि इस व्याख्यान-माला में जय प्रकाश नारायण जी को भी बुलाया जाय। तो हमारे एक प्रतिष्ठित आगन्तुक हमारे बुलाने से आते हैं तो उनकी सहूलियत के लिये सदन का समय थोड़ा सा कम कर लें तो मैं समझता हूं उसमें सदन की कोई अप्रतिष्ठा नहीं है। हमने यहां पर थोड़ा इसका जिक्र कर दिया, क्योंकि इस व्याख्यान-माला में कोई पार्टी विशेष की राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। पहले भी शाम को ५ या साढ़े ५ बजे चाय की पार्टी जब होती रही है और सदस्यों ने कहा कि आध घंटा पहले सदन की बैठक खत्म कर दो क्योंकि उस पार्टी में हम सब लोगों को जाना है तो हमने सदन का कार्य १/२ घंटा पहिले समाप्त किया है। चाय की पार्टी तो इतनी इम्पार्टेन्ट कभी नहीं हो सकती जितना कि जयप्रकाशनारायण जी का व्याख्यान है, लेकिन उसके लिये कभी-कभी सदन ने जल्दी कार्य खत्म करने का तय कर दिया था। सदन पूर्ण स्वतंत्र है अपने समय के नियंत्रण करने के बारे में। नियम १८ में भी दिया है कि कितने वक्त तक हम बैठें या न बैठें इसका सदन को पूर्ण अधिकार है और अप्रतिष्ठा की बात इसलिये भी नहीं है कि जब हमारी एक समिति में जिसमें कि सदन की करीब-करीब सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और उनकी तरफ से निमंत्रण हुआ है तो उसके लिये यह कारण देते हुये भी अगर सदन स्थगित करते हैं तो मैं उसमें कोई अप्रतिष्ठा नहीं समझता। इसलिये प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा का तो कोई सवाल नहीं उठता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

जहां तक इस हाल को इस्तेमाल करने की बात है, उस विषय में मुख्य मंत्री जी अपनी राय दे चुके। उनके चार्ज में या उनकी केबिनेट के किसी मंत्री के चार्ज में ही सरकारी भवन रहते हैं और वे ही इजाजत देते हैं। मैं भी इसमें कोई अनुचित बात नहीं समझता हूं। यदि कोई एकेडेमिक डिस्कशन्स इस तरह के होते हैं किसी विषय पर और किसी पार्टी विशेष के प्रचार के लिये कोई खास बात नहीं होती, सब तरह की राय उसमें दी जा सकती है, तो यह कोई अनुचित बात नहीं है कि उक्त हाल का उपयोग ऐसे व्याख्यानों के लिये हो। कांग्रेस पार्टी का शासन इस वक्त है लिहाजा इसमें भाषण देने वाले शायद कोई ऐसे भी होंगे कि जो कांग्रेस पार्टी की जो योजना है उसकी भी टीका करेंगे और कहेंगे कि इसमें यह त्रुटि है, इस से स्पष्ट है कि व्याख्यान इस तरह के नहीं हैं कि जिसमें किसी पार्टी विशेष के प्रचार के लिये अवसर लिया गया हो। ऐसी भी अवस्था आती है कभी-कभी, विधान भवन में तो नहीं, इसके बाहर विधायक निवास जो हैं उसमें पार्टी विशेष का प्रचार भी कभी-कभी हो जाता है। विधायक निवास की सरकारी इमारत है पर हम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि सब को मिल कर ही चलना है। अगर हर समय हम तन जांय कि बिल्कुल सिद्धान्त के विपरीत कोई बात न हो तो मैं समझता हूं एक दूसरे के पड़ोसी होने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं कि राजनारायण जी इसके ऊपर अपने हृदय में कोई ऐसी आशंका न रखें कि किसी खास वजह से कोई बात की गयी है। मुख्य मंत्री जी को व्याख्यानों के लिये हाल देने का अधिकार था और उन्होंने उचित ही किया है। अब मैं प्रस्ताव पर सदन की राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि आज सदन का कार्य सवा चार बजे समाप्त हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## भाषणों के लिये समय निर्धारण

**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेता लोगों को दस मिनट का समय रखा जाय और सदस्यों को ५ मिनट का रखा जाय ताकि अधिक से अधिक लोग बोल सकें।

**श्री अध्यक्ष**—इस समय नेताओं के खिलाफ मत मालूम होता है। मालूम होता है कि नेता रहित स्वतंत्र पार्टी बनने वाली है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक नेता की हैसियत से प्रस्ताव करता हूं कि दस मिनट का समय सब के लिये कर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—यही ठीक है। दस मिनट का समय सबके लिये रहेगा।

**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)—श्रीमान् जी, जो मैं कहता था वही बात आज माननी पड़ी। शेर की बात रह गई, श्रीमन्।

**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आप जरा मेरी मुसीबत समझें।

**श्री अध्यक्ष**—आपको १५ मिनट मिलेंगे।

**श्री राजनारायण**—हमें तो यदि आप कहें तो इस विषय पर बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे साथी माननीय रामस्वरूप जी वर्मा और उग्रसेन जी काफी तैयार हैं। मेरा निवेदन यह है कि श्रीमन्, जब किसी विषय पर दिन नियत करने की बात आती है तो हम आगे हो जाते हैं। इसमें दो दिन चाहिये। जिन पार्टियों के नेता दिन कम कराते हैं और उसमें उनका प्रयत्न होता है तो बोलने के लिये भी उनकी पार्टी को समय नहीं मिलना चाहिये। उनका समय कटना चाहिये। हमारा समय नहीं कटना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**—आपको १५ मिनट मिलेंगे। मैं दे दूंगा।

## अनावृष्टि के कारण राज्य में सूखे की स्थिति पर विवाद

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, तरीका यह रहा है कि जब कभी ऐसे विषय पर बहस मुबाहसा होता था तो सरकार की तरफ से कुछ सामान उपलब्ध करा दिया जाता था जिससे प्रदेश की हालत की जानकारी होकर के प्रदेश के साथ न्याय किया जा सकता था। लेकिन आज नया तरीका अपनाया जा रहा है। सूखा सारे प्रदेश में पड़ा और मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान भी इधर गया होगा। लेकिन आज माल मंत्री जी ने मुनासिब नहीं समझा कि इसके सम्बन्ध में सामग्री पहले से सदन के सामने रख देते कि अब तक जो बरसात का मौसम गुजर चुका है उसमें कितना पानी बरसना चाहिये था और कितनी बारिश हुई। इसके फीगर्स सरकार ही दे सकती है। दूसरा आदमी इतनी सामर्थ्य नहीं रख सकता है कि पूरे सूबे के सब जिलों की जानकारी प्राप्त कर सके। कुछ क्षेत्र के बारे में तो जानकारी की जा सकती है। सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। इस जिम्मेदारी को सरकार को पूरा करना चाहिये था और हाउस के सामने फीगर्स रखने चाहिये थे।

**न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह दिसेन)**--अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस खयाल में था कि पहले मुझे बोलने का मौका मिलेगा और मैं सब चीजों को रख दूंगा। लेकिन हमें आदेश मिला कि उधर से बोलेंगे।

**श्री अध्यक्ष**--जब माननीय सदस्य ने अपने अधिकार की मांग की तो मैंने उन्हें मौका दिया। अब वही पहले बोलेंगे।

**श्री गेंदासिंह**--श्रीमन्, इसमें मैं कोई सरकार की मेहरबानी नहीं समझता। वह स्टेटमेंट तो एक रोज पहले मिल जाना चाहिये था या सदन की मेज पर रख दिया जाना चाहिये था जैसा कि अब तक होता रहा है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई मशीन नहीं है कि एक दिन के लिये हम बैठकर खुराक के मामले पर बहस कर लें; किसी दिन सूखा पर बहस कर लें। यह बहस तो पिछले कई दिनों से करते चले आ रहे हैं, बहस की कितनी वकत हो गयी है वह मैं नहीं कहना चाहता। बहस हम इस गरज से करते हैं कि जो लोग मुसीबतजदा हैं उनकी तकलीफ में कुछ कमी हो सके। कोई भी सरकार यह पसन्द नहीं करेगी कि सूखा पड़े। वह सूखा पड़ाने वाली भी नहीं हो सकती है और न पानी बरसाने वाली हो सकती है। लेकिन हमारे सौभाग्य से कल कांग्रेस के जो एक इकोनामिक एक्सपर्ट हैं श्रीमन् नारायण जी वह हमारे बीच में कल चले आये और उन्होंने भाषण दिया। हमारा सौभाग्य था कि उसमें आप भी मौजूद थे। कल आपने भी खुल कर कहा। खुदा मियां ने पिछले दस बारह वर्षों में सरकार को सबक सिखाया कि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज है हम तुम को दे देते हैं। बाकी चीज तुम खुद करो। सबसे जो नायाब चीज है खुदा मियां के पास वह है आदमी। दूसरे खुदा मियां जो उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं उनको कह दिया यह सबसे बड़ी चीज हमने दे दिया तुम को जमीन और नदियां। अगर अक्ल हो तो उसका फायदा उठाओ। यह श्रीमन्नारायण जी ने भी कहा था। उन्होंने बताया कि जब युधिष्ठिर और नारद का संवाद हुआ तो नारद ने कहा कि तुम कहीं वर्षा पर तो निर्भर नहीं करते हो। मैं आज उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले बारह वर्षों में कितनी खेती को वर्षा से मुक्त कर दिया है? शायद वह इस जन्म में उत्तर प्रदेश की सारी खेती को वर्षा पर निर्भरता से मुक्त नहीं करा पायेगी। यह बड़े दुख की बात है कि जिस वक्त प्रान्त की इतनी बड़ी समस्या पर बातचीत की जाय और खेती-बारी के सम्बन्ध में बातचीत की जाय उस वक्त कृषि मंत्री का पता नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि सूखे पर अब बहस होने वाली है तो वह यहां से चले गये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं सुनता था कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जब हिन्दुस्तान पर बहस होती थी तो बहुत से मेम्बर गैर हाजिर हो जाया करते थे। आज खेती-बारी

[श्री गेंदासिंह]

पर जब बहस करनी है तो मैं समझता हूं कि बहुत काफी हैं माल मंत्री जी भी, लेकिन उनको सब जानते हैं कि वह मजाकपसन्द हैं और मालूम नहीं इस विषय पर भी कहीं मजाक करने लगे।

**श्री हुकुमसिंह** --बिलकुल नहीं।

**श्री गेंदासिंह** --बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग गम्भीरतापूर्वक इस बात को जिम्मेदारी ले सकते थे उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं, उनमें से कोई सुनने वाला नहीं है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से अगर जिम्मेदारी से कह सकते हैं तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कहें।

१९४६ से १९५८ तक १२ वर्षों में ४३ लाख एकड़ जमीन को सिंचाई का प्रयत्न हमने किया और ४३ लाख एकड़ जमीन को पानी देने में समर्थ हो गये, लेकिन इनमें से केवल १४ लाख एकड़ जमीन को पानी दे सके नहर, ट्यूबवेल व कुएं खोद कर। जो एक अरब के करीब खर्च किया— यह फीगर बिलकुल ठीक नहीं है --उससे ४३ लाख एकड़ को सींचने की शक्ति पायी लेकिन १४ लाख एकड़ को पानी दे पाये २९ लाख एकड़ को नहीं दे पाये। क्यों नहीं दे पाये? अब्बल तो पानी का दाम इतना मंहगा है कि किसान ले नहीं सकता। श्री सिंहासन सिंह, एम० पी० गोरखपुर के हैं। अध्यक्ष महोदय, आप उनको जानते हैं। वह बढ़-चढ़ कर बात करने वाले आदमी नहीं हैं। एक अनुभव उन्होंने अपना बताया। उन्होंने अपना ४ एकड़ धान बोया और उसमें सिंचाई के लिये एक मर्तबा पानी दिया। उसके लिये उनसे १२६ रुपया मांगा गया। उन्होंने कमलापति जी त्रिपाठी, इर्रीगेशन मिनिस्टर को लिखा। १२६ रुपये में से कम होते होते उनको ९६ रुपया देना पड़ा। १२६ रुपये ४ एकड़ पर देने के मायने हुये कि ३१ रुपया फी एकड़। ३१ रुपया पर एकड़ पानी का चार्ज यदि किसी आदमी से चार्ज किया जाय तो फिर वह आदमी पानी लेगा?

इस सम्बन्ध में मुझे और भी उदाहरण मालूम हैं लेकिन मैंने एक उदाहरण सिंहासन सिंह जी का नाम लेकर दिया। उन्होंने इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब को तकलीफ दी। मिनिस्टर साहब का जवाब गया कि तुम्हारे खेत में १४ इंच पानी चला गया। आप समझें कि यदि १४ इंच पानी किसी खेत में चला जायगा तो वह खेत बिलकुल डूब जायगा। तब धान की फसल कैसे होगी? यह हैं हमारे इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट की खूबियां। अब आप हमारी ४३ लाख एकड़ भूमि की पोटेन्शियलिटी को देखें। १४ लाख एकड़ में खरीफ बोई गई यह देखने की बात है....

**श्री अध्यक्ष** --अब आप यह भी तो बतायें कि कहां-कहां सूखा है।

**श्री गेंदासिंह** --जी हां, मैं उसी पर आ रहा हूं। माइनर इर्रीगेशन में क्या किया। हमने उसमें कुछ नहीं किया। हमारे सूबे में खरीफ की फसल बड़े महत्व की है। जितनी हमारी पूरी खेती है उसमें आधे से ज्यादा में हम खरीफ पैदा करते हैं। २,२८ लाख एकड़ भूमि पर हम प्रति वर्ष खरीफ पैदा करते हैं। २७,२८ लाख एकड़ पर खरीफ में गन्ना होता है। तो ढाई करोड़ के करीब ऐसी हमारी फसल है जिनके लिये पानी की जरूरत पड़ती है। इतनी फसल को आपको सिंचाई की जरूरत पड़ती है वाहे उसको कहीं से भी पानी दिया जाय। किसी किसी जिले में तो वक्त मुकर्रर है फसल बोने का लेकिन पिछले कई वर्षों से जिस वक्त पानी बरसता है उस समय किसान अपनी फसल को बोता है। तीन रुपये से लेकर पांच रुपये तक देने से पानी बरसा तो मानी हुई बात है कि जहां कहीं पर एक अवधि मुकर्रर है फसल को बोने का तो कुदरती तौर पर उसका वक्त घटता है। खरीफ की फसल अगर तीन रुपये या चार रुपये बाद बोई जाती है तो उसका समय घटता है। मैं इस वक्त कहने में बिलकुल संकोच नहीं कर रहा हूं। मैं

यह समझता हूं कि जो खुशकर वर्षा होनी चाहिये इस वर्ष वह एक से तीन हफ्ते तक नहीं हुई। फिर बरसना शुरू हुआ तो वह कम बरसा। कोई जिला बाकी नहीं है जहां पर ज्यादा बरसा हो। कुछ लोगों ने कहा कि पानी ज्यादा बरसा। कहीं पानी जरूर ज्यादा पड़ा होगा और उनके यहां बाढ़ आई होगी। कुछ जगहों पर जरूर बरसा लेकिन अभी ३,४ दिन पहले मेरे कानों में यह आवाज जरूर पहुंची कि सूखा पड़ गया। इस बीच में खुदा ने भी मंत्री जी की बात को सुना और पानी बरसा। खुदा को मालूम हुआ कि २,४ दिन में यहां पर बहस होने वाली है तो उसने इनकी बात को सुना। खुदा को मालूम हुआ कि सरकार के ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है तो वहां से कुछ पानी आया। पानी जो कुछ इस साल बरसा, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, कि इस साल पानी बरसने का कुछ अजीब ढंग रहा यानी हजरतगंज से पानी बरसते में मैं चला लेकिन जब मैं रायल होटल के पास पहुंचता हूं तो देखता हूं कि कड़ी धूप है। इस वर्ष जिस समय पानी बरसने का वक्त रहा, जिस वक्त मानसून होने का समय था उस वक्त मानसून नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार से जो पानी बरसने का तरीका रहा, उसके लिये मैं इंचार्ज बताकर वास्तविकता को बताना चाहता हूं क्योंकि उसके फिगर मेरे पास नहीं हैं। मैं यह समझता हूं उससे खरीफ की फसल को बड़ी भारी क्षति हुई है और खरीफ की फसल को हम बचा सकते थे अपने ट्यूब-वेल से पानी दे कर, सस्ता पानी देकर, माइनर इरिगेशन के कामों को शुरू करके, कच्चे कुवें खुदवा कर। यह ठीक है कि बरसात में कच्चे कुवें खोदना मुश्किल काम है, लेकिन यह एक साल का काम नहीं है। हमारा तो यह फैशन हो गया है कि हम हर साल सूखे पर बहस कर लें और मजाक में उसके बाद सब खत्म कर दी जाय। मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ गंभीरतापूर्वक इस बात का विचार करना चाहिये और दूसरे सूबों से भी वह सबक लें।

मद्रास का उदाहरण मैं पढ़ रहा था। उसने देखिये, बिजली कितनी बढ़ायी, खेती में कितनी बिजली दी और अपने माइनर इरिगेशन को कितना बढ़ाया। बड़ी चर्चा थी रिहन्द डैम की, उसके बनने के बाद हम ट्यूब वेल बनायेंगे, पानी के लिये बिजली देंगे और देहातों को सस्ती बिजली दे सकेंगे। लेकिन वह तो बिरला जी के पास गयी। गरीब किसान के रास्ते में जो चीज आती है न मालूम वह कहां निकल जाती है और उसके पास तक पहुंचती नहीं। खुदा मियां भी नाराज हैं इसलिये पानी और कहीं निकल गया और कुछ इंतजाम हुआ भी था तो वह बिरला जी का हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि गरीब किसान के लिये भी कोई बन्दोबस्त हो सकेगा या नहीं। उसके लिये हम क्या उपाय करें। कल तक जो पानी बरसा है, मंत्री जी बतलायेंगे कि कुछ जिले ऐसे हैं कि जिनमें पानी बिलकुल नहीं बरसा। मैं समझता हूं कि उन जिलों को बचाने के लिये एक लांग रेंज पालिसी हम को बैठ कर बनानी चाहिये ताकि हम खुदा मियां के भरोसे पर ही न रह जायं।

थर्ड फाइव इयर प्लान आ रहा है, उसमें हमको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि हम अधिक से अधिक जिलों में हर जगह पानी पहुंचा सकें। मैं बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं करता, जैसा आपने कहा, मैं उससे ऐग्री करता हूं, बड़े प्रोजेक्ट बिजली के लिये बनाये जायं लेकिन पानी के लिये हमारे पास हाथ हैं, यह बड़ी भारी देन भगवान ने दी है हमको। सरकार तो उसकी प्रतिनिधि है। अगर वह पानी का इंतजाम कर सके तभी सरकार उसके प्रतिनिधि का सही स्थान ग्रहण कर सकती है, लेकिन अगर सरकार के होते हुये हम भूखों मरें, तो क्या होगा। दूसरे मुल्कों में ऐसी परिस्थितियों में सेक्रेटेरियट खाली कर दिये गये और सारे अफसरों को हुक्म दिया गया कि अपनी सारी शक्ति से मुकाबिला करें और उन्होंने जा कर गांवों में गाना नहीं गाया। उन्होंने काम किया, किसानों और मजदूरों से मिल कर किस तरह से जमीन से पानी निकाला और फसलों को बचाया, यह देखने की चीज है। यू० पी० की सरकार ने क्या किया। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार के कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार सब इस काम में लगे हुये हैं कि जो हम कहते हैं वह झूठ किस तरह साबित करें। इसी में उनकी सारी शक्ति लगी हुई है।

**श्री अध्यक्ष**--माननीय मंत्री जी अब अपना स्टेटमेंट दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---मैंने तो पहले ही इरादा किया था, अध्यक्ष महोदय, कि मैं सदन में पहले कुछ अर्ज करूं लेकिन जब उधर से यह हुक्म जारी हुआ कि नहीं, चूंकि विवाद को उस तरफ से तलब किया गया है लिहाजा उनको पहले बोलने का हक है, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि उनके हुक्म की तामील करूं और इस वजह से खामोश रहा ।

इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि इस साल बारिश कुछ देर में शुरू हुई और दूसरे खंड-वर्षा हुई, यह हम सभी लोग जानते हैं और इसके फलस्वरूप बोवाई में भी कुछ देर हुई । कुछ जिलों में वक्तन-फवक्तन वर्षा हुई लेकिन जो नार्मल बारिश वहां की थी उससे कम अवश्य हुई । मैं श्रीमन् की इजाजत से यह बता देना चाहता हूं कि अब तक किन जिलों में नार्मल से ऊपर बारिश हुई, किन में नार्मल के लगभग हुई और किन जिलों में नार्मल से कम हुई । वह आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं ।

सहारनपुर, आगरा, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, जालौन, गढ़वाल---इन ७ जिलों में नार्मल से कुछ अधिक वर्षा हुई । करीब-करीब नार्मल के मुताबिक मुजफ्फरनगर, मथुरा, पीलीभीत, इटावा, लखनऊ---इन ५ जिलों में हुई । नार्मल के लगभग ७५ फी सदी बारिश देहरादून, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, कानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, अल्मोड़ा, उन्नाव, रायबरेली, खीरी, फैजाबाद, गोंडा, नैनीताल, बिजनौर, फतेहपुर, टेहरी-गढ़वाल, बलिया ---ये अगस्त के आखीर तक की फिगर्स हैं । और ६० से ७५ फीसदी तक नार्मल की बारिश बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, और रामपुर में हुई । ५० से ६० फीसदी तक मुरादाबाद, वाराणसी और प्रतापगढ़ में हुई ऐसी रिपोर्ट है हमारे यहां जो हफ्तेवार और फोर्टनाइटली रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक यह स्टेटमेन्ट तैयार किया गया है जो मैंने सदन के सामने पढ़ कर सुनाया है । इसके अलावा अभी हाल में जो हमारे पास रिपोर्ट आयी है कि सितम्बर के पहले हफ्ते में जो मुख्तलिफ जिलों में ६--७--८ तक बारिश हुई है वह इस सदन के माननीय सदस्यों की इत्तला के लिये अर्ज करना चाहता हूं ।

देहरादून, ५.८२, सहारनपुर, १.५०, मुजफ्फरनगर १.२७....

**श्री अध्यक्ष**---यह सेंटीग्रेड में है या इंचेज में ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---इंचेज में है, श्रीमन् । मेरठ ३.३७, बुलन्दशहर ३.४४, अलीगढ़ ·४४ प्लस १.३०---७ तारीख को यह बारिश हुई है ।

**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष**---आप क्या हिन्दी में आंकड़े चाहते हैं ?

**श्री जंगबहादुर वर्मा**---जबकि माल मंत्री अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो यह बताने का कष्ट करेंगे कि वह किसानों की हालत की जानकारी और सूखा की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---वह मैं खूब समझता हूं ।

**श्री अध्यक्ष**---आप हिन्दी में कहिये ।

**श्री हुकुम सिंह विसेन**---मैं हिन्दी में कहता हूं । अलीगढ़ में आशारिया ४० इंच मुस्बत १ आशारिया ३० इंच । मथुरा में आशारिया ३२ इंच, आगरा में आशारिया २६ इंच, मैनपुरी में आशारिया १७, एटा में आशारिया २५, बरेली में ४ आशारिया १४, बिजनौर में २ आशारिया ३०, बदायूं में ३ आशारिया ७०, मुरादाबाद में १ आशारिया ९३, शाहजहांपुर में

१ आशारिया ७०, पीलीभीत–२ आशारिया ९९ इंच। रामपुर–३ आशारिया ८८, फर्रुखाबाद–३ आशारिया ०६, इटावा-आशारिया ०५, कानपुर-आशारिया ४८, फतेहपुर-१ आशारिया ८५, इलाहाबाद–१ आशारिया ०४, बांदा-आशारिया ७५, हमीरपुर-आशारिया १६, झांसी–२ आशारिया २, जालौन–१ आशारिया ६०, वाराणसी–१ आशारिया ९२ मुसबत १ आशारिया १७, आठ तारीख की बारिश का कुल जोड़–३ आशारिया ०९, मिर्जापुर-आशारिया ३६, जौनपुरमें २ से ५ इंच तक, ७ तारीख को बारिश ज्यादा हुई, गाजीपुर एक इंच और आशारिया ३३, सात तारीख को बारिश हुई। बलिया-आशारिया ३३, सात तारीख को बारिश हुई, गोरखपुर २ आशारिया ८६, बस्ती-आशारिया ६७, आजमगढ़-अशारिया ३०, देवरिया-आशारिया १३, नैनीताल–३ आशारिया ३०, अल्मोड़ा–१ आशारिया २८, गढ़वाल–१ आशारिया ९१, टेहरी-गढ़वाल–४ आशारिया ९०, लखनऊ–१ आशारिया २५, उन्नाव–३ आशारिया ३२, रायबरेली–आशारिया ६८, सीतापुर २ आशारिया ७७, हरदोई–२ आशारिया ०७, खीरी–१ आशारिया ०९, फैजाबाद-१ आशारिया ८५, गोंडा-३ आशारिया ५, बहराइच–२ आशारिया ४८, सुल्तानपुर में २ इंच, प्रतापगढ़–१ आशारिया ६६ और बाराबंकी-२ आशारिया ८२।

तो यह जो हमारी मौजूदा रिपोर्ट है उसके मुताबिक बारिश हुई है जिसकी इत्तला मैंने सदन को दे दी और बकिया माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद आखिर में जवाब दूंगा।

**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखे का प्रश्न हमारे यहां उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। सूखे की प्राब्लम जो हमारे यहां रही है उसका सवाल वक्तन फवक्तन यहां पर उठाया जा रहा है और यह आवाजें आती रही हैं कि हमारे यहां जो सिंचाई की कमी है उसके लिये प्रबन्ध होना चाहिये। समय-समय पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है। इधर ३–४ सालों से अधिक वर्षा होने के कारण यह प्रश्न कुछ दब-सा गया था लेकिन यह तो बहुत पुरानी बीमारी है। अब प्रश्न यह है कि इस सूखे की बीमारी से बचने के लिये क्या हल निकाला जाय, कैसे सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय। इस सम्बन्ध में समय समय पर सदन में प्रश्न उपस्थित होते रहे हैं और इस पर आदरणीय सदन विचार-विमर्श करके सरकार को सुझाव देता रहा है। सरकार भी योजना बना कर उस पर अमल करने की कोशिश करती रही है। अभी इस सम्बन्ध में गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने जो अपने विचार रखे मैं उनसे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बड़ी योजनाओं का सवाल है उसमें बहुत समय लगता है और रुपया भी बहुत खर्च होता है। समय-समय पर समाचार-पत्रों से यह भी जाहिर होता रहा है कि फौरन रुपया नहीं मिलता है, विदेशों से समय पर मशीनरी नहीं आती और हमारे यहां इंजीनियरों की कमी है इसलिये कोई ऐसी योजना निर्धारित अवधि के अन्दर तैयार हो जायगी, इसमें भी सन्देह होता है। तो फिर हम छोटी योजनाओं पर क्यों न जोर देकर इस प्राब्लम को जो उत्तर प्रदेश में है, हल करें। मैं इस राय का हूं कि जहां तक कुएं से सिंचाई हो सके, कुएं से की जाय।

हमारी सरकार की तरफ से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम यह बनायी गयी कि पलेवा चैनल्स जगह-जगह पर बनायी जायं लेकिन उस योजना पर जितना अमल होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ। पलेवा चैनल्स की योजना ऐसी है कि उससे बरसात के दिनों में और नवम्बर, दिसम्बर तक पानी दिया जा सकता है। जहां तक धान, गन्ना, ज्वार और बाजरा की फसल का ताल्लुक है उनको पानी नवम्बर और दिसम्बर तक दिया जा सकता है। उसके लिये यह पलेवा चैनल्स बहुत ही सहायक हो सकती थीं। लेकिन उस योजना पर पूरे तौर से अमल नहीं किया गया। अब हमारे यहां जो भी योजनायें शुरू की जायं वे क्षेत्र को देखते हुए की जानी चाहिये। बहुत-सी ऊबड़-खाबड़ जमीन है, जहां चैनल्स नहीं निकल सकती, वहां ट्यूबवेल्स लगाये जायं, जहां ट्यूबवेल्स नहीं खोदे जा सकते, वहां छोटे-छोटे कुएं बनाये जायं और यदि कुएं जहां न खोदे जा सकते हों तो वहां छोटी-छोटी बंधियां बनायी जायं। जहां

[श्री रामहेतसिंह]

ट्यूबवेल्स नहीं बन सकते हैं वहां १००–१५० फीट तक बोरिंग करके काम चलाया जा सकता है और इस प्रकार से हमारी सूखा की समस्या हल की जा सकती है। हम क्यों बड़ी योजनाओं पर पैसा खर्च करें। क्यों ऐसी योजनायें बनायें कि केन्द्र के इन्तजार में रहें कि वह कब रुपया दे। हमारी प्रान्तीय सरकार की तो यह पालिसी होनी चाहिये कि हम ऐसी छोटी योजनाओं को पहले अपने हाथ में लें जिनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं और इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि हम इस सूखा के सवाल को हल कर सकते हैं।

मैं रामगंगा योजना का एक हवाला देना चाहता हूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह सूचना दी गयी थी कि यह योजना प्रथम अथवा द्वितीय योजना तक तो पूरी हो ही जायगी। इसी प्रकार की और बहुत-सी योजनायें सदन के सामने आती गयीं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, यह एक ऐसा सवाल है जिसे सरकार भी जानती है और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन अब जो भी हम तृतीय पंचवर्षीय योजना बनायें और उसमें अभी एक साल मौजूद है, हम इस समस्या को हल कर लें तो हमारी खाद्य समस्या भी हल हो सकती है। मेरा अपना ऐसा खयाल है कि इन छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिये ही प्रान्त का खर्चा करें, उनकी ओर अधिक ध्यान दें।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

अभी माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सदन के सामने पढ़ी और गेंदासिंह जी ने जो सूखा के बारे में कहा, मैं उनसे सहमत हूं कि इस बार बरसात का जो ढंग रहा है वह वास्तव में अजीब रहा है। वर्षा के बारे में मथुरा की रिपोर्ट ठीक हो सकती है लेकिन इस सप्ताह में जो वर्षा हुई है, मेरी खबर है कि वह कतई वहां नहीं हुई। कल या परसों वहां मामूली-सी फुहार पड़ी। जो यह पिछले आंकड़े हैं, हो सकता है मथुरा शहर में वर्षा हुई हो लेकिन जहां तक पूरे एरिया का ताल्लुक है, मुझे पूरी तरह से शुबहा है कि वहां औसत वर्षा का आंकड़ा आ गया हो। क्योंकि मैं अभी तीन-चार दिन पहले मथुरा जिले में एक काम से गया था तो वहां से आते हुए मैंने अच्छी तरह देखा कि आगरा, एटा, मैनपुरी के जिले जो बीच में पड़ते हैं, वहां खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुंची है। ज्वार, बाजरा तो काफी बर्बाद हो चुका है और ईख की फसल जो इस समय होती है वह भी अच्छी नहीं है। तो जो यह कहा गया कि आगरा में औसत से अधिक वर्षा हुई है—हो सकता है कि किसी एरिया में हो लेकिन जहां तक फसलों को देख कर अनुमान लगाया जा सकता है वह अनुमान इस कसौटी पर पूरा नहीं उतरता कि इन जिलों में वर्षा औसत या औसत से अधिक हुई है। यह मेरी अपनी राय है। जब हमारी पुरानी बीमारी है, पुराना प्राब्लम है, हर साल की बीमारी है सिवा तीन चार साल को छोड़ कर। तो हम क्यों न उस पर अधिक जोर दें, क्यों न हम अपनी सारी ताक़त उन छोटी छोटी योजनाओं पर लगा दें जिन योजनाओं से हमारा यह प्राब्लम हल हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सूखा ही एक प्राब्लम नहीं है, इसके साथ-साथ और भी कई दिक्क़तें हैं लेकिन यह शिकायत हल हो जाने से हमारी और भी दिक्क़तें हल हो जाती हैं। आये दिन हम सवाल उठाते हैं कि हमारे यहां शुगर की कमी है, आये दिन हम विदेशों से अन्न खरीदने और मंगाने का सवाल उठाते हैं। यदि हमारे यहां सूखे की समस्या हल हो जाती है और हम पानी के बारे में आत्म निर्भर हो जाते हैं तो हमारे सूबे की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी।

सिंचाई का सवाल हमारे पड़ोसी पंजाब में और राजस्थान में भी है जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। वहां पर भाखड़ा योजना और चम्बल योजना के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट पेपर में निकली उससे मालूम हुआ है कि हमारी सारी जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर है कि उसमें यहां के लोग पानी की योजना बनायें और छोटी छोटी सिंचाई की योजनाओं पर जोर दें तथा केन्द्र का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें कि वह

सिंचाई की योजना में ज्यादा से ज्यादा बन दें। हमारा पड़ोसी सूबा पंजाब है वह इस मामले में हमसे बहुत आगे है। वहां सिंचाई के साधन पहले से थे लेकिन इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो वहां की सरकार ने किया वह मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने शिकायत के रूप में रखना चाहता हूं। आज भी पलेवा चैनल्स पंजाब में बहुत से बने हुए हैं लेकिन उनके होते हुए भी पिछले साल वहां यमुना से पलेवा चैनल के रूप में एक नहर बनी और जब हमने सवाल उठाया तो सरकार ने जवाब यह दिया कि वह पलेवा चैनल है, उसका असर हमारे ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शुबहा है कि जब पलेवा चैनल के रूप में नहर बनी तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हमने यह सवाल उठाया कि क्यों न हम केन्द्रीय सरकार पर इस तरह का जोर दें कि वह हमारी सरकार से सलाह मशविरा करके इस तरफ कदम उठावे जिससे पंजाब सरकार जो पलेवा नहर निकालना चाहती है उसे छोड़ दें?

यदि हम उत्तर प्रदेश में पलेवा नहर को निकालते हैं तो उससे बहुत एरिया को हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मेरी यह गुजारिश है कि हमारा दृष्टिकोण उधर होना चाहिये और हमारा पूरा इरादा सिंचाई की सुविधा बढ़ाने का होना चाहिये। यदि हम को यह समस्या हल करनी है तो हमें इस समस्या को प्राथमिकता देनी ही होगी। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कहने जा रहा हूं कि एक दफा और योजनायें कम हो जाय, सड़क योजना कम हो जाय, हमारी दूसरी योजनाओं में विशेष पैसा खर्च न हो, उसमें कटौती करके भी यदि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को अधिक पानी दे सके और इस प्राब्लम को हल कर सकें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जायेंगे। हमने प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में और जो दूसरी योजनायें चलायी हैं, उन योजनाओं से हम यह समझ लेंगे कि यदि सिंचाई की सुविधा देदी तो हमारी सारी योजना सफल हो गयी। यदि हमारी यह योजना अधूरी रही तो हमारे सारे प्राब्लम्स ज्यों के त्यों रहेंगे और कोई योजना सफल नहीं होगी जब तक कि इसे प्राथमिकता न दी जाय।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद को प्रारम्भ करते हुए माननीय गेंदासिंह जी ने यह शिकायत की थी कि इस विवाद के लिये जो दिन रखा जाता है उसकी और उस विवाद की जितनी कद्र होनी चाहिये, जितना उसका महत्व होना चाहिये उतना महत्व सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, मैं उनकी इस शिकायत का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ अपने सब साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग खुद भी उस की कितनी कद्र करते हैं इस बात पर हम स्वयं भी विचार करें।

सम्भवतः सूखे से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस पर विचार करने के लिये दो बातों पर विचार करना चाहिये और ध्यान देना चाहिये। एक तो यह कि इस समस्या का स्थायी हल करने के लिये सिंचाई का ऐसा प्रबन्ध किया जाय, जैसा कि पुराने जमाने में कहते थे कि खेती गेम्बलिंग विद दि रेन्स है, अर्थात् भगवान की कृपा हो गई तो वर्षा हो गई और खेती हो गई और अगर वर्षा न हुई तो सब कुछ डूब गया। तो इस सूखे की आशंका को दूर करने के लिये सिंचाई का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वर्षा न भी हो तब भी खेती हो सके। बहुत बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और आज भी अभी तक जो दो माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह जी व श्री गेंदासिंह जी बोले हैं उन्होंने भी इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और मैं समझता हूं मेरे बाद भी जो माननीय सदस्य बोलेंगे वे भी बहुत कुछ इसी समस्या पर प्रकाश डालेंगे। मैं इसके केवल एक ही पहलू पर ध्यान दिलाऊंगा।

जहां तक सिंचाई की समस्या की लांग टर्म पालिसी की बात आती है उस में तो दस-पांच वर्ष लग सकते हैं लेकिन उस वक्त तक के लिये जो फौरी सवाल है वह यह है कि सूखे के कारण अब जिनकी फसल को नुकसान पहुंचता है उन की सहायता के लिये सरकार क्या करना चाहती है। मैं इसी बात की तरफ सरकार का ध्यान

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

दिलाना चाहता हूं। हम सूखे पर बोलते हुए उस के विषय में लांग टर्म पालिसी पर बहस करें तो उस से कोई तात्कालिक लाभ हमारे किसान को नहीं होगा, उन को तात्कालिक रिलीफ देने की तरफ सरकार ध्यान दे और मैं कोई वजह नहीं समझता। गांव में रहना कोई पाप नहीं है, खेती करना कोई जुर्म नहीं है, अगर नहीं है तो यह नहीं माना जाना चाहिये कि जिस तरह से पापी की उपेक्षा होती है उसी तरह से गांव के रहने वाले लोगों की भी उपेक्षा की जाय, जिस तरह से मुलजिमों को सजा दी जाती है उसी तरह से बेचारे किसानों को सजा दी जाय। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में जो उस की नीति है उस पर विचार करे कि गांव के लोगों को और किसानों को सामाजिक न्याय नहीं मिलता जो संविधान के अनुसार मिलना चाहिये, जिस समान अवसर की बात सब के लिये संविधान में है वह उनको नहीं मिलता, नागरिक सुख-सुविधा का उनके लिये वह प्रबन्ध नहीं है जो शहरों में है और सामाजिक सुरक्षा का भी उनके लिये वह प्रबन्ध नहीं है जो नगर के लोगों को प्राप्त है और वहां के मजदूरों तक को प्राप्त है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिस तरह से शहर के मजदूरों की सुरक्षा का प्रबन्ध करती है, अपने कर्मचारियों के लिये प्राविडेंट फंड आदि का प्रबन्ध करती है और इन्श्योरेन्स फंड या बीमे आदि का प्रबन्ध करती है, उसी तरह से गांव के किसानों के लिये फसल का बीमा आदि का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वह दैवी आपदाओं, ईति भीति और जिनको ऐक्ट आफ गाड कहते हैं उनसे कि जिन पर मनुष्य का काबू नहीं है और जो विपत्ति कि बिना उनके दोष के आती है उन से छुटकारा दिलाने के लिये सरकार किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, जितनी सहानुभूति कि वह शहरों के मजदूरों के लिये करती है। उनके लिये करती है वह ठीक करती है मैं उसका अनुमोदन करता हूं लेकिन वह गांव के लोगों के संकटों पर विचार नहीं करती, इसकी मुझे शिकायत है और मैं आपके द्वारा पुनः प्रार्थना करता हूं कि सरकार उन की समस्या पर विचार करे।

कृषि के लिये कोई नेशनल इंश्योरेन्स फंड आदि क्यों नहीं कायम किया जाता? यह बात मैं तीन चार साल से बराबर कहता आ रहा हूं और आज से ३ साल पहले भी मैंने इस बात को कहा था और इस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं और इस पर सरकार विचार करेगी लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में क्या हुआ यह हमें नहीं मालूम। हमें खेद है कि उस सुझाव की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इसी तरह से आज से कुछ दिन पहले इस सदन में एक प्रस्ताव आया था। वह यह था कि महामारी से कहीं के किसानों के बहुत से पशु मर गये। उनके मरने पर सरकार से पूछा गया कि सरकार ने क्या किया। सरकार ने कहा कि तकावी दी गयी है। जब पूछा गया कि उस पर सूद ले रही है सरकार तो कहा कि हां ले रहे हैं। मैंने प्रार्थना की कि आप कैटिल इंश्योरेन्स का जब प्रबन्ध नहीं करते उनके लिये तो क्या आप उनके साथ यह भी नहीं कर सकते, दया के नाम पर, मानवता के नाम पर और उन तमाम सिद्धान्तों के नाम पर जिनके अनुसार शहर में प्रबन्ध करते हैं, कि जब तक कैटिल इंश्योरेंस का प्रबन्ध न किया जाय तब तक कम से कम सूद तो छोड़ दें। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पैदावार बढ़े, सामाजिक सुरक्षा सब को मिले, सामाजिक न्याय सब को मिले, समान व्यवहार सब को मिले, तो किसानों और गांवों के लिये भी जब प्राकृतिक प्रकोप से वे पीड़ित हों उनकी सहायता का प्रबन्ध करना चाहिए। जब तक सिंचाई की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं होती तक तब क्राप इंश्योरेंस का प्रबन्ध करना चाहिए। उनकी फसलों को नुकसान पहुंचे तो उस फंड से उसे पूरा करना चाहिये। शहरों के लिये प्रबन्ध करें और किसानों के लिये न करें यह ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था अध्यक्ष महोदय से कि नेताओं के लिये भी १० मिनट रखा जाय। मैं तो दुर्भाग्य से उन नेताओं में से हूं जो १० मिनट से भी कम समय लूंगा और साथी चाहें तो ५ मिनट में भी अपनी बात समाप्त कर सकता हूं। इसलिये मैं ज्यादा

समय नहीं लूंगा, केवल एक बात और कहूंगा। इंश्योरेंस का कोई प्रबन्ध होना चाहिये। जब तक न हो तब तक जो हानि पहुंची हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये।

पश्चिमी जिलों के बारे में विशेष तौर से एक बात कहनी है। पिछले कई साल से आबपाशी की जो रकम ली जाती है उसमें मि हाई तीन आने रुपये दी जाती है—लेकिन अब वह बन्द कर दी गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बात पर खास तौर से ध्यान दें कि जहां सूखा से नुकसान हुआ है वहां पर मिन्हाई (छूट) तीन आने रुपये देने के प्रश्न पर अवश्य विचार करें। मैं समझता हूं कि सरकार इन तात्कालिक सुविधाओं का अवश्य ध्यान रखेगी।

**श्री दाताराम चौधरी** (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सूखे की बात हमारे भवन में चल रहा है इसमें सिंचाई की बात ही होगी। लेकिन सिंचाई मंत्री यहां पर हाजिर नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा सुझाव देना कोई फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि सिंचाई के बारे में जवाब मालमंत्री जी तो दे नहीं सकेंगे। वह तो सिंचाई मंत्री ही बतलाते। मेरा खयाल है कि उनका कोई डिप्टी मिनिस्टर भी मौजूद नहीं है। यह एक बड़ी बदकिस्मती की बात है।

मालमंत्री जी ने शुरू में जो आंकड़े पेश किये उससे यह साफ जाहिर है कि वर्षा अब की ठीक ढंग से नहीं हो रही है। कहीं ज्यादा हो गई है और कहीं बहुत कम है। मैं तो सहारनपुर जिले से आता हूं। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि अब की वर्षा और सालों से वहां ज्यादा हुई। अभी २२ तारीख में मेरे क्षेत्र में एक जगह १४ इंच वर्षा हुई और उससे फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो जहां पर हमें सिंचाई के साधनों का इंतजाम करना है वहां यह भी देखना है कि अगर ज्यादा पानी बरस जाय तो उस पानी की निकासी का भी प्रबंध हो। वरना सूखे से ज्यादा पानी के गिर जाने से नुकसान होता है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाओं में काफी देर लगती है, बाहर से सामान आता है, काफी दिक्कत होती है जिसकी वजह से सरकार को हानि उठानी पड़ती है और किसानों को भी नुकसान होता है। इसलिये छोटी-छोटी योजनाओं पर ही सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये तभी काश्तकारों को लाभ होगा। मिसाल के तौर से जैसा हमारे साथी माननीय रामहेत सिंह जी ने बताया पंजाब सरकार ने पलेवे की एक नहर निकाली उससे ज्यादा फायदा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी इतना फायदा जरूर हो जाता है कि किसान अच्छी तरह से अपनी जमीन को बो सकता है और पानी देने का और तरह से इंतजाम कर सकता है।

दूसरी परेशानी यह हो जाती है जो जमुना नदी है जिसकी सरहद यू०पी० और पंजाब की बनती है तो पंजाब की सरकार तो अपना कुछ इंतजाम करती रहती है, कभी नहर निकाल लेती है, बांध बना देती है लेकिन हमारी तरफ कोई इंतजाम नहीं है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां जमुना नदी पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच में है। मेरे यहां के किसान काफी शिकायत करते हैं जब वे देखते हैं कि पंजाब सरकार ने तो उससे सिंचाई के साधन निकाले हैं लेकिन हमारे प्रदेश में कोई इंतजाम नहीं है।

इसके अलावा पंजाब में १०,१० एकड़ के काश्तकारों को बिजली का इंतजाम कर दिया गया है जिसकी वजह से लोगों ने अपने ट्यूबवेल्स लगा लिये हैं, माना कि उनको भाखड़ा की वजह से सुविधा है, लेकिन हमारे यहां सरकार अगर बिजली बड़े-बड़े कारखानों को न दे कर काश्तकारों को देगी तो पैदावार बढ़ेगी वरना अरबों रुपया हर साल बाहर जाता रहेगा। अगर वह रुपया यहीं खर्च किया जाय तो उससे काफी फायदा देश का होगा।

किसानों को छूट देना चाहिये। प्रदेश में सरकार ने तीन आने की छूट दी थी अब मुझे मालूम हुआ कि वह छूट वापस ले रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। मिसाल के तौर पर ट्यूबवेल सरकार ने बहुत जगह बनाये हैं और सिंचाई भी होने लगी है लेकिन उनका

[श्री बाताराम चौधरी]

इंतजाम इतना खराब है, जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा, धान की एक मिसाल दी थी एक एकड़ की, शायद वह ट्यूब वेल के पानी की ही दी होगी। तो अगर यह बात सही है कि उसका ठीक ढंग से इंतजाम नहीं है, आपरेटर पर नियंत्रण न रखने और पानी ठीक ढंग से न मिलने से भी काश्तकारों को बहुत भारी हानि पहुंचती है। मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे हुए हैं लेकिन किसानों ने पानी लेना बन्द कर दिया है क्योंकि किसी काश्तकार पर एक घंटे में बहुत ज्यादा रुपया लगा दिया जाता है और किसी काश्तकार पर बहुत कम लगा दिया जाता है। जो किसान आपरेटरों को खुश रखते हैं या कुछ सहूलियत उन्हें पहुंचाते हैं उनके मीटर की रीडिंग कम की जाती है और बहुत कम रुपया उनसे लिया जाता है। इस वजह से बहुत से लोगों ने पानी लेना कतई बन्द कर दिया। कहीं कहीं तो ट्यूबवेल्स ६-६ महीने से बन्द पड़े हैं और वहां पानी का इंतजाम ही नहीं हो रहा है। मैंने इंजीनियर साहब को चिट्ठी भी लिखी कि क्या कारण है कि ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो सरकार फौरन उधर तवज्जह दे ताकि जो ट्यूबवेल उसने बनाये हैं उनसे पूरा फायदा उठाया जा सके और पानी के वितरण का पूरा इंतजाम हो सके और उनके प्रति सख्त कार्यवाही की जा सके जो गड़बड़ी करते हैं।

**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सूखे की समस्या पर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल धान व मक्का की दोनों फसलें हमारे प्रदेश में अच्छी थीं। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह बात कह सकता हूं कि मेरठ व मुजफ्फरनगर में पिछले १०—१५ साल से इतनी अच्छी फसल मक्का की नहीं थी जैसी कि इस साल थी। लेकिन दो तरफ से सरकार की तरफ से और दैवी प्रकोप से—विपत्ति आयी तो उसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों जिलों में मक्का व धान की फसल बरबाद हो गयी, पूरी नहीं तो ५० फीसदी पैदावार खत्म हो गयी है लगातार वर्षा न होने की वजह से। जब यह सदन में तय किया गया कि एक दिन सूखे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय उस वक्त कम से कम मेरठ, मुजफ्फरनगर व बुलन्दशहर इन तीन जिलों में वर्षा का अभाव था। इसके बाद जो वर्षा सहारनपुर में हुई उसका नतीजा भी माननीय सदस्य ने सरकार के सामने रख दिया है। नतीजा यह हुआ कि एक तरफ तो बारिश बिलकुल न होने की वजह से और दूसरी तरफ बारिश अत्यधिक होने से दोनों फसलें नष्ट हो गयी हैं।

इस तरह स्थिति बहुत गंभीर है। दो तरह से गंभीर है—राष्ट्र के खाद्यान्न की दृष्टि से गंभीर है और खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले कृषक के आर्थिक दृष्टिकोण से भी गंभीर है। जहां तक सरकार का सवाल है वह इस मसले पर कितनी गंभीर है यह इसी बात से जाहिर है कि बहस के शुरू होने से पहले ही माननीय माल मंत्री जी ने कुछ आंकड़े जिलों से मंगवा लिये हैं और उनको पेश करके एक तरह से बोलने वालों पर यह असर डालने की कोशिश की कि उन आंकड़ों के जरिये वे प्रश्न की गंभीरता की तरफ से अपना ध्यान हटा लें और इधर-उधर के जो आंकड़े हैं उनके अन्दर अपने को व्यस्त रखें। मैं माननीय सदन का ध्यान इस समस्या की ओर इसलिये आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसानकी हालत आज गंभीर हो गयी है और साथ ही साथ देश के सामने अन्न संकट भी आ कर खड़ा होगा जो कि इस फसल से काफी हद तक दूर होने वाला था।

तीसरी बात यह है कि अबकी मर्तबा भी वही पुराना रोना रहा जो कि हम लोगों का अरण्य रोदन साबित होता है सरकार के जंगल में—वह यह कि पूर्वी जमन नहर ३ जिलों की सिंचाई की समस्या को हल करती है और उसकी सिंचाई की क्षमता लगातार खत्म होती जा रही है। एक तरफ तो बारिश नहीं हुई और दूसरी तरफ पूर्वी जमन नहर ने अबकी मर्तबा पिछले ६—७ साल में इतना कम पानी कभी नहीं दिया होगा जितना कि इस साल दिया है। तो एक

तरफ तो वर्षा न होने की वजह से सिंचाई की आवश्यकता बहुत उत्कट हो गयी और दूसरी तरफ मुगल जमाने से जो यह सिंचाई के लिये नहर चली आ रही है, इस सरकार ने अब तक उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये गम्भीरता से एक भी कदम नहीं उठाया सिवाय कुछ पुल बनाने के, जिससे कुछ लोग पैसा कमा लें। नतीजा यह हुआ कि तीनों जिले जोकि इस प्रदेश के अन्न पैदा करने के भंडार हैं और जो अधिक अन्न दे कर इस संकट को दूर करने में थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं वे तीनों जिले एक प्रकार से असहाय बन गये।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शायद सन् १९५१-५२ में सिंचाई के दाम ड्योढ़े किये गये थे और ड्योढ़े किये गये थे जनमत के उस प्रस्ताव का आदर करते हुए जिसमें विकास टैक्स को रद्द करने की बात कही गयी थी। तो विकास टैक्स तो रद्द कर दिया गया था लेकिन सिंचाई के दाम ड्योढ़े कर दिये गये थे। उसके विरुद्ध दो साल तक आन्दोलन चला जिसमें कांग्रेस के भले लोग भी शामिल थे और विरोधी पक्ष की तो जिम्मेदारी ही थी। उसका एक परिणाम यह हुआ कि ३ आने रुपया की छूट किसान को सरकार देने लगी। टेक्निकल भाषा में उसे मि हाई की संज्ञा दी है। इससे किसान को बहुत बड़ी राहत मिली। अबकी बार सरकार ने कटे पर नमक छिड़कने का तय कर लिया। एक तरफ सूखा है दूसरी तरफ नहर और ट्यूबवेल की हालत बहुत खराब है उस पर भी बजाय इसके कि किसान को अतिरिक्त छूट मिलती सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो ३ आने की छूट उसको देती थी वह भी वसूल की जायगी और वह जबरदस्ती वसूल भी की जा रही है।

एक बार जब कि बिजली के विधेयक पर बहस हो रही थी तो मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी किसान प्राइवेट ट्यूबवेल लगा कर सिंचाई करने का प्रयास करता है तो सरकार की तरफ से १०० में से १०० को बिजली देने से इंकार किया जाता है। उस वक्त बहस के दरमियान माननीय बिजली मंत्री ने यह बात कही थी कि लोग ४-४, ५-५ साल तक सैंक्सन लिये बैठे रहते हैं और अपना रुपया भी आकर जमा नहीं करते, इसलिये हमने मजबूर होकर यह कदम उठाया है, बिजली की कमी होने की वजह से यह कदम नहीं उठाया है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने मंजूरी मिलने के बाद रुपया भी जमा कर दिया लेकिन बाद में उनसे कहा जाता है कि तुमको बिजली नहीं दी जायगी।

मैं समझता हूं कि सूखा अतिवृष्टि और अनावृष्टि की समस्या इस देश के सामने स्थायी रूप से खड़ी हो गयी है। एक जमाना था कि वर्षा का समय बिलकुल निश्चित था और हिन्दुस्तान के अन्दर ठीक समय पर वर्षा होती थी :—

आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं,
वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श ॥

—मेघदूत।

यानी महाकवि यह समझते हैं कि पूरे उत्तरी भारत में अषाढ़ के पहले दिन बारिश हो जायगी। ऋतुओं की यह समता उस समतापूर्ण राज्य में होगी लेकिन आज के इस विषम राज्य में मालूम होता है ऋतुओं ने भी अपनी समता को छोड़ विषमता को अख्तियार कर लिया है। इस विषमता के परिणामस्वरूप अगर कहीं अतिवृष्टि हो जाती है तो पानी निकालने की सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती। सालाना डेढ़ पौने दो करोड़ अधिक रुपया पानी की निकासी के मद में स्वीकार किया जाता है, फाइल पर आ जाता है कुछ सर्वे करने वाले भी देहात में पहुंच जाते हैं मगर कम्बख्त पानी नहीं निकलता। वह रुपया पता नहीं कहां जाता है। यदि माल मंत्री जी बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज भी देवरिया से देहरादून तक चले जाइये तो आप देखेंगे कि सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है लेकिन हालत यह है कि जहां नदी नाले आदि कुछ नहीं थे वहां भी शहर उठकर चले गये हैं। मुजफ्फरनगर में कोई नदी या नाला नहीं है फिर भी बरसाती पानी से वहां की मंडी बह कर चली गयी। पानी के निकालने की कोई

[आचार्य दीपंकर ]

व्यवस्था नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है लेकिन काम कुछ नहीं होता है। सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसानों की फसल बरबाद हो जाती है तो उनको सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन शब्दों के साथ में सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। जो छूट लोगों को मिली हुई थी वह बराबर मिलती रहनी चाहिये। अलावा इसके जो फसल बरबाद होती है और सिंचाई का इतजाम नहीं है वहां लगान में छूट मिलनी चाहिये। यह तीन बातें मैं सरकार के पास पहुंचाना चाहता हूं।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों तो सूखा पूर्वी जिलों में १९५२ से पड़ता चला आ रहा है लेकिन इस साल का सूखा ऐसा है जिसके लिये लोग कहते हैं कि ऐसा सूखा अब तक कभी नहीं पड़ा। पहले आखिर में सूखा पड़ता था और काम चल जाता था। इस साल एसी हालत है कि लोग अपने खेतों में बेहन तक नहीं डाल सके। ऐसा कहा गया है कि १५ जुलाई तक ४ इंच बारिश हुई। यदि यही बारिश सारे जिले में एक साथ हुई होती तो काफी थी। लेकिन हालत ऐसी है कि एक गांव में बारिश हुई और दूसरे में बिलकुल नहीं हुई। इस तरह बहुत-सी जगह ऐसी हैं जहां बेहन तक नहीं डाला गया और न बुवाई हो सकी।

हमारे जिले में अगस्त महीने में जो धान रोपा हुआ था वह सूखा के कारण खेतों में पड़ा-पड़ा सूख गया। हमारे यहां खरीफ की फसल में सावां और भकई वगैरह होती है। लेकिन सावां में भी पानी चलाना पड़ा है। अर्ली पैडी में बाल निकल रही थी जिसे हम भदई कहते हैं, सूखा के कारण वह सूख रही है। कुओं के पास जो खेत हैं उनमें तो लोग पानी देते हैं बकिया लोग सूखा से परेशान हैं, भदई की फसल खत्म हो गयी है।

हमारा जिला ऐसा है, बहुत कहा गया है कि सिंचाई के साधन हो गये हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो कुछ सिंचाई के साधन बने हैं और आज से पांच साल पहले कुछ नलकूप वगैरह लग गये हैं लेकिन उनकी हालत यह है कि जैसे जलते तवे पर एक बूंद पानी। इससे ज्यादा नहीं। हमारे जिले में एक भी मिल नहीं है जिससे गरीब किसान गरीबी के समय में ऊख से पैसा ले लें बल्कि उनका साधन खेती ही है और जब सूखा पड़ जाता है तो सारी फसल बरबाद हो जाती है और वह साल भर तक गरीबी और तंगी में रहते हैं। हमारे जिले में सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में लोगों को अल्पकालिक सहायता दी जाय और उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आज नलकूप और नहर वगैरा जो कुछ भी सिंचाई के साधन हैं, उनसे किसानों को मुफ्त पानी दिया जाय। दूसरे हमारे जिले में माल-गुजारी की वसूली को तत्काल बन्द किया जाय। तीसरे हमारे जिले में अम्बर चर्खे चलाये जा रहे थे जो अब बन्द कर दिये गये हैं, उनको फिर से चालू कर दिया जाय ताकि लोगों को अधिक से अधिक पैसा मिल सके। इसके अलावा टेस्ट वर्क खोल दिये जायं, सस्ते गल्ले की दुकानों को बढ़ाया जाय। अपाहिजों, असहायों को मुफ्त गल्ला दिया जाय। सूखे का हमारे यहां इतना असर है कि आप नहीं कह सकते हैं कि दस दिन के बाद काफी लोग क्या खायेंगे। जुलाई का महीना बहुत खराब समझा जाता है। उसके बाद सांवा और धान हो जाता है। तो कुछ दिन तक लोग उससे बसर कर लेते थे उसके बाद अगहनी धान होता है। इस बीच में ऊख का रस पीकर गुजर कर लेते थे। इस साल सांवा और भदई बिलकुल खत्म हो गया जैसे आशा पर निपट इन दि बड हो गया है। भविष्य बिलकुल अंधकारमय है। किस तरीके से लोग अपना जीवन बसर करें सरकार को इस तरफ ध्यान देना है।

दूसरी चीज लांग टर्म की है। मेरे जिले में इस वक्त कुछ पानी पीने के लिये कुएं बन जाते हैं और साल भर में शायद १५-२० मेंसेनरी वेल्स बनाने केलिये सरकार की ओर से ग्रान्ट दी जाती

है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूर्वी जिलों में जहां पर सिंचाई की ठीक व्यवस्था नहीं है एक निश्चित योजना बना कर हर पांच एकड़ में एक कुआं एक निश्चित समय में जरूर हो जाय, इसका प्रबंध करना चाहिये। उसके लिये ४,५,६ सौ रुपये जितनी भी लागत आती हो उतनी ग्रान्ट लोगों को दी जाय। नलकूप नहरों आदि में फारेन एक्सचेंज चाहिये। इसलिये कुओं की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि एक निश्चित समय में हर पांच एकड़ पर एक कुआं अवश्य हो जाय।

हमारे जिले में दो तीन साल से नलकूप बिलकुल नहीं बनाये जा रहे हैं। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे पूर्वी जिले जिनकी सूखे की समस्या दयनीय समस्या है। वहां पर विशेष हालत है। इसलिये सरकार को विशेष परिस्थिति में विशेष अनुदान देना चाहिये। जो आदमी कमजोर होता है उसको खास कर नरिशमेंट दिया जाता है। हमारे जिले पिछड़े हुए हैं इसलिये जितना पैसा बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये दिया जाता है उसको छोड़ का अभावग्रस्त जिलों पर विशेष परिस्थिति में विशेष ध्यान दिया जाय ताकि बड़ी-बड़ी योजनाओं का वहां निर्माण हो सके। इस तरफ सरकार दो तीन साल से बहुत कम ध्यान दे रही है। नलकूप बहुत जरूरी है इसके लिये विशेष ध्यान देना चाहिये। जहां पर बिजली की लाइनें जा सकती हैं वहां पर नलकूप बनाये जाने चाहिये। अगर धन नहीं है तो केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये और यह सदन प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को लिखे कि हम को विशेष परिस्थिति में विशेष अनुदान दिया जाय ताकि नलकूप और बड़ी-बड़ी नहरों की योजनाएं चालू कर सकें।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज सारा प्रान्त इस सूखे के हाहाकार से आक्रान्त है। पता नहीं कि मंत्री जी को इसका अहसास है या नहीं। मुझे डर लगता है कि जब कोई प्रश्न अकाल, सूखा, बाढ़, भुखमरी पर यहां देता हूं तो माननीय मंत्री कह देते हैं कि यह तो प्रचार का साधन है ताकि मुफ्त गल्ला मिल जाय। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि मिर्जापुर में ·३६, बलिया में ·३३, बस्ती में ·६७, देवरिया में ·१३ इंच आदि इतनी वर्षा हुई है। पहले मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये १०० से ७५ फीसदी बिलो नार्मल जो हैं और ६० से ७५ फीसदी बिलो नार्मल कितने हैं? श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि वह आंकड़े बहुत गोलमाल हैं। अभी हाल में सम्भवतः माननीय मन्त्री जी ने ही तारीख ४–९–५९ को इसी सदन में प्रश्न संख्या ३७–३८ के उत्तर में बताया था कि गोरखपुर कमिश्नरी में १५ जून, १९५९ से लेकर १५ जुलाई सन् १९५९ तक कितनी बारिश हुई—गोरखपुर में ५.१ इंच, बस्ती मे ३ इंच, आजमगढ़ में ४.३८ इंच और देवरिया में ५.६७ इंच। जिस अवधि के अन्दर वहां सब से अधिक बारिश होती है उसमें इतनी बारिश हुई। मेरे पास विवरण और सालों का मौजूद है। २५ इंच से ज्यादा २८, २९ इंच तक बराबर वहां वर्षा इन दिनों में हुई है। कम से कम १२ इंच से ज्यादा वर्षा अब तक ५५–५६ से लेकर प्रति वर्ष वहां होती आई है। लेकिन इस बार माननीय मन्त्री जी ने स्वयं बताया कि बस्ती में ३ इंच, आजमगढ़ में ४ इंच और गोरखपुर में ५.१ इंच वर्षा हुई।

यही नहीं श्रीमन्, चन्द जिलों के आंकड़े मैं मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं जहां कि बिलो नार्मल अगस्त के आखिर तक वर्षा हुई है। बाराबंकी में औसत से ९ इंच कम, बस्ती में औसत से ११ इंच कम, गोरखपुर में ९.५ इंच, देवरिया में ८ इंच और सुल्तानपुर में औसत से ७ इंच कम बारिश हुई है। इसलिए यह बिलकुल निर्विवाद है कि वर्षा इन जिलों में औसत से बहुत कम हुई है। यही नहीं माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह भी बताया था, मैं उन्हीं के शब्द पढ़े दे रहा हूं आप की आज्ञा से—केवल बस्ती में करीब एक माह बाद खरीफ की फसल की बोवाई हुई और अन्य जिलों में भी कुछ देर के बाद हुई। तो यह बस्ती, गोरखपुर, देवरिया ऐसे जिले हैं जहां कि खरीफ की फसल में धान की अर्ली पैड—भदई और अगहनी दोनों की बुवाई अधिकतर जो खेती का क्षेत्र है उसमें होती है। वहां पर इनकी बोवाई एक माह बाद हुई। जैसा कि माननीय मुक्तिनाथ राय जी ने बताया वहां बेहन भी नहीं पड़ सका और मैं अपने क्षेत्र में ट्यूबवेल के किनारे के खेतों की बात बता रहा हूं। किसानों ने

[श्री उग्रसेन]

दरख्वास्त दी कि ट्यूबवेल का पानी हम को दे दिया जाय ताकि कम से कम हम बेहन तो डाल दें तो मालूम यह हुआ कि ट्यूबवेल बिगड़ा हुआ है और आपरेटर साहब इंजीनियर के पास गये हुए हैं। और यही नहीं इस पर तुर्रा यह रहा कि माननीय मंत्री जी की सरकार का खरीफ अभियान बड़े शानदार तरीके से चलता रहा। हमारे एक साथी बता रहे थे कि रेडियो से उसकी समीक्षा रोज हुआ करती थी। श्रीमन्, आप या कोई भी माननीय सदस्य सड़कों के किनारे चल कर देख लें उन्हें मालूम पड़ जायगा। ब्लाक के लोगों ने जबर्दस्ती एक लाइन में सब पौधे लगवा दिये। अब जरा माननीय मन्त्री जी अपने ही जिले में जाकर देखें कि उनकी क्या स्थिति है? वह सब सूख गये। बारिश हुई नहीं। पूर्वी जिलों में बेहन तक नहीं पड़ा। अब हम क्या खायें और क्या अपने घर में रखें। अगर हम यह कहें कि हमारे घर में कुछ नहीं है, आम की गुठली की रोटी भी हमें नहीं मिल पाती है तो माननीय मंत्री जी उसे मजाक समझेंगे और अलीजहीर साहब जो यहां तशरीफ नहीं रख रहे हैं वरना वह तो यही कहते कि यह सम्भव ही नहीं है। उनके घर में तो भरा है ही।

हमारे यहां पूर्वी जिलों में रबी की फसल बिलकुल मारी गयी। जो ओले पड़े उसमें खलिहान में रखी हुई फसल भी नष्ट हो गयी। उस पर तुर्रा यह है कि इधर जब सूखा भी आ पड़ा और एक तरह से हमारी कमर बिलकुल टूट गयी तो हमारे जिले में श्रीमन्, ३८ लाख रुपये की बकाया वसूली डंडे के बल पर हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ३ करोड़ से ज्यादा बकाया जो गन्ना मिलों के मालिकों के ऊपर है उसको वह क्यों नहीं वसूल कर रहे हैं? उन्हें गरीब किसानों को ही केवल परेशान करना है। खरीफ अभियान और रबी अभियान पर लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है और किसानों के घर में एक दाना तक नहीं रह गया है।

यह माननीय मन्त्री जी स्वयं देखेंगे कि उनकी विकास योजनायें कहां तक सफल हो रही हैं? आज हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सन् १९५० से आज तक इन ९ वर्षों में गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी के जिलों में कुछ न कुछ हुआ ही करता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी पाला, कभी पत्थर, कभी गन्धी मक्खियां, कुछ न कुछ हर साल लगा ही रहता है। सदन में सवाल उठाया गया था कि गन्धी मक्खियां पिछले साल धान में बहुत अधिक लग गयी, हमारे क्षेत्र के ६, ७ सौ गांवों में। माननीय गेंदा सिंह जी के इलाके में सैकड़ों गांवों में यह मक्खियां लगीं। रिपोर्ट दी गयी। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ भी नहीं किया गया उसके लिये। रिपोर्ट में दिया हुआ है कि कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं जो इन फसलों में लगती हैं। सरकार ऐसी है कि फसलों की बीमारियों की दवा करने के लिए उसके पास कोई अस्पताल नहीं है। एक वादा किया गया था कि प्लांट पैथालाजी का एक केन्द्र हर जिले में खोल दिया जायगा। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि खोला गया या नहीं।

विदेशों में श्रीमन्, छोटे-छोटे मुल्कों में स्वीडेन जैसे देशों में भी जब फसलें बोयी जाती हैं तो वहां एक-एक फसल का रिसर्च होता है। चीन के बारे में मैंने एक बार एक अखबार में पढ़ा था कि वहां के किसी किसान ने 'लेटर्स टु दी एडीटर' में यह लिखा था कि इस साल उसके बीज दवा छिड़क कर नहीं रखे गये थे, सम्भवतः इसीलिए उसकी फसल खराब हो गयी। तो वदेशों में खत्तियों में दवा के अन्दर बीज रखते हैं ताकि कीड़े न लगें और यहां सारी फसल को कीड़े चाट जाते हैं, उसका कोई इन्तजाम नहीं है। कोई कर्मचारी देखने तक नहीं जाता है।

जरा माननीय मन्त्री जी अपनी ही रिपोर्ट के पृष्ठ २ को देख लें। उस समय पश्चिमी जलों में सूखा पड़ा था १९५५–५६ में और फसलों की बीमारियां भी बहुत-सी हुई थीं। समें लिखा है कि—: "पश्चिमी जिलों में वर्षा की कमी के कारण खरीफ की खड़ी फसल को क्षति पहुंची। कुछ जिलों में चूहे तथा ग्रास हापर ने धान, गन्ना, मूंग, बाजरा, तथा मक्का की फसलों को क्षति पहुंचाई। कई जिलों में पाइरिल्ला, टापबोरर तथा रूर बोरर द्वारा गन्ना,

गन्धीबग द्वारा धान तथा रेड काटन बग व काटन लीफ रोलर द्वारा कपास की फसलों के ग्रसित होने की सूचना भी प्राप्त हुई। बनस्पति संरक्षण विभाग द्वारा चूहे तथा अन्य कीटाणुओं से रोकथाम का प्रयास किया गया"। जब सूखा पड़ता है तो गन्धीबग लगता है। चूहे भी इसीलिये आ जाते हैं क्योंकि अगर पानी पड़े तो पानी में वे बह जांय। यह खास बात है, हमारे देवरिया के सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे कि अगर ज्यादा पानी पड़ता तो ये बीमारी जो होती है चूहे की या दूसरी, वह न होती। यही वजह थी कि इस साल बलिया में इतने चूहे लग गये और इतना अनाज खा गये। गन्धी मक्खी भी इसी वजह से अधिक पैदा हुई। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसका प्रबन्ध करें और वस्तुस्थिति पर परदा डालने की कोशिश न की जाय। कम से कम इतना तो मन्त्री जी कर दें कि बहुत से किसानों ने बीज लेकर बीज गोदामों से जो इस साल बोया उसमें कुछ पैदा नहीं हुआ वह सूख गया, वह माफ कर दिया जाय।

सरकार को इस पर विचार करना चाहिये यदि इस समय मोटर का इन्श्योरेन्स है, पशुओं का इन्श्योरेन्स तो हो जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है, क्राप का भी इन्श्योरेन्स होना चाहिये। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये कि जो इधर यह सूखा पड़ गया है उस की क्षतिपूर्ति की जाय। चाहे यह कुदरत की बदतमीजी हो या हुकूमत की बदकिस्मती हो, लेकिन सूखा तो पड़ गया। इसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये। अगर अच्छी वर्षा हो जाती है और कुछ अन्न पैदा हो जाता है तो सरकार कहती है कि यह हमारी "अन्न उपजाओ" योजना का फल है और अगर वर्षा नहीं हुई तो कह दिया कि "कुदरत की बदतमीजी है"।

हमारे यहां से ३८ लाख रुपया मालगुजारी का वसूल किया जा रहा है। क्यों नहीं उसको माफ कर दिया जाता। इस मालगुजारी को माफ होना चाहिये। जब सरकार से कहा जाता है कि इतनी फसल सूख गयी तो हिसाब लगा कर कह दिया जाता है कि कुछ नहीं नुकसान हुआ है और रिलीफ देने का सवाल नहीं उठता। हमारे यहां की मांग है कि सस्ते गल्ले की दुकानें और बढ़ाई जायं और अनाज की मिकदार बढ़ाई जाय, लोग वहां पर भूखों मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई यहां पर नहीं होती है। अभी मैं पूर्वी जिलों से आ रहा हूं। वहां पर तक़ावी वसूल हो रही है। यह बात सदन में आ चुकी है कि वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं जब तक उनकी दूसरी फसल न आ जाय तब तक उनके लिये मुफ्त गल्ले का प्रबन्ध किया जाय। सरकार को इसमें पीछे नहीं जाना चाहिये। सरकार कहती है कि उसने कलेक्टर को हुक्म दिया है कि कोई आदमी भूखों न मरने पावे। उनको क्या पता है कि देहातों में क्या हो रहा है। वे तो सिनेमा देखते रहते हैं। वह तो लिखने पर जवाब भी नहीं देते। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इतनी मदद हो जाय कि सूखा पड़ने पर वहां लोगों को बीज दे दिया जाय तो भी बहुत काम हो जाय। इसकी मांग वहां पर की गयी है और मंत्री जी जरूर देने की कृपा करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

**श्री मदनमोहन** (जिला फैजाबाद)— उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े माननीय मन्त्री महोदय ने इस सदन में उपस्थित किये हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूखे की आम शिकायत निराधार है किन्तु मैं श्रीमान् से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आँकड़े जिलों से आये हैं, यद्यपि ठीक हैं, तो भी वर्षा कुछ ऐसी अव्यवस्थित हुई है कि जहां पर वर्षा हुई है वहां बहुत अधिक मात्रा में हुई और जहां पर नहीं हुई वहां पर बिलकुल नहीं हुई। श्रीमन्, अभी ७ तारीख को वर्षा हुई है। यदि ७ तारीख की वर्षा के सम्बन्ध में फ़ैजाबाद से आंकड़े मंगाये जांय तो माननीय मंत्री जी को आश्चर्य होगा कि फैजाबाद की चार तहसीलों में, फैजाबाद तहसील में ३ इंच पानी बरसा। बीकापुर तहसील में ३ इंच पानी बरसा। उसकी बगल में अकबरपुर तहसील में केवल १ इंच पानी पड़ा और टांडा तहसील में एक बूंद भी नहीं बरसा। यह हालत है। तो जिस प्रकार से अव्यवस्थित वर्षा हुई है उससे हमें यह सन्तोष नहीं होता कि जिलों से जो वर्षा की रिपोर्ट आई है वह सन्तोषजनक है। अतः यह सूखे की बातचीत करना गलत है. . . . .

**श्री हुकुमसिंह विसेन**---ऐसा हम नहीं समझते ।

**श्री मदनमोहन**---माल मंत्री जी, हम भी नहीं कहते । धन्यवाद । फैजाबाद में यद्यपि अभी तक ३० इंच पानी बरस चुका है तो भी आश्चर्य होगा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में बार-बार इस बात की शिकायत होती रही कि पानी नहीं बरस रहा है और तमाम धान सूखा जा रहा है । यहां तक कि इस बात की शिकायत डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंची और एक प्रेस मीटिंग में, उनका बयान मैंने परसों अखबार में पढ़ा । उन्होंने यह कहा कि "किसी ने मुझ से आकर पानी की शिकायत नहीं की, इस वजह से नहर नहीं चलायी गयी, इस वजह से ट्यूब वेल नहीं चलाये गये । किसी ने शिकायत नहीं की और गांव वाले पानी लेना नहीं चाहते, वह इंतजार कर रहे हैं कि वर्षा होगी ।" जिले भर में हाहाकार मचा हुआ था कि वर्षा नहीं हो रही है, फसल खराब हो रही है और डिप्टी कमिश्नर का यह बयान कि लोग पानी नहीं लेना चाहते । मेरे पास जो रिपोर्ट है, हो सकता है कि उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, किन्तु मैं समझता हूं कि इतनी अतिशयोक्ति नहीं है कि जितनी प्रायः समझी जाती है । मेरे पास फैजाबाद के सम्बन्ध में यह रिपोर्ट आयी है कि १० आने से लेकर १२ आने तक फसल की हानि हुई है । अगर इसमें अतिशयोक्ति हो तो मैं देख कर आया हूं । मेरा ऐसा विचार है कि ८ आने में कोई शंका ही नहीं है । इसी प्रकार से दूसरी फसलें जो हैं, मक्का, सांवां, कोदों, इनमें ६ आने से ८ आने तक इस समय तक नुकसान हुआ है । तो इतना नुकसान हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब यह कहते हैं कि मेरे पास कोई गांव वाला यह मांग करता हुआ नहीं आया कि पानी नहीं है या फसल खराब हो रही है और नहरों में पानी दिया जाय । श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में बहुत ही नम्र निवेदन करूंगा कि कितना अन-इमैजिनेटिव यह जिलाधीश का बयान है । हमारे देहात के वह लोग, वह जनता जो आज मुश्किल से अपना जीवनयापन कर रही है, जो अशिक्षित है, जो गांव में एक सफेदपोश के पहुंच जाने पर अपने दरवाजों पर खड़े हो कर ताकती है कि यह कैसा अजनबी आ गया और जिनकी हिम्मत उससे बोलने की नहीं पड़तीं, जिनके बच्चे सफेदपोशों को देख कर भागते हैं, उन गांव वालों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह आकर डिप्टी कमिश्नर साहब के दरवाजे पर शिकायत करें और मांग करें कि तुम नहरों को चलाओ, ट्यूब वेल को चलाओ ।

डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि जो मैं निवेदन करूंगा कि उस समय होती थी जब यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था । आप, श्रीमन्, देखें कि आज उनके पास साधन कैसे-कैसे हैं । हमारे फैजाबाद में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्यूबवेल मौजूद हैं । वहां पर ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० और तमाम डेवलपमेंट विभाग का स्टाफ मौजूद है, खरीफ अभियान के सिल-सिले में, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हुआ था, सैकड़ों वी० एल० डब्लू० गांव में पड़े हुए हैं, लेकिन इतने साधन होते हुए भी डिप्टी कमिश्नर महोदय को इंतजार था कि उनके पास कोई आकर कहे और कोई गांव वाला शिकायत करे । जब गांव में इस बात की पुकार उठी, और जैसा मैंने निवेदन किया अगस्त के अंतिम सप्ताह में जब मैं यहां आया फैजाबाद से तभी मुझसे लोगों ने कहा कि वर्षा नहीं हो रही है और अगर दो-एक दिन पानी और न बरसा तो सर्वनाश हो जायगा । यह लोगों ने मुझसे कहा था । वहां पर फैजाबाद में बैठे हुए हमारे इंजीनियर और इंजीनियर ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर आफिसर जहां मौजूद हों जिनका कर्त्तव्य यह है कि खरीफ अभियान को सफल बनावें, उनके कानों पर जूं तक तक नहीं रेंगी । उनको यह पता नहीं लगा कि उनके जिले में किस बात की मांग है और अभियान, जो इस समय हम चला रहे हैं, उसमें सफलता होगी या नहीं ।

मेरा निवेदन यह है कि वह इस समय अगर मेरा अनुमान ठीक है कि ८ आने से १० आने तक वहां फसल की बरबादी हुई है, और इस कारण से हुई है कि वहां पानी नहीं बरसा और वहां नहरें भी नहीं चलाई गयी तो इस सम्बन्ध में अन्वेषण करने की आवश्यकता है । अगर हमारी फसल बरबाद हुई है तो यह मालूम करना पड़ेगा कि किस की गफलत से बरबाद

हुई है, किसने अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा की जिस के कारण यह बरबादी हुई। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख है कि जिन अधिकारियों के सुपुर्द कोई काम किया जाता है, वे केवल कागज पर योजना बनाने में अपने काम की इति श्री समझ लेते हैं। उनसे यह नहीं होता कि अपने-अपने कमरों के गद्दे छोड़ कर स्वयं अपनी आंखों से देखें कि क्या स्थिति हो रही है उस डिपार्टमेंट की जिसके वे संचालक हैं। मैं क्या निवेदन करूं कि जब चारों तरफ यह शोर था अगस्त के आखिर में कि पानी नहीं बरसा और हमारा धान खराब हो रहा है उस समय हमारे ऐग्रीकल्चर के आफिसर्स, डी० पी० ओ० और एसिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर बैठे हुए कमरों में बिजली के पंखों की हवा खा रहे थे। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह बात उस बात को याद दिलाती है —

"When Rome was burning Nero sat fiddling in his palace."

अगर यह कहा जाय, उन अधिकारी वर्ग के सम्बन्ध में जिनका कर्त्तव्य था कि उनका यही हाल है तो अनुचित नहीं होगा। गवर्नमेंट हजारों और लाखों रुपये अभियानों पर पानी की तरह से बहाती है और ये अपने पंखों के नीचे बैठे हुए आराम कर रहे हैं और इस बात की अवहेलना कर रहे हैं कि उनके जिले में क्या हाल है।

अन्त में मैं एक शब्द और निवेदन करना चाहता हूं। इस समय बड़ी कठोरता से वसूली हो रही है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन होगा कि कम से कम वसूली में थोड़ी सी नरमी इस समय आनी चाहिये। यही मुझे कहना था।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वर्मा जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बड़े मीठे शब्दों में वह कड़ुवा सत्य कह दिया जो हम तीखे होकर भी नहीं कह सकते। इसे कहते हैं पार्लियामेंटरी पद्धति से बोलना और आज वह हमने उनसे सीखा कि किस तरह से वे बात को रखते हैं और कह सकते हैं। मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी शायद आंकड़ों के जाल में फंसे हुए हैं और अब उन्हें सुनाई नहीं पड़ता।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—मैं आपके जाल में नहीं फंसूंगा।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—हमारे जाल में फंसोगे तो तर जाओगे। तो श्रीमन्, अर्ज कर रहा था कि हमसे माननीय मंत्री जो यह फरमाते हैं कि तुम खाली आलोचना करते हो। हमारी न मानिये, माननीय उग्रसेन जी की न मानिये लेकिन आदरणीय मदनमोहन जी वर्मा ने जो कुछ कहा है अगर उसी का पालन कर दें और हमें विश्वास दिला दें तो हम डिबेट वापस ले लें। माननीय मदन मोहन जी ने आखरी बात कह दी है। उस समय श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने भी यह महसूस किया था कि यह वर्षा यथेष्ट नहीं है, इतना उन्होंने वर्मा जी के कहने पर जिक्र किया था।

श्रीमन्, एक बात बड़ी अजीब सी है कि अल्लाह मियां भी आंकड़ों के जाल में शायद फंस गये हैं। वर्मा जी ने अभी बताया था कि फैजाबाद तहसील में तो ३ इंच वर्षा हुई और दूसरी तहसील में ३ इंच, पर तीसरी में १ इंच और चौथी तहसील जो उन्होंने बतलाई वहां वर्षा बिलकुल नहीं, १ इंच भी नहीं थी। इसकी वर्मा जी ने स्वयं जांच की वही शहर का आंकड़ा यहां आ गया कि पानी काफी बरसा। इसके माने यह हुए कि जहां आंकड़े इकट्ठे होते हैं भगवान् भी वहीं वर्षा करता है। सरकार के पास खाद्यान्न के भी बड़े-बड़े आंकड़े हैं और उसने कहा कि वह अपने लक्ष्य को पार कर गयी है लेकिन हमने बाजार में कहीं अनाज नहीं देखा। हां, सेक्रेटेरियेट की फाइलों में अनाज पैदा हुआ होगा। वर्मा जी ने जैसा कहा कि वसूली में सख्ती न बरती जाय, यह भी एक साधारण मनुष्य का कर्त्तव्य है। सरकार को भगवान ने मौका दिया है, गद्दी पर बठाया है, इसलिये पुण्य समझ कर ही सरकार यह काम करदे।

[श्री गोविन्द सिंह विष्ट]

इंग्लैन्ड वगैरह के मुकाबिले में हमारा प्रदेश एक देश के बराबर है। हमारे यहां अलग-अलग किस्म की जलवायु और परिस्थितियां हैं। जैसे पर्वतीय प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, वहां पानी बरस कर भी नहीं रहता है। वहां अधिक पानी बरसा तो यहां बाढ़ के कारण हाहाकार मच जाता है। वहां पानी को अटकाने का सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये। लेकिन जब नीचे देवरिया, गोरखपुर में वहां का पानी अधिक आ जाता है तो फिर छितौनी और दूसरे बांधों की आफत आ जाती है।

वहां पानी रोकने में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की बातें हैं कि पहाड़ का पानी वहीं रोक लिया जाय, जैसे टंकी में पानी रख लेते हैं और जब जरूरत होती है तो आवश्यकता पर नल खोल देते हैं। तो वहां छोटे-छोटे बांध बनाये जावें ताकि इस सीमांत देश के लोगों में फैला असंतोष दूर हो कि सरकार उनकी खबर नहीं लेती। मरोड़ा बांध की योजना गढ़वाल में बनायी गयी लेकिन वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। रिहन्द डैम बनाया तो पानी मध्यप्रदेश के कुछ हिस्से में भर गया। उन्होंने क्लेम किया कि हमारे गांव डूब गये, इसलिये रख दो हमारे हिस्से की इतनी बिजली। रिहन्द से और उसके नीचेवाले डैम से पानी रोका जायगा और उससे सिंचाई होगी बिहार में। कालीगंगा, सरयू और अलखनन्दा इत्यादि हमारे यहां नदियां हैं जिनकी आप पूजा भी करते हैं उनका पानी पहाड़ों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। मगर सरकार की नीति तो ढुलमुल नजर आती है। ऐसी गलत नीति छोड़कर सरकार को कुछ प्रबन्ध करना चाहिये। यह ऐसी बात है जैसे आज गाय की केवल पूजा करते हैं मगर उसे भूखा रखते हैं। हम गाय को खाने के लिये दें और तब उसकी पूजा करें। तभी हमें उससे कुछ आराम मिल सकता है। आज घड़ी बनाने के लिये बिजली की बात आयी तो वह कारखाना उठकर बंगलौर चला जाता है। वह देहरादून में आनेवाला था। यह हमारी गलती थी। पहाड़ों पर असंतोष है कि सरकार ने उनकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। हमारे यहां विदेशियों का हाल में कुछ इनफिल्ट्रेशन भी हो चुका है जिसे सरकार स्वीकार नहीं करती है। आज वहां कितने ही चीनी और अमरीकी जासूस देखने को मिलते हैं। वे जासूस का काम कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय सदस्य विषयान्तर जा रहे हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—तो पहाड़ों में बांध बनाने से लोगों का असंतोष दूर हो जायगा। रोटी मिलने से आदमी तिब्बत या चीन की ओर नहीं देखेंगे वरना आजकल उस इलाके में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है जिसको रोका जाना जरूरी है।

मुझे कहने में दुख होता है कि हमारे यहां सिंचाई की योजनाओं पर जहां से हम विरोधी जीतते हैं वहां पर बहुत कम खर्च किया गया है। जहां पर विरोधी दल जीतता है उसके क्षेत्र में मामला ठप कर दिया जाता है। मुझसे पूर्व एक कांग्रेसी सदस्य उस क्षेत्र से थे। पहले वहां ५ लाख और १८ लाख की योजना थी मगर जब कांग्रेसी सदस्य नहीं जीते तो सभी योजनायें समाप्त हो गयी। टैक्स-पेयर ने चाहे किसी को भी वोट दिया हो, सरकार को इसमें भेद करना अनुचित है। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिये। उनको पानी, स्कूल और अस्पताल सभी चीजें मिलनी चाहिये। तो सरकार के इन अत्याचार के कारण भी भगवान नाराज है। जिससे अनावृष्टि यहीं हुई है। उसको हमें न भूलना चाहिये।

**श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। माननीय गोविन्द सिंह जी ने भगवान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भगवान् इस सरकार को फल दे रहा है। तो क्या भगवान् और धर्म के नाम पर इस तरह की बातें कही जा सकती हैं?

**श्री उपाध्यक्ष**—अभिशाप और बरदान बराबर होते आये हैं।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—त्रिपाठी जी भूल गये कि उन्होंने पहले ही दिन यहां भगवान की शपथ ली थी। भगवान के नाम से वह चौंके नहीं।

मंत्री जी जब फसल खराब हो जाती है तो कहने लगते हैं कि अल्ला मियां ने पानी नहीं बरसाया और अगर अच्छी हो जाती है तो कहते हैं कि यह उनके प्रयास का फल है। यह है उनकी योजना की सफलता।

श्रीमन्, अन्त में मैं यह कहूंगा कि गाजियाबाद की तरफ और पूर्वी जिलों में सूखा पड़ रहा है वहां छूट मिलनी चाहिये।

**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—श्रीमन् आपकी बहुत कृपा हुई कि आज बहुत उठा बैठी के बाद कुछ कहने का अवसर मिला है।

वास्तव में हमारे यहां एक महीने बाद वर्षा हुई, फसल पिछड़ गयी। हमारे यहां कहा गया है कि "मेंढ़-मेंढ़ मग्घा गोहरावे, छोटा बड़ा सब गर्मे आवे"। जिस समय फसल की बाली निकल रही थी उसी समय सूखा पड़ गया था। अगहनी धान कहीं खुरपी से खोद खाद कर ठीक भी किया तो वह भी सूख गया। किसान का भरोसा खेती पर ही है। उसके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है। वह हाय हाय करके परेशान है। मैंने आज से ५-६ वर्ष पहले ही माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि कृपा करके जहां ट्यूबवेल लगते हैं वहां लगने दीजिये लेकिन जहां ट्यूबवेल देर से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वहां सरकार की तरफ से भट्ठे लगवाये जावें और कुएं बनवाये जावें और उनका बोरिंग किया जाय। फिर उन्हें गांव सभा के सुपुर्द कर दिया जाय और तकावी के रूप में उनसे पैसा ले लिया जाय। इस प्रकार से चार-चार पांच-पांच कुएं अगर हर गांव में बन जांय तो भगवान का भरोसा न करना पड़ता। हम अपने बल और बूते पर खेती को सम्भाल लेंगे। लेकिन हमारे जो विधाता लोग हैं अगर उनसे कहा जाय कि इस तरफ नाली निकालो तो कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं तुम क्या जानो। हमारे यहां ओवरसियर साहब नाली बनाने गये तो नाली बननी चाहिये थी पूर्व से पश्चिम लेकिन बना दी पश्चिम से पूर्व। इंजीनियर साहब ने लिख दिया कि ट्यूबवेल लगेंगे लेकिन आज मजबूर होकर इस बात पर आना पड़ा कि कुएं बनेगें। बखिरा की नहर बनी। जब पानी नहीं बरसा तो बखिरा की झील में पानी कहां से आयेगा और फिर नहर में कहां से आयेगा। अगर उतने ही रुपयों में कुएं बनाये जाते तो १२ हजार कुए बन जाते और हम पानी के मोहताज आज न रहते। अगर नहर चलाते हैं तो बोरो वाले कहते हैं कि हमारी खेती सूख जायगी। इस समय जो पानी नहीं बरस रहा है तो इसका कारण हमारे पाप ही हैं, जो जलाशय थे उनको पाट-पाट कर खेत बना लिया। जिस पोखरे तालाब पर कब्जा है उस पर से कब्जा कैसे हटे? इसलिये पहले पोखरे तालाबों को खुदवाइये ट्यूबवेल्स और नालियां ठीक नहीं है, उनको ठीक करवाइये हम सात बरस से लड़ रहे हैं कि हमारे यहां ट्यूबवेल की नालियों को ठीक किया जाय तीन-चार बरस से नालियां ऊंची की जा रही हैं लेकिन हमारे गांव में पानी नहीं आ सका है। जब ऐसा सूखा पड़ा हुआ है तो सरकार भाजी-तरकारी की खेती की तरफ ध्यान दे तो मुसीबत दूर हो सकती है।

साथ ही साथ चर्खे का काम, दियासलाई और सीप के बटन जो हमारे यहां बहुत बनाये जाते हैं, उनको गांव-गांव में प्रोत्साहन देना चाहिये। इस वक्त टेस्ट वर्क्स की जरूरत है। चाहे कुएं बनायें, चाहे सड़क बनायें, चाहे ट्यूबसेल की नालियां निकालें लेकिन टेस्ट वर्क का काम जरूर चलाया जाय।

सरकार का बोरिंग विभाग बिलकुल ही निकम्मा है। हमारे यहां दो-तीन सुपरवाइजर्स हैं, इन्सपेक्टर है लेकिन जिस कुएं को वे ले हैं वह मुसीबत में पड़ जाता है, बोरिंग का काम कतई नहीं हो रहा है, उसकी सख्त जरूरत है।

कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मजदूरी करके खा लेते है लेकिन प्रत्येक गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई सहारा ही नहीं है। बूढ़ों को पेन्शन दी गयी लेकिन नाममात्र को दी गयी। ऐसे बूढ़ों के भोजन की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री[ राजाराम शर्मा]

कहा गया कि हमारे यहां औसत से कम पानी बरसा। हमारे माननीय वर्मा जी ने कहा "लेखा जोखा थाहे, लड़का बूढ़ा काहे" कहीं १ इंच वर्षा हुई, कहीं कुछ नहीं हुई, कहीं ४ इंच हुई। इस तरह से जोड़-जाड़ कर हिसाब लगाने से ३ इंच वर्षा हुई। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कहीं तो एक गांव में आधी तरफ पानी बरसा है और आधी तरफ नहीं बरसा है, इस तरह से बड़ी मुसीबत है। यह कोई एक जिले की बात नहीं है बल्कि सारे सूबे में यही हालत है। अभी सहारनपुर के एक भाई ने बतलाया कि उनके यहां तो १३ इंच तक वर्षा हुई है। अगर उसमें से कुछ हिस्सा हमारे यहां मिल जाता तो यहां के लोगों की जान बच जाती। इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं कि कई वर्षों के बाद आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया।

**श्री खजानसिंह चौधरी** (जिला उन्नाव)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूखा और बारिश के ऊपर चर्चा हो रही है इसके करीब-करीब सभी माननीय सदस्य इत्तफाक करते हैं। हमारे भाई गेंदा सिंह साहब ने कहा था ४३ लाख की शक्ति प्राप्त की और सिर्फ १४ लाख एकड़ को ही पानी दिया। यह होता तो रहता है कि १४ लाख एकड़ को ही पानी मिला, तो माननीय मंत्री जी क्या करते रहते हैं इसके बारे में, अवधि में पानी नहीं बरसा, देर से बुआई हुई या धान लगाई हुई, तो इसके माने यह हैं कि अबकी तो पैदावार बहुत कम होगी। माननीय माल मंत्री जी ने कहा, इसमें दो रायें नहीं हैं कि बारिश देर से हुई, बुआई में भी देरी हुई और कहीं-कहीं बारिश हुई। तो अब तो माननीय माल मंत्री जी इसको नोट कर लें क्योंकि आगे लगान में छूट तो देनी पड़ेगी क्योंकि बारिश नहीं हुई है।

भाई रामहेत सिंह ने पलेवा नहर के बारे में कहा जो बिलकुल ठीक है। अगर असाढ़ या जेठ से ही पलेवा शुरू कर दिया जाय, ऐसे गूल या नहरें जिले में बनें तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत ही फायदा होगा क्योंकि इससे बेड़े भी लग सकती हैं, बुआई भी हो सकती है, बाद में और चीजें बोई जा सकती हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि सब योजनाओं को बन्द करके पानी की समस्या को हल करना चाहिये। ठीक है, अगर ऐसा करें तो उत्पादन बहुत बढ़ जायगा।

माननीय पालीवाल जी ने कहा कि बीमा होना चाहिये। वाकई उनका बीमा होना चाहिये। आखिर किसानों से कौन सी दुश्मनी है? किसान तो उत्पादक हैं, वे उत्पादन करते हैं और तमाम दुनिया को जीवन दान देते हैं और आप उनकी फसल का बीमा नहीं कराते हैं। सरकार को चाहिये कि किसानों की फसल के लिये वह बीमा कराने का प्रबन्ध करे।

माननीय गेंदा सिंह ने तो सरकार को खुदा का प्रतिनिधि कहा लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं वे लोग कांग्रेस के नाम पर या अपनी तिकड़मबाजी से यहां आये हैं। माननीय राजाराम शर्मा जी ने कहा कि मुझे अफसोस है कि यहां सिंचाई मंत्री जी मौजूद नहीं है। ठीक है, क्यों मौजूद हों? क्योंकि उनको जबाब देना पड़ता और माननीय माल मंत्री कोई जबाब नहीं देंगे। तो उन्होंने ठीक कहा कि वे सुनने के लिये आते नहीं हैं। माननीय मुक्तिनाथ राय ने कहा कि ५ एकड़ पर एक कुंआ बनना चाहिये। बिलकुल ठीक है। अगर ऐसा हो जाय तो हमारे देश को कहतसाली या सूखा कुछ नहीं कर सकती।

**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, क्या किसी भाषण में "तिकड़मबाजी" शब्द पार्लियामेंटरी हो सकता है?

**श्री उपाध्यक्ष**---किस संदर्भ में उन्होंने कहा, इसे तो बतलावें।

**श्री रामलखन मिश्र**---जिस संदर्भ में माननीय सदस्य ने इस शब्द का प्रयोग किया वह बड़ा हेय है। वह तो श्रीमन् के सामने ही हुआ है। इस तरह से तो ऐसे शब्दों का दुरुपयोग हो सकता है।

**श्री खजानसिंह चौधरी**—मैं समझता हूं कि बोरिंग का काम बिलकुल ही नहीं हुआ है। बोरिंग का काम कम होता है, उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और इसी कारण पैदावार कम होती है। मेरा अर्ज करना यह है कि सूखा एक दैवी आपत्ति है, इसे कैसे रोका जाय, सरकार ही रोक सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। नहर या ट्यूबवेल दो ही तरीके हैं, नहर का हाल तो आप जानते हैं। बहुत लम्बी-लम्बी बनी हैं। शारदा नहर बनारस, इलाहबाद तक बढ़ाई है लेकिन तालाबों में पानी नहीं है। पानी देने की बात यह है कि जब तक १९ अगस्त तक पानी बरसा तब तक तो पानी देते रहे लेकिन अब सूखे में जवाब दे दिया गया कि पानी नहीं है। कभी-कभी नहर चलने लगी और अब तो बिलकुल ही बन्द हो गई। मैंने नियम ५२ के अन्दर नोटिस भी दिया था लेकिन उसे माननीय अध्यक्ष ने नामंजूर कर दिया। नहरों की सफाई फर्जी होती है और कोई क्लियरेन्स नहीं होता है, कुलाबों में पानी नहीं पहुंचता।

प्राइवेट ट्यूबवेल की तकावी बन्द कर दी गयी, अगर वह होते तो यह खुश्की यह सूखा कुछ नहीं कर सकता था, वह लोग अपनी आबपाशी खुद कर सकते थे और दूसरों को भी पानी देते। ट्यूबवेल सरकार खुद बनवाती है या कोआपरेटिव के द्वारा बनवाती है, ज्यादातर खुद बनवाती है इसलिये कि उसमें कुछ सरकारी अधिकारियों को मजा आता है, रुपया भी ज्यादा खर्च होता है और हमने यह देखा कि वह चलने से पहले ही खराब भी हो जाते हैं। हमारे यहां उन्नाव में कोआपरेटिव ने सफीपुर में दस बारह कुएं बनाये। वहां तकावी का रुपया मार-मार डंडे वसूल कर लिया गया हालांकि वह कुएं चल नहीं रहे हैं। इंडिया गवर्नमेन्ट से २० लाख रुपया मिला था वह लैप्स हो गया जो ट्यूबवेल के वास्ते था। उनकी नजर में शायद अब ट्यूबवेल्स की जरूरत ही नहीं है।

खरीफ आन्दोलन १५ दिसम्बर से शुरू हुआ, कर्मचारी लगन से काम करते रहे, नहर वाले कहते हैं कि पानी नहीं, जब पानी ही नहीं तो प्लानिंग क्या करेगा, वह बरबाद हो जायगा, कुछ नहीं हो सकता। मुहकमा रेवेन्यू को इंजीनियरिंग से अलग किया जाय, प्लानिंग के सुपुर्द पानी का काम किया जाय। मुहकमा नहर सिर्फ नहरों को अच्छी हालत में रखे। प्राइवेट ट्यूबवेल्स को तकावी दी जाय, कुओं और रहट के वास्ते ज्यादा से ज्यादा तकावी दी जाय ताकि उत्पादन बढ़े। यह मेरे सुझाव हैं। अब की बार ज्वार, मक्का, बाजरा तबाह हो चुके हैं, मंत्री जी इस पर गौर करें और किसानों को लगान में छूट दें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा अनाज मंगा कर दें।

हमारे यहां बुलन्दशहर जिले में रजवहा दादुरपुर पर एक स्थान पर कुलाबे के लिये कई दरख्वास्तें दी गयी कि वह डाल है तोड़ हो सकता है अगर मेन से कर दिया जाय। लेकिन मेन से मिलाने के खिलाफ एक किसान ने एतराज कर दिया कि मैं नहीं बदलना चाहता जब कि उससे बीसों किसानों का लाभ हो सकता था, उनका नुकसान हो रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय पद्माकर लाल जी। आपको कहीं बाहर जाना है, आप बोल लें।

**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि समय ७ मिनट कर दिया जाय ताकि और मेम्बरों को भी मौका मिल जाय बोलने के लिये।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं भी इसे ठीक समझता हूं और समझता हूं कि माननीय सदस्य इसका स्वागत करेंगे। लेकिन पद्माकर लाल जी को १० मिनट मिलेंगे क्योंकि उनका नाम मैं पहले ले चुका हूं।

**श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं उन लोगों में से हूं जो मानते हैं कि सूबा सरकार नहीं लायी है। लेकिन ऐसी दैवी विपत्तियों के मौके पर सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको सरकार निभा रही है या नहीं, इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

सारे सूबे में सूखा है। प्रदेश के हर भाग के लोग पीड़ित हैं। जब सूखा पर बहस के लिये हम दिन निश्चित कर चुके तो प्रकृति को भी समझ आयी और कुछ बारिश हुई। लेकिन प्रदेश के बहुत से भाग महरूम रहे हैं और वहां की स्थिति ज्यों की त्यों है। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। बाराबंकी से पूर्व के जितने जिले हैं उनके बारे में मुझे ज्ञान है। आजमगढ़ के बारे में, फैजाबाद के बारे में जो सौभाग्य से आपका क्षेत्र है और सुल्तानपुर के बारे में मेरी अपनी जानकारी है। अधिकांश भाग ऐसे हैं जहां १७ जुलाई को केवल एक बार वर्षा हुई। मान्यवर, यह भी बिलकुल मानी हुई बात है कि इस इलाके में जितनी खेती होती है उसके अधिकांश भाग में खरीफ की पैदावार होती है। उसमें लेट पैड़ी और अगहनी जो होती है उपजाई जाती है। श्रीमन्, चौथाई खेत बगैर बोये हुये रह गये हैं। यह मैं अनुमानतः बता रहा हूं। ७५ फीसदी जो बोये गये उनकी करीब-करीब ७५ फीसदी फसल सूख गयी है और १७ जुलाई के बाद १९ अगस्त को आखरी बारिश हुई थी उसके बाद वर्षा का नाम नहीं है।

सरकार के पास सिंचाई के साधन हैं। श्रीमन्, टांडा पम्प्ड कैनाल है। वह आपके क्षेत्र से भी संबंधित है और आजमगढ़ जिले की दो तहसीलों से भी संबंधित है। १५ दिन पहले मैंने वहां के इंजीनियरों से और कर्णधारों से कहा था लेकिन पानी आज तक वहां नहीं आया। सरकार के ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए हैं। ऐसी विपत्ति के मौके पर सरकार के जो सिंचाई के साधन हैं उनको अगर एकदम से खोल दे तो मेरा विश्वास है कि ३५ फीसदी फसल हम बचा सकते हैं। जब सोलह आने फसल बरबाद हो रही हो उस वक्त अगर ३५ फीसदी बचा सकें तो हम प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकते हैं।

श्रीमन्, मेरा चार्ज है सरकार के ऊपर कि लगान वसूलेंगे डंडे मार-मार कर मेरा दावा है कि ९५ फीसदी वसूली आज कोअरसिव मेथड से हो रही है, और इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता आजमगढ़ जिले में एक सिगढ़ी क्षेत्र है—माननीय मुक्तिनाथ राय उसे भूल गये—जहां पर ओले से सोलह आने फसल बरबाद हुई है। उस जगह आज आर्म्ड पुलिस की तैनाती करके डंडे मार-मार कर वसूली हो रही है। यह शर्म की बात है। ऐसे विपत्ति के अवसर पर सरकार का यह पहला कर्त्तव्य होता है कि जो आपका पावना है उसकी जो कोअरसिव मेथड से वसूली हो रही है उसको तुरन्त रोक दिया जाय। आपके मैजिस्ट्रेट और जिलाधीश इस बात को महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि आपका डंडा उनके सिर पर है लिहाजा वह आपके हुक्म को मानने के लिये बाध्य हैं।

माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये वर्षा के, लेकिन उन्होंने छिपा रखा है जो आज तक का नुकसान का ब्योरा जिला से आया है उसको भी सदन के सामने रखें। मुझे मालूम है, आजमगढ़, जिले की एक तहसील फूलपुर है जिसमें आज तक २०,००,००० रुपये का नुकसान हुआ है, यह सरकार के आंकड़े मैं बता रहा हूं और यह भी बताया गया है कि अगर पानी नहीं बरसा तो यह नुकसान दुगुना हो जायगा। आजमगढ़ जिले में ६ तहसीलें हैं हमने अंदाजा लगाया है कि आज की स्थिति में सवा करोड़ रुपये का नुकसान है और अब भी अगर पानी नहीं बरसा तो ढाई करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। ऐसे मौके पर लड़ाई के स्तर पर काम होना चाहिये। सरकार अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। मंत्री जी केवल आंकड़े इकट्ठे करने में फंस गये। पीड़ित जनता जो अकाल के मुंह पर खड़ी है अगर इस समय पर लड़ाई स्तर पर काम नहीं हुआ तो स्थिति काबू के बिलकुल बाहर हो जायगी। अब भी अगर सिंचाई के साधन खोल दिये जायं, नहर, ट्यूबवेल वगैरह और मुफ्त में पानी जलती हुई फसल को बचाने के लिये दिया जाय, तो फसल बहुत कुछ बरबाद होने से बच सकती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फसल बरबाद हो जायगी और अन्त में सरकार को लगान वगैरह में छूट देनी पड़ेगी और सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा बनिस्बत इसके कि अभी मुफ्त पानी देकर उस फसल को बरबाद होने से बचाया जाय। मैं आशारिया और मुस्बत के आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता, जो नुकसान हुआ है हमारे सूबे के अन्दर, जो हिसाब-किताब जिलों से आया है उसको मंत्री जी सदन के सामने रखने की कृपा करें।

अन्त में, मैं फिर कहूंगा कि सिंचाई के तमाम साधन खोल दिये जायं मुफ्त और गरीब तथा असहाय लोगों को मुफ्त राशन कार्ड की व्यवस्था की जाय, लगान, तकावी जो कोआरसिव मेथड्स से वसूल की जा रही है उसको स्थगित किया जाय। इसके अलावा मंत्री जी से चाहूंगा जो कुछ भी सुविधायें होनी चाहिये ज्यादा से ज्यादा तादाद में, जनता को उपलब्ध करायी जायं। टेस्ट वर्क खोले जायं जहां की जनता पीड़ित है। इस कार्य में पार्टीबन्दी का सवाल नहीं आना चाहिये। मुझे अफसोस होता है जब जिले के अधिकारी पार्टीबन्दी के आधार पर कार्य करते हैं, हर जगह की जनता पीड़ित है उसको काम देना चाहिये, पैसा देना चाहिये, जिले के कोने-कोने में टेस्ट वर्क खोल करके जनता को सहायता पहुंचानी चाहिये।

सस्ते गल्ले की दूकानों के बारे में मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने आदेश दिये हैं कि आवश्यकतानुसार दूकानें खोल दी जायं। जब जिलाधीश से बात करते हैं तो वह कहते हैं हमको कोई अधिकार नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि दूकानें घटती जा रही हैं। सड़ा हुआ आटे का नमूना मेरे पास है जो उन दूकानों पर मिल रहा है जिससे जनता डिसेन्ट्री और पेचिश से परेशान है।

इसके अलावा विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ होनी चाहिये। पूरे प्लानिंग और रेवेन्यू विभाग के स्टाफ को लगा देना चाहिये ताकि जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उनका जनता पूरी तरह से उपयोग कर सके, तभी जनता को सरकार राहत दे सकेगी। सिंचाई विभाग के बारे में ज्यादा नहीं कहना है। आज जितनी गैरजिम्मेदारी के साथ रेवेन्यू विभाग काम कर रहा है उतनी ही गैरजिम्मेदारी के साथ सिंचाई विभाग भी काम कर रहा है। दोनों का सामंजस्य नहीं है। जनता की जो मांग है, जनता की जो आवश्यकतायें हैं जरा भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे स्थिति बड़ी भयावह हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिलकुल निष्पक्ष भाव से इस तरफ सरकार ध्यान दे। किसी दल विशेष का इसमें सवाल नहीं है। किसान जनता का सवाल है जिसके द्वारा आप यहां बैठे हैं और यह सारा सदन बैठा है।

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय रामलखन मिश्र ने चौधरी खजानसिंह के बारे में 'तिकड़मबाजी' शब्द के ऊपर आपत्ति की थी। मैंने रिपोर्टर्स से कार्यवाही मंगाई। उसमें लिखा है माननीय गेंदासिंह ने उनको खुदा का प्रतिनिधि कहा। अगर इसको संसदीय मानते हैं तो यहां शब्द "तिकड़मबाजी" जिस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है वह असंसदीय नहीं है क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष के लिये इस्तेमाल नहीं किया गया।

**श्री श्यामलाल यादव** (जिला वाराणसी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सूखा से उत्पन्न परिस्थिति पर जो विवाद इस आदरणीय सदन में हो रहा है उसके एक पहलू पर बड़ा जोर दिया गया। वास्तव में सूखे का क्या प्रभाव है, उसका क्या फैलाव है और उससे उत्पन्न परिस्थिति का सामना वस्तुस्थिति को सामने रख कर किस प्रकार किया जा सकता है अगर इस पर विचार किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

जो स्थिति मेरे क्षेत्र में है मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह ऐसी भयावह नहीं है जैसा कि चित्रण हमारे माननीय सदस्य इस सदन के सम्मुख रख रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर रख रहे हैं कि मुझे भय है, कहीं उसका कुप्रभाव बाजार पर न पड़े, जनता के नैतिक बल पर न पड़े और उसमें वह सामर्थ्य न रहे—भगवान न करे वह विपत्ति सामने आये—कि उसका वह बहादुरी के साथ सामना न कर सके। अगर इस प्रवृत्ति से हम वस्तुस्थिति पर विचार करें तो संभवतः अधिक उपयोगी होगा और जनहित की दृष्टि से भी उच्चतम होगा।

अभी तक प्रारम्भ में जो वर्षा हुई इस साल, विशेष कर मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं—क्योंकि और जिलों के बारे में तो जो रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं के आधार पर जानकारी होती है—वह अच्छी तरह प्रारम्भ हुई और भदई की फसल अच्छी तरह बोयी गयी और

[श्री श्यामलाल]

धान भी बोया गया तथा उसकी रोपाई हुई और फसल ऐसी है जिसको साधारणतया अच्छा कहा जा सकता है, बहुत अच्छी नहीं तो साधारणतया धान की फसल अच्छी हुई है और यह जो भदई फसल है वह भी अच्छी मालूम होती है। आगे के लिये इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सिंचाई के साधन जो हमारे सामने हैं, जो सुविधा हमें प्राप्त है हम यह समझते हैं कि हमारे अधिकारी या कोई भी कर्मचारी उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ माननीय सदस्य आक्षेप कर रहे हैं मेरी समझ में वैसी बात नहीं है।

मेरे जिले में नहर विभाग का काफी लम्बा-चौड़ा काम है। ट्यूबवेल्स भी बहुत अधिक हैं और इसके अतिरिक्त जनता के अपने निजी पुराने साधन जलाशय हैं। यह कहना कि नहर विभाग अपने बंधों को बांध करके खुश होता है कि फसल सूख जाय मेरी समझ में यह बात सही नहीं प्रतीत होती। हमारे यहां जो बंधे हैं वे ऐसे बंधे नहीं हैं जो किसी बड़ी नदी से पानी प्राप्त करते हों। पानी उनमें तभी आता है जब बारिश जोर से होती है। नौगढ़ के क्षेत्र में जहां ६०–७० इंच बारिश होती थी वहां इस साल ३०–३२ इंच तक हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि धान की फसल के लिये ही सब पानी कैसे छोड़ दिया जाय। अभी रबी की फसल के लिये और ईख की बुआई के लिये तथा कितनी और फसलों के लिये पानी की जरूरत है और इन्हीं बधों पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है तो जो मौजूदा फसल है उसको जिस प्रकार से पानी दिया जा रहा है वह काफी सुविधाजनक प्रतीत होता है और ऐसी कोई आम शिकायत या किसी विशेष क्षेत्र से कोई समस्या हम लोगों के सामने नहीं आई कि जो पानी दिया गया वह उचित रूप से नहीं दिया जा रहा है।

हमारी समझ से मिर्जापुर में जड़हन के समय जो बंधी बनी उसमें पानी था लेकिन जब धान की जड़हन बढ़ी और उसके रोपने का समय आया तब और आज भी मैंने इतवार को देखा कि बराबर नहरें चालू हैं और अधिकांश कुलाबे चल रहे हैं। चन्दौली तहसील में जहां पर नहरें हैं वहां पर उनसे पूरे तौर से लाभ उठाया जा रहा है। यह सही है कि कुछ इलाके जहां पर नहरें नहीं पहुंच सकीं या उनका निर्माण नहीं हो सका—यह हमें ध्यान रखना है कि नहरों का पूरा विकास अभी तक नहीं हो पाया है—वहां थोड़ी-सी दिक्कत जरूर है लेकिन पिछले इतवार, सोमवार को जो बारिश हुई और मैं समझता हूं कि वह पूर्वी जिलों में काफी लम्बे क्षेत्र में हुई उसका एक अच्छा असर हुआ और उससे फसल को फायदा पहुंचा है। सम्भव है, भगवान् की कृपा हो कि आगे भी पानी बरसे। तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई जिसका बयान हमारे कुछ माननीय सदस्य यहां कर रहे हैं।

हां, ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिनको कार्यान्वित करने की जरूरत है। विशेषकर नहरों के फैलाव को और बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं कि वहां जो सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयी हैं उनको और अधिक गेहूं दिया जाय। यह कहना कि आटा खराब है, मैंने कई दूकानों पर खुद जाकर देखा, वह आटा काफी अच्छा था, लोगों ने भी बताया कि मिल से ताजा आटा उन दूकानों पर पहुंचा है। हमारा निवेदन है कि खासकर आजमगढ़ और मुगलसराय के दुलहीपुर और जलालपुर क्षेत्रों में जो दूकानें हैं वहां अन्न अधिक मात्रा में दिया जाय क्योंकि वहां पर लोगों के पास खेती नहीं है, वहां अधिकतर शहरी पेशे के लोग हैं।

जहां तक लगान और तकावी की वसूली की बात है पिछले दो-ढाई साल से मैं बराबर देखता हूं कि हर समय यही मांग की जाती है कि इनकी वसूली रोक दी जाय। कोई ऐसा समय नहीं आया जब किसी ने सहर्ष यह कहा हो कि हमारी तकावी और मालगुजारी बाकी है, ले लीजिये। जब भी वसूली होती है उसके खिलाफ एक आवाज बुलन्द की जाती है और जो लोग दे सकते हैं वे भी नहीं देना चाहते। अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो थोड़ी

ढिलाई की जाय लेकिन अधिकांश ऐसे खाते हैं जिनके पास थोड़ी मालगुजारी बाकी हैं क्योंकि अधिक रुपया उन्हीं को मिलता है जिनको उसे अदा करने की सामर्थ्य होती है, जिनकी हैसियत होती है ।

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे, आपको सम्भवतः मालूम है कि आज केवल दस ही मिनट हैं ।

**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर ५ मिनट और दे सकें तो अच्छा हो ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहने के पहले मैं एक परम्परा यहां देख रहा हूं और आज फिर उस ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमारे बहुत से मंत्रियों को फुरसत ही नहीं रहती बात सुनने की, कैसे फुरसत रहेगी बात समझने की ?

**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली)—अपोजीशन के लीडर्स भी नहीं हैं ।

**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—आपने तो बहुवचन में कहा । मैं कैसे कहूं कि माननीय सदस्य को साधारण व्याकरण का ज्ञान भी नहीं है । मैं तो यहां हूं ही, दीपंकर जी हैं, गेंदासिंह जी हैं । अगर हमारे मित्रों को बूढ़े-लूले-लंगड़े ही पसन्द हों तो बलिहारी है उस बुद्धि की । बुड्ढों की बजाय आप जवानों को पसन्द कीजिये ।

श्रीमन्, यह जो सूखे पर वाद-विवाद खड़ा है इसमें एक ही बात है । यह कहा जाय कि हम वाद-विवाद करके पानी बरसा देंगे तो इसमें कोई तर्क है नहीं । वास्तव में कृषि का जो सारा आपरशन है, वह किस समय पर क्या होना चाहिये यह मैं समझता हूं सरकार भी जानती होगी और जितने सदस्य यहां बैठे हैं वे भी जानते होंगे । समय पर पानी न मिलने के परिणाम स्वरूप कृषि की हानि होती है । यह सर्वमान्य बात है, श्रीमन् कि इस बार सारे प्रांत में समय पर पानी नहीं बरसा और दूसरे खंडित रूप में पानी बरसा है । इधर जो पानी बरसा है, मैं कहूं वह म्युनिसिपैलिटी जैसा छिड़काव हुआ है । ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को पानी का प्रबन्ध उचित समय पर करना चाहिये था, लेकिन नहीं हुआ । आप कहेंगे कि ट्यूबवेल हैं, नहरें हैं और अन्य साधन हैं । लेकिन श्रीमन्, खाली साधनों से तो काम नहीं चला करता है । उनका प्रयोग भी तो होना चाहिये और समय पर होना चाहिये । अभी मुझे माननीय हिम्मतसिंह जी ने बताया कि उनके क्षेत्र से नहर जाती है । पारसाल बुआई का सारा मौसम बीत गया लेकिन पानी नहीं मिला । यह शिकायत श्रीमन्, सब जगह है ।

ट्यूबवेल में भी यही शिकायत है । इस सदन में भी प्रश्न उठते हैं कि फलां जगह पानी नहीं मिला । सिंचाई विभाग से उत्तर आया कि मशीन बिगड़ गई थी । मैं मान लेता हूं कि जो कार्य यंत्रों से तथा विद्युत् से चालित होते हैं उनमें गड़बड़ी आ सकती है । लेकिन सवाल यह है कि सिंचाई विभाग द्वारा समय से एक प्लान तैयार रहना चाहिये और पहले से योजना बनाकर तैयार रखनी चाहिये । वह नहीं होता है । जब आपदा आती है, जब स्थिति भीषण हो जाती है तब आप इंतजाम करने चलते हैं ।

मेरा कहना यह है कि एक विदेशी कहावत है कि जिस समय युद्ध हुआ तो moltake से अधिकारियों ने पूछा कि क्या किया जाय तो उसने कहा कि "टेक आउट प्लान नंबर १९" यानी १९ नम्बर का प्लान निकालो । युद्ध कब हुआ लेकिन बहुत पहले से प्लान बनकर तैयार हो गया और उसी के अनुसार कार्य किया गया और विजय प्राप्त हुई । आप क्यों नहीं यह करते आप क्यों नहीं अपने अधिकारियों को बाध्य करते हैं कि जुलाई-अगस्त में धान के लिये पानी चाहिये तो पहले से वह लोग प्लान बनाकर तैयार रखें । सिंचाई विभाग से समय पर पानी मिले यह नहीं होता है । यही तो सारी शिकायत है ।

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

दूसरी शिकायत यह है कि जो योजनायें उनकी बनी हैं वह बड़ी आश्चर्यजनक हैं। मैं केवल एक ही उदाहरण लूंगा। मिर्जापुर में लोअर खजरी और अपर खजरी बांध बना है। आपके सारे इंजीनियरों ने बांध बना लिया और चैनेल्स बनाई गईं। लेकिन जब उस बांध को खोला गया तो चैनेल्स में पानी चढ़ा ही नहीं। बाद में इंजीनियर्स को बुद्धि आई कि पानी का जो नेचुरल flow है उसके विपरीत चैनेल्स बनाई गई हैं। इसलिये अब वहां पर दूसरा बांध अपर खजरी बन रहा है। यह श्रीमन्, अपरिपक्व बुद्धि से काम किया जा रहा है। इसी कारण से यह सब होता है।

श्रीमन्, अब मैं आपको ट्यूबवेल का उदाहरण देना चाहता हूं। जौनपुर जिले में कचगांव में एक ट्यूबवेल है जिसकी गूल में पानी नहीं चढ़ा। यहां का भी वैसा ही किस्सा है जैसा खजरी बांध का है। यहां की जमीन का पानी का flow उत्तर से दक्षिण है और जो गूल बनाई गई है वह दक्षिण से उत्तर की ओर बनाई गई है। अब श्रीमन्, यह आसानी से समझ में आ सकता है कि पानी कैसे चढ़ सकता है। लेकिन पहले से इस बात को नहीं देखा गया था। लखनऊ में गाजी हैदर ने एक कैनाल गंगा जी लाने के लिये बनवाई लेकिन उसमें गंगा जी तो नहीं आयी और वह एक गंदा नाला बनकर रह गया क्योंकि ड्रेनेज उस ओर नहीं है। श्रीमन्, इससे स्पष्ट है कि सरकार की जो योजनायें होती हैं उनमें गंभीर विचार नहीं होता है। पानी के ढाल के बारे में पहले विचार नहीं किया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप स्थिति बिगड़ती चली जाती है।

तीसरी श्रीमन्, शिकायत यह है कि हम मानते हैं कि प्रकृति में एक साइकिल आती है सूखा और अनावृष्टि की। यह कहावत खेती के लिये प्रसिद्ध है कि "इट इज ए गैम्बिल विद रेन" पिछली बार जब माननीय चरण सिंह जी माल मंत्री तथा अर्थ मंत्री दोनों थे तो उन्होंने एक योजना रखी थी कि सारे प्रदेश में छोटे-छोटे कुयें बना दिये जायं और उनका कमांड एरिया जहां तक बैल लग सकें, उसके अनुसार रख दिया जाय और उन्होंने कहा था कि इतने कुयें बनवा दिये जायं कि सारा क्षेत्र सैचूरेटेड हो जाय। लेकिन उस योजना को नहीं लिया गया।

आप तो बड़ी-बड़ी योजनायें लेते हैं। भाखरा नांगल बांध का इतना आज नाम है लेकिन उसकी क्या दुर्गति है और कहीं दुर्भाग्य से और फट गया तो पंजाब बह जायगा। वैसे ही यह बड़ी-बड़ी योजनाएं लेते हैं। बड़ी योजनाएं सफल होने में समय लगेगा, रिटर्न देर में आयेगा, पैसा ज्यादा लगेगा। परन्तु आवश्यकता हमको आज है। तो छोटी योजनाएं क्यों नहीं लाते हैं? आप सारे कुएं बनवा कर सैचुरेट क्यों नहीं कर देते? कुएं पंचायतों को दे दें। किसान अपने बैल लायें और सिंचाई कर लें। उसमें रिटर्न जल्दी होगा और यह दुखद कहानी कहना खत्म हो जायगी। तो बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी योजनाएं ले कर चलें। इसके अतिरिक्त सिंचाई की बड़ी योजनाएं तो बना रहे हैं लेकिन पुरानी योजनाएं नष्ट होती जा रही हैं। बस्ती में बर्डपुर के सारे इलाके में बहुत सुन्दर छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं। लेकिन आपने राम गंगा कैनाल बनायी। उस कैनाल का पानी किसान ले तो आपको पैसा मिले। अगर आप उन बांधों की मरम्मत करवा देते, तो सब को आसानी से पानी मिल जाता। मैं यह आरोप लगाता हूं कि आपने जानबूझ कर नयी योजनाओं में पैसा लगा कर पुरानी योजनाओं को पटने दिया है। जो पुराने साधन हैं उनको मरम्मत और ठीक करना चाहिए था। आज बर्डपुर का सारा किसान कैनाल से पानी नहीं ले पाता है और न पुराने साधनों से पानी पाता है। यह वह इलाका है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ग्रेनरी कहलाता था। बस्ती में नौगढ़ और बर्डपुर धान की खान थे। ये सारे पूर्वी प्रदेश को खाना देते थे।

इसके अतिरिक्त आज हो यह रहा है कि ट्यूबवेल बने हैं लेकिन पावर नहीं मिल रही है। वे बेकार पड़े हैं। साधन होने के बावजूद साधन का ठीक से उपयोग, उसकी प्लेसिंग

और आपरेशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति की भीषणता और भीषण होती जा रही है। नेचुरल ड्राट के साथ मैनमेड ड्राट भी हो जाता है। यह तो सब मानने को तैयार हैं कि प्रकृति ने एक प्रकार से सूखा इस प्रान्त में दिया है। कहीं मक्का नष्ट हो गया तो कहीं अर्लीपैडी नष्ट हो गयी और लेटपैडी की कोई आशा नहीं रही। कितनी हानि हुई है इसकी पूरी जानकारी माल विभाग को होनी चाहिए क्योंकि वसूली का समय आ रहा है। जिस फसल के आधार पर लगान लिया जाता है उस फसल के नष्ट हो जाने के कारण उनमें लगान देने की शक्ति नहीं रही। आपके सामने लगान माफी का प्रश्न खड़ा होगा इसलिए अभी से सारे आंकड़े मंगवा कर रख लें। रेवेन्यू डिपार्टमेंन्ट से रिपोर्ट मांगे, और हमारी भी कुछ सुने। फिर जो वास्तव में न्यायपूर्ण सत्य हो उसके आधार पर किसानों का लगान माफ करें। नहीं तो जब खरीफ की वसूली में सख्ती शुरू होगी तो एम० एल० एज० के तार और चिटिठ्यां आयेंगी और जब अगला सेशन होगा तो सरकार तीन चार आने की छूट दे कर कह देगी कि हमने छूट दे दी। लेकिन जो छूट देनी चाहिए वह टोटल लास के अनुपात में है या नहीं यह देखने की बात है। आप समय से आंकड़े नहीं मंगाते, रिपोर्ट नहीं मंगाते और माल विभाग ऐसे लोगों के द्वारा सही रिपोर्ट दें। मैं यह नहीं कहता कि जानबूझ कर सारी रिपोर्ट गलत भेजते हैं। लेकिन एक पद्धति चली जा रही है। अगर किसी माल विभाग के अधिकारी ने १६ आने में १६ आने नुकसान हुआ यह लिख दिया, तो सेक्रेटरिएट से उस पर डांट पड़ती है। मैं नाम नहीं लूंगा। जौनपुर में १९५७ में १६ आने लास हुआ। वहां के कलेक्टर ने १८ लाख में १६ लाख माफ करने की सिफारिश की। उनसे पूछा गया कि तुम ने ऐसा क्यों किया। नतीजा यह होता है कि लोग ठीक रिपोर्ट देने से घबराते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार का इन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इनकी ओर वह आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार हो।

**श्री सीताराम शुक्ल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शुबहा नहीं कि अपनी सरकार जहां तक सम्भव है कोशिश कर रही है कि इस परेशानी से प्रान्त के किसानों को बचाये और यह हो सकता है कि कोई सरकारी कर्मचारी लापरवाही कर गया हो, अच्छे बुरे हर जगह थे, हैं और कल भी रहेंगे लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई इंजीनियर या कोई तहसीलदार यह चाहेगा कि सूखा पड़ जाय और यहां के किसान दुखी हों। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। मैं तो समझता हूं कि निहायत मेहनत से कोशिश की जा रही है कि उसको फेस किया जाय, मुकाबला किया जाय परेशानी कम की जाय। मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ कि इस वक्त जहां हमें संजीदगी से विचार करना था कि हम कैसे उनको मदद पहुंचाये वहां भी पार्टीबाजी और गवर्नमेन्ट को बदनाम करो जिससे कि आइन्दा वोट मिल सके, यह रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इस वक्त तो हमें गम्भीरता और संजीदगी के साथ विचार करके सुझाव देना था कि किस तरह से इनकी दिक्कत को हल किया जाय। यहां कोई मैं व्याख्यान देने की जरूरत नहीं समझता था। अपनी गवर्नमेन्ट, अपने कर्मचारी, उन्हीं के साथ सभी समझते हैं और चाहते हैं कि कैसे प्रदेश को बचाया जाय। लेकिन हुजूरवाला, यहां की आवाज यहीं तक नहीं जाती। यहां जो कुछ अर्ज किया जाता है वह सेंट्रल गवर्नमेन्ट तक पहुंचता है उसका असर दुनिया पर भी पड़ता है और इसलिए मैं यहां अर्ज करना चाहता हूं कि यह ऐसी विपति है कि जो इस गवर्नमेन्ट के मान की नहीं है। सारे सूबे में हाय-हाय मच गई है। इसलिये जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट से हमको मुनासिब मदद मिले और दुनिया से भी मदद मिले तब तो इसे फेस किया जा सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा केस करना। मैं जानता हूं कि परेशानियों को बतलाकर और परेशान करना अच्छा नहीं होता। किसी शायर ने कहा है कि "परेशानियां मेरी उनसे न कहना, इसे जो सुनेगा परेशान होगा।" मैं इसको जानता हूं। लेकिन अगर न कहूं तो उनकी परेशानी दूर नहीं हो सकती है।

इसलिये अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि फसल जो बड़ी अच्छी थी, लहलहा रही थी, मेरे अपने जिले में जहां सूखा नहीं पड़ा था वहां फसल बड़ी अच्छी थी, किसान

[श्री सीताराम शुक्ल]

खुश था कि अबकी अच्छी फसल होगी, आराम से रहेंगे, विपत्ति कट जायगी, लेकिन सूखे ने आकर उस पर तुषारपात कर दिया, उसकी इच्छायें मुरझा गई, परेशानियां बढ़ गई । माननीय उपाध्यक्ष महोदय खयाल यह था कि आराम की जिन्दगी बसर करेंगे, क्वार आ रहा है, इस वक्त फसल कटती थी, ककड़ी की, जोन्हरी की, सावां की, कोदों की भी, पर नहीं मिल सकी। बीच में ही उपवास शुरू हो गया। हालत यह है कि जो बेचारे मजदूरी करना चाहते हैं उन्हें कोई काम देने वाला नहीं है। फसल की हालत यह है कि चारों तरफ चक्कर लगाकर किसान जब आता है तो बाहर बच्चा पकड़ लेता है उंगली और कहता है कि दादा खाने को क्या लाये हो ? सभी बच्चे तुतलाकर बोलते हैं। जब बच्चा तुतलाकर कहता है कि दादा भूख लगी है तो आप जानते हैं कि बच्चे की तुतली बोली कितनी प्यारी लगती है लेकिन जब वह भूख लगने की बात कहता है तो बाप को बड़ा कष्ट होता है। बच्चा जब खाने के लिये मांगता है तो मां और बाप के लिये बड़ी मुसीबत का सामना होता है। उसकी मां भूखी है और बाप भी भूखा है। गोद मे ३-४ महीने का बच्चा है। उसकी मां को खाना न मिलने की वजह से दूध भी छाती में नहीं उतरता है तो वह छोटा बच्चा भी उस समय उपवास करता है। इस प्रकार की विपत्ति में नींद भी नहीं आती और अगर कहीं पर सो भी गया तो ख्वाब देखता है कि तकावी मांगने के लिये दरवाजे पर अमीन आ गया है। अमीन रुपया मांगता है। तकाजा करने वाला नहीं है और न कोई वसूल करने वाला है लेकिन वह अफसोस कर रहा है कि क्या बतलाये परमात्मा ने हमको ऐसा ही पैदा किया। दिन में आराम नहीं रात को आराम नहीं न बचपन मे आराम और न बुढापे में आराम। वह कहता है तभी लाचार हो कर कि हमको भगवान मौत ही दे दे हम मर जांय।

मैं गुजारिश करता हूं कि उसकी विपत्ति दूर करने के लिये अब सरकार को और हम सब को ध्यान देना चाहिये। उन लोगों के ऊपर कर्जा इतना लद गया है कि जो वह अदा नहीं कर सकता। इतनी बार उसका लगान माफ हो चुका है कि और लगान माफी की अब जरूरत नहीं रह गई है। कर्जे की भी अब उसको जरूरत नहीं है। वह आप देंगे तो वसूल किया जायगा। उनको दे भी चुके है। लिहाजा इस बात की जरूरत है कि उनको बिला सूद के कर्जा दिया जाय और मुफ्त दिया जाय। उनको गांवों में कुयें कच्चे और पक्के बनाने के लिये रुपया दिया जाय। उनको खाने के लिये पैसा दिया जाय। यदि सरकार के खजाने मे पैसा नहीं है तो जिनके पास पैसा है उनसे इस हाउस की अपील होनी चाहिये। वे लोग उनकी मदद करे। बिला सूद के और बिला वापसी के उनको मदद पहुंचाई जाय। दुनिया से अपील की जाय कि बिला सूद के उनको कर्जा दिया जाय अपनी आमदनी में से यदि १०-२० फीसदी उनको दिया जाय तो वे बचाये जा सकते है वरना नहीं। पच्छिमी जिलों में तीन आना रुपया माफी दे रखी थी मगर वह अब नहीं है। मेरी गुजारिश यह है कि चार महीने तक एक परसेन्ट के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों और एम०एल० ए० की सेलरी से काटकर उन लोगों के लिये भेजा जाय। सिर्फ जबानी जमा खर्च न हो। उनके लिये कंट्रीब्यूशन किया जाय तो उनकी विपत्ति मिट सकती है। अगर उनके लिये आंसू ही बहा दिये जांय तो इससे भी उनको सान्त्वना मिलेगी।

**श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे जो आपने अवसर प्रदान किया है मैं आपका कृतज्ञ हूं। आज उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वह, भयावह स्थिति से गुजर रहा है। अभी ६,७ तारीख को मैं गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के कई हिस्सों का कमिश्नर साहब के साथ दौरा कर रहा था। वहां की हालत देखकर हृदय कांप उठता है। यह मैं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सरकारी कर्मचारियों पर इसी प्रकार थोड़े दिनों तक यकीन करते रहें तो थोड़े दिनों के बाद जनता द्वारा आपको मालूम होगा कि वहां की स्थिति कितनी भयावह होती चली जा रही है। जो कुछ पूर्वी अंचल में हो रहा है कि वहां पर बराबर बाढ़ आई और इस साल जब वहां पर बाढ़

नहीं है तो वहां के पोखर, तालाब बिल्कुल सूखे हुये हैं। उससे हालत और भी खराब हो गई है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किसानों के ऊपर किस प्रकार की आज विपत्ति आई हुई है। मैं सरकार की आलोचना नहीं करता हूं लेकिन मेरा विश्वास है कि आज सरकार के अधिकारी इस प्रदेश में किसानों की कठिनाइयों के लिये जिम्मेदार हैं। उनकी बहबूदी और उनके जीवन रक्षा के लिये वे कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। हमारा मन्त्रिमंडल महसूस करता है और उनको आदेश देता है लेकिन वह प्रदेश की राजनैतिक पार्टीज की बातें करते हैं और कहते हैं कि कौन मिनिस्टर साहब बदले हैं और कौन बदलने वाले हैं। जब उनकी ऐसी नीति है तो वे जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं।

अपने जिले में बानगंगा एक नहर है जिससे उस इलाके में काफी पैदावार होती है, लेकिन वह उसमें पानी देने से लाचार हैं। अभी सिंचाई मंत्री जी वहां गये थे, मैंने उन से कहा कि पानी दिलाया जाय, हालत खराब हो रही है तो इंजीनियर साहब कहते हैं कि दिल्ली से तार आया है कि इतनी वर्षा होगी कि सारी फसल बह जायगी और वहां सारे किसान तबाह हो रहे हैं। हो सकता है कि ७ तारीख के बाद काफी पानी बरसा हो लेकिन अर्लीपैडी की बहुत बड़ी हानि हुई है। परसों मैं देवरिया गया था, वहां हाकिम परगना भी मौजूद थे, तहसीलदार भी मौजूद थे, मैंने देखा कि अगहनी की फसल में दो-तीन आने पैदावार भी नहीं हो सकती। पूर्वी जिलों का दारोमदार अगहनी पर ही रहता है। लेकिन इसमें गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और बलिया की हालत बहुत ही खराब है।

एक साथी ने यहां फरमाया कि बनारस की हालत ऐसी नहीं है। मुझे यह सुन कर खुशी हुई, लेकिन मे आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूर्वी जिलों की तरफ काफी ध्यान दें। आज नहीं तो एक-दो महीने में जब कुछ पैदावार हो कर नहीं निकलेगी तो आपके पास खाद्य की मांग आयेगी। मैं मानता हूं कि आप उस समय फीस और लगान माफ करेंगे, लेकिन जो मौत आने वाली है उसका सामना करने के लिये आप आज से ही प्रयत्न शुरू कर दीजिये। आपको उस इलाके में काफी खाद्यान्न पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिये और हर अदालती पंचायत के क्षेत्र में खाद्य पहुंचाना चाहिये। आपको सन् १९५२ की तरह से इंतजाम करना होगा नहीं तो वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैंने दो-तीन दिन के दौरे में सरकारी अफसरों के साथ जो देखा है, हो सकता है कि कहीं अर्ली पैडी हो गयी हो लेकिन वहां काफी नुकसान है। सरकारी अफसर लोग तो जीप लेकर नहर या नदी के किनारे जा कर देख आते हैं जहां की फसल कुछ अच्छी होती है और उसी हिसाब से अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। अगर उनकी रिपोर्ट को सही मान कर आप यहां बैठे रहेंगे तो पूर्वी जिलों में बड़ी मुसीबत आ जायगी। यही मेरा निवेदन है।

**श्रीमती राजेन्द्रकुमारी** (जिला हमीरपुर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूं। मुझे बोलने का शौक नहीं है लेकिन मैं आज देखती हूं कि प्रान्त में इस पानी और सूखे को ले कर त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस संबंध में मुझे दो-एक बातें कहनी हैं मैं सरकार की आलोचना करने नहीं खड़ी हुई। मैं देखती और सुनती हूं कि पूर्वी जिलों मे आज क्या मुसीबत है। जब फसल अच्छी होती है तब भी वहां त्राहि-त्राहि मची रहती है इसलिये मुझे आप के द्वारा सरकार से कहना है कि यह जनता की सरकार है और सरकार इसलिये होती है कि जनता की तकलीफों को रफा करे। लेकिन सरकार में यह कभी दिखायी देती है और वह जनता की ओर ध्यान नहीं देती। जनता बहुत मुसीबत में है। पूर्वी जिलों की हालत सुन कर हम लोगों को रुलाई आती है और सरकार का जरा सा ध्यान भी उधर नहीं जाता। इस बात का मुझे दुख है।

मान्यवर, आपके जरिये मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि जैसे हमीरपुर जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां की हालत को सदस्यों ने और मंत्रियों ने भी देखा है। वहां बहुत गरीबी है और जनता बहुत परेशान है। कोई वृक्ष वहां नहीं है, बगीचे नहीं है सिर्फ खेती के जरिये से ही उसकी परवरिश होती है। वहां इस साल फसल नहीं बोई गई और जो बोई भी गई कुंओं से बोई गई, वहां पानी नहीं बरसा। वहां सूखे से किसानों

[श्रीमती राजेन्द्रकुमारी]

में त्राहि-त्राहि मची हुई है। रबी की फसल के सिलसिले में इसी सदन में मैंने प्रश्न किया था ओला वृष्टि हुई थी और बहुत बड़ी क्षति हो गई थी। मैंने यह कहा था कि १६हों आने क्षति हुई थी। वहां से रिपोर्ट मंगाई गयी तो सरकारी रिपोर्ट भी १४ आने क्षति की आयी। लेकिन मुझे दुख है कि वहां इसके बाद भी कोई छूट नहीं दी गयी और सारी वसूलयाबी की गयी। इसका मुझे महान् दुख है।

मान्यवर, जो शाखायें नहरों की निकली हुई है हमारे क्षेत्र में—वहां पर कैसे सिंचाई होती है यह देखना चाहिये। हमारे यहां बुंदेलखंड की जमीन ऊंची-नीची है। आप लोगों को पता है कि वहां लोगों को पानी पीने के लिये नहीं मिलता और त्राहि-त्राहि पानी के लिये मची रहती है लेकिन सरकार ने आज तक वहां पर कोई इन्तजाम नहीं किया है। नहरें जो हैं वह इस तरह से है कि खेत ऊंचे पर हैं या नीचे पर है इसलिये वहां वह आसानी से आबपाशी नहीं कर सकते इसीलिये मैं यह कहती हूं कि अगर वहां पानी नहीं बरसता तो दोनों फसलें बरबाद हो जायेंगी। अगर वहां ध्यान नहीं दिया गया तो वहां खाने के लाले पड़ जायेंगे और सरकार की कोई मदद वहां से नहीं मिल पायेगी। जो नहरें हैं भी उनके लिये किसान ओवरसियर्स से कहते हैं कि कुलाबा नीचे कर दीजिये या ऊंचे कर दीजिये तो वे भी जरा नहीं सुनते और वह तामझाम दिखाते हैं। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि अभी भी आपने उसके लिये कोई इंतजाम नहीं किया तो उस हिस्से पर जो संकट आने वाला है उसको सोचना मुश्किल है। मैं यही कहने के लिये खड़ी हुई थी। कोई आलोचना करने के लिये नहीं खड़ी हुई। मुझे दुख है कि सरकार का ध्यान जरा भी बुन्देलखंड की ओर नहीं जाता। खासतौर से हमीरपुर के लिये मैं कहती हूं कि उस गरीब जनता के लिये हमदर्दी रखनी चाहिये। मैं सोचा करती हूं कि हमीरपुर के लिये क्यों इतनी उपेक्षा है। अभी जब मंत्री जी गांवों के नाम ले रहे थे तो मैं सोचती थी कि हमीरपुर का नाम शायद नहीं लेंगे लेकिन जब उन्होंने वहां का भी नाम लिया तो मुझे थोड़ा-सा संतोष हुआ। मैं यही सोचा करती हूं कि हमीरपुर की जनता ने सरकार का क्या बिगाड़ा है कि वह कभी उनके लिये कोई अच्छी बात नहीं रखती।

रबी की फसल की वसूलयाबी जबकि १४ आने की क्षति हुई तब भी की गई इसका मुझे महान् दुख है क्योंकि वहां की जनता बहुत गरीब है। जब मैं वहां गयी तो लोगों ने कहा था कि हम बहुत गरीब हैं हमारी बात कहियेगा और जब मैं दुबारा गई तो लोगों ने कहा कि हमने तो औरतों का जेवर और सामान गिरवीं रखकर उगाही दी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाती हूं कि वहां की जनता के लिये राहत देनी चाहिये। आशा करती हूं कि वहां जनता के साथ हमदर्दी के साथ और समानता के आधार पर व्यवहार होगा। वहां की जनता दुखी है तकलीफ में है। थोड़ी सी मेरे दिल पर चोट लगती है इसलिये मैं वहां के बारे में कहती हूं कि मेरे जिले के लिये कोई अच्छा काम नहीं होता। अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि सरकार को हर जगह की खोज खबर रखनी चाहिये। सरकार जनता के लिये बनी है और उसे जनता की तकलीफों को दूर करना चाहिये। पूर्वी जिलों की जनता भी बहुत तकलीफ में है। यहां जमीन कम है आबादी ज्यादा है लेकिन फिर भी सरकार को वहां के लोगों के खाने और पहनने के लिये इंतजाम करना चाहिये और बुन्देलखंड का भी ख्याल रखना चाहिये। बस, इसीलिये मैं खड़ी हुई थी।

**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से कुछ चन्द बातें अदब के साथ कहना चाहता हूं। अब तक जितने भी लोग बोल चुके हैं उनके भाषणों को सुनने के बाद अब यह मुगालता नहीं रह जायगा कि सूखा कैसे भीषण रूप में ान्त में व्याप्त है। सिवाय बनारस के एक माननीय सदस्य, श्री श्यामलाल के, इस बात को सभी ने महसूस किया। लेकिन इन तमाम चीजों के होते हुए और इस प्रश्न की भीषणता को

देखते हुए आज इस समय हमारे सिंचाई मंत्री और उपमंत्री जी गैर हाजिर हैं। उनके विभाग के किसी इंजीनियर का भी पता नहीं कि कोई इसको नोट कर रहा है या नहीं। सूखा और सिंचाई का क्या सम्बन्ध है यह सब लोग भलीभांति जानते हैं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा एक बात कहना चाहता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है लेकिन हमारे मंत्रिगण उसको महसूस नहीं कर रहे हैं। पूर्वी जिलों में अकाल की छाया मंडरा रही है। देवरिया में तो मौतें भूख से हो गयी हैं। गाजीपुर में २६ अगस्त को भूखी औरतों और बच्चों के एक जलूस ने सस्ते गल्ले की दूकान को लूटने की कोशिश की। उन पर लाठी चार्ज हुआ, कई घायल हुए, ७ आदमी गिरफ्तार किये गये लेकिन फिर भी कोई इस चीज की भयंकरता को समझ नहीं रहा है। यहां इस समय सदन में मुख्य मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, खाद्य मंत्री जी जरूर मौजूद हैं और कृषि मंत्री जी का पता नहीं है क्योंकि वे सब लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी तनख्वाह के ऊपर सूखा पड़ने वाला नहीं है या असम वर्षा का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप इस घमंड में न रहिये कि पब्लिक हमको बार-बार चुन कर भेजती ही रहेगी और जो लोग आप को चुन कर भेजेंगे उनकी जिन्दगी के साथ आप इसी तरस से खिलवाड़ करते रहेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, इतिहास ने कभी उनको क्षमा नहीं किया है और न अब क्षमा करने वाला है।

आपके शासन काल में न तो सिंचाई बढ़ी है बल्कि जो पुराने सिंचाई के साधन थे वे भी नष्ट हुए हैं। नहरों के निकालने में, ट्यूबवेल्स के बनाने में तो उपेक्षा बरती ही गयी है बल्कि पुराने साधनों को बदस्तूर नहीं रखा गया। पोखरे, तालाब और कुएं जमींदारी टूटने के बाद सब अस्त-व्यस्त हो गये हैं। वे गांव पंचायतों को सौंपी गयीं लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, उनको नष्ट होते हुए देखते रहे। लाखों तालाब, ताल, तलैया, पोखरे और गढ़ैया लोगों ने जोत लिये। आज भी वे उनके कब्जे में हैं। दूसरी तरफ सूखा से लोग तड़प रहे हैं। मैं इस बारे में अधिक न कह कर चन्द सुझाव श्रीमन् के द्वारा देना चाहता हूं।

पहली बात यह कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का लगान तथा खाद और बीज जो तकावी के रूप में दी गयी है वह तकावी पूर्णतया माफ होनी चाहिये। जिन लोगों ने बीज लिया वह इस उम्मीद पर लिया कि हमको सिंचाई के साधन मिलेंगे, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन सरकार भी अकर्मण्यता की वजह से और कुछ प्रकृति के प्रकोप की वजह से वे मारे गये और इस तरह लगातार सन १९४८ से वे मारे जा रहे हैं। कभी बाढ़ आगयी, कभी वर्षा, कभी असामयिक वर्षा, कभी सूखा से वे बराबर परेशान रहे हैं तो उनका यह सब माफ हो जाना चाहिये। फौरी सहायता के लिये टेस्ट वर्क चालू करना चाहिए और टेस्ट वर्क में भी सिंचाई के साधनों की तरफ प्राथमिकता होनी चाहिये नये कुओं का निर्माण होना चाहिये। पोखरी, तालाब और सिंचाई के दूसरे साधन जिनको लोगों ने जोत लिया है, उनको अविलम्ब उनके कब्जे से आर्डिनेन्स बना कर निकालना चाहिये और उसकी खेती के लिये समुचित व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिये। सूखा वाले क्षेत्र में सिंचाई के रेट या तो बिल्कुल कम कर दिये जायं, या माफ कर दिया जाय, नहीं तो कम से कम आधा जरूर कर दिया जाय और सूखा वाले क्षेत्र में जहां पर लगान, तकावी बहुत कड़ाई के साथ वसूल की जा रही है, उन जगहों पर यह वसूलयाबी बन्द कर दी जाय।

साथ ही साथ हमारे जिले में कुछ नहरों का काम हुआ है। एक तरफ नहर शारदा कैनाल से आयी है वह गाजीपुर जिले के जितने हिस्से में पड़ती है, आज दो-तीन वर्ष से किसानों की हजारों एकड़ जमीन ली गयी है लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं मिल सका है। रामगढ़ कैनाल जो बना है उसकी वजह से ६, ७ मील एरिया की हजारों एकड़ जमीन किसानों की ले ली गयी है लेकिन मुश्किल से एक मील के दायरे में ही सिंचाई हो पाती है। बाकी ५ मील उसी तरह से पड़ा हुआ है। नौगढ़ बांध से हमारे जिले में एक कैनाल आयी है लेकिन गाजीपुर जिले में आकर वह सूख गयी है, खतम हो गयी है। वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था

[श्री पब्बरराम]

नहीं है और किसानों की जो जमीन दो-तीन वर्ष से ले ली गई है उसका मुआवजा भी उनको नहीं दिया गया है। उनका लगान भी कड़ाई के साथ वसूल किया जा रहा है फिर भी पानी का एक बून्द नहीं प्राप्त हो रहा है। उल्टे वहां एक और नहर बनाने की योजना की जा रही है जब कि पानी की क्षमता इतनी कम है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर एक मर्तबा माननीय मंत्रिगण का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस स्थिति की गंम्भीरता को महसूस करें और महसूस करके प्रदेश की सिंचाई के साधन जिले में बनावें। यह मेरी रिक्वेस्ट है।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने तमाम मित्रों का बड़ा आभारी हूं, जिनकी आज इस विवाद का प्रश्न लेकर के इस सिलसिले में कुछ बातचीत हुई और अपने मित्रों से इस संबंध में मुझे कुछ हालात मालूम हुए। मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत ही अच्छे काम में सर्फ हुआ, उसके लिये मैं अपने मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं। इस दौराने बहस में हमको कुछ सुझाव भी मिले, कुछ शंकायें भी जाहिर की गयीं, और हमको उस पर सोचने का भी मौका मिला और मिलेगा।

हमारे भाई गेंदासिंह जी ने मेजर प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी कुछ बातें कहीं कि टार्गेट को और उसकी पोटेंशियलिटी को पूरा क्यों नहीं किया गया। यह ठीक बहस है और एक माकूल सवाल है। लेकिन वे इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर प्रोजेक्ट होते हैं, लांग रेंज प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी-कभी बाज मौके पर ऐसे बाटल नेक हो जाते हैं, ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाया करती हैं कि जिससे काम में रुकावट हो जाती है। चौदह लाख या कितने एकड़ की सिंचाई हुई लेकिन इससे अधिक होनी चाहिये जो नहीं हो सकी। मैं सदन को बता दूं कि कई जगह ऐसा हुआ कि नहर जा रही है बनती हुई, इधर भी तैयार उधर भी तैयार, बीच में रेलवे लाइन आ गई, लिखा-पढ़ी हो रही है जब तक उनकी मंजूरी न हो तो पुल वगैरह कैसे बनें? कैसे नहर आगे बढ़े? तो इस लिखा-पढ़ी में समय लगता है जिसका कि माननीय गेंदासिंह जी को अनुभव है, माननीय प्रताप सिंह को अभी नहीं है उनकी उम्र कम है लेकिन गेंदा सिंह जी की उम्र अधिक है उनको अनुभव है कि ऐसे कामों में वक्त लगता है। सरकार कभी-कभी काम में दीदोदानिश्ता विलम्ब नहीं करती, हम भी समझते हैं कि ऐसी चीजें जल्दी तैयार हों और प्रदेश की जनता का कल्याण हो, यह तो आपकी सरकार का कभी ख्याल नहीं हो सकता कि हम अपने सूबे को लाभ न पहुंचायें। हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, अगर दिक्कतें आती हैं तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें वक्त लगता है और देरी हो जाती है...

**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—इसीलिये बिरला को....

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—छोटे आदमी से आपको क्या मतलब आपको तो बिरला, सिंहानिया याद हैं। आप जपिये बिरला को जैसे भगवान को जपते हैं हम तो नहीं जपते। आप एक सुमरनी लेकर हमेशा बिरला पदमपत को जपिये। किसी चीज को बार-बार कहने से अहमियत बढ़ती नहीं कम हो जाती है। बहुत छोटी बात है।

हमारे कई मित्रों ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया और कहा कि बड़ी-बड़ी स्कीमों के बजाय छोटी-छोटी स्कीमें रखी जायं, माननीय दुबे जी ने और श्री गेंदा सिंह जी ने और दूसरे मित्रों ने यह बात कही। उनके द्वारा देरी भी न होगी, काम भी चलने लगेगा और पैसा भी उन पर कम व्यय होगा, यह कहा गया। बात ठीक है।

(श्री मोतीलाल अवस्थी के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

मास्टर लोग ही अगर इन्टरप्ट करने लगें तो बड़ी दिक्कत है, मैं तो सब से सुनता रहता हूं इन्टरप्ट नहीं करता लेकिन वह हमेशा ऐसी कोशिश किया करते हैं। जो इस तरह की छोटी स्कीमों की बात सरकार के सामने है मेसनरी वल्स की तकावी देने की जहां तक बात है वह दी जाती है।

सन् १९५८–५९ में ४,५५६ नलकूप बनाये गये और तकावी देकर के इधर भी सन् १९५९–६० में प्लानिंग विभाग ने ४,४९७ के लिये अलाटमेंट किया है। हमारे ध्यान में यह चीज पहले से है और हम इसकी जरूरत और अहमियत को समझते हैं। यह बात माननीय सदस्यों ने ठीक कही और उसी राय पर हम पहले से चल रहे हैं लेकिन पूरे तौर पर हम उसे अभी सेचुरेट नहीं कर सके हैं। हर काम में समय लगता है। हम एक कदम में तो पहुंच नहीं सकते लेकिन उस दिशा में बराबर कदम बढ़ा रहे हैं, हजारों मेसनरी वेल्स बनवाये गये हैं, पैसा खर्च किया जा रहा है, तकावी दे रहे हैं, इसी से समझना चाहिये कि हम उस रास्ते पर हैं और बहुत जल्द आगे भी पहुंच सकते हैं।

और बहुत सी बातें कही गईं, रिलीफ की बात भी कही गई। यह सर्वविदित है कि जब-जब कोई ऐसी परेशानी आती है तो सरकार भरसक हमेशा रिलीफ देने की चेष्टा करती है, लगान में माफी करती है, मुल्तवी करती है और तकावी देती है, टेस्ट वर्क भी खोलती है। जब-जब ऐसे मौके आते हैं सरकार हमेशा ऐसे काम करती है, हमारे श्री पब्बरराम जी ने कहा कि आज ही टेस्ट वर्क शुरू कर दिये जायं, फौरन से पेश्तर बड़ी ऊंची आवाज में कहा। ऊंची आवाज से बोलने में आर्ग्यूमेन्ट में कोई ज्यादा फोर्स नहीं हो जाता। जो बात साधारण तौर से कही जाती है उसमें भी उतना ही फोर्स होता है, बल्कि ज्यादा होता है। माननीय गेंदासिंह ने बड़ी सावधानी से बात कही, उसका मेरे ऊपर असर हुआ। लेकिन पब्बरराम जी ने जो बात जोर से कही उसका मेरे ऊपर असर नहीं हुआ।

मान लीजिये कि खूब पानी बरसता और अच्छी फसल होती तो क्या आज फसल तैयार हो जाती ? जिस वक्त इसका सवाल आएगा, अपनी सरकार को आप पीछे नहीं पाएंगे। जरूरत होगी तो टेस्ट वर्क भी खोले जाएंगे तकावी भी दी जाएगी, माफी भी होंगी। लेकिन पहले कोई बात कहना मुनासिब नहीं है। हमारे पब्बरराम जी ने बड़े जोर से कहा ताकि अखबार में पढ़ने से लोग जान जायं। उन्होंने चैलेन्ज भी किया कि वोटर्स आपको अब की बार नहीं भेजेंगे। आप यह खयाली पुलाव पकाते रहिए। जब मौका आएगा तब देखा जायगा। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता। यह हमारे और आपके वश की बात नहीं है जनता हमें ठीक समझेगी तो हमें रिटर्न करेगी और आपको ठीक समझेगी तो आपको रिटर्न करेगी। लिहाजा इस तरह चैलेन्ज करना नामुनासिब बात है। यह चैलेन्ज का मौका नहीं है। यह ऐसा मसला है जिस पर बहुत सावधानी के साथ विचार करना है। तमाम सूबे के रहने वालों का सवाल है।

एक शिकायत यह भी की गई है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंन्ट से पूरी सहायता इस वक्त नहीं मिल रही है। पांच-सात रोज से मैं परेशान था। मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि मनुष्य होने के नाते, कांग्रेस का एक छोटा-मोटा सेवक होने के नाते, इस प्रदेश का एक छोटा-मोटा नागरिक होने के नाते जिसकी जिन्दगी का काफी हिस्सा जन सेवा में खर्च हुआ हो, उस नाते से भी मैं परेशान था पानी की कमी को देखकर। मैंने इर्रीगेशन डिपार्टमेंट से सम्पर्क स्थापित किया और यह कहा कि जहां तक हो टु दि बेस्ट आफ दि कैपेसिटी जो सहायता दे सकते हों, देने की कोशिश की जाय। मेरी इत्तला है कि १ सितम्बर से तमाम कैनाल्स खोले गये और शिड्यूल के मुताबिक सब चल रहे हैं। ट्यूबवेल्स जो वर्किंग आर्डर में थे, सब चल रहे हैं। मेरे पास जो इत्तला आई है और मैं समझता हूं कि गलत इत्तला भेजने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता, उसमें बमुकाबले लास्ट ईयर के इस वक्त जो खरीफ में सिंचाई की गई है वह करीब तीन लाख एकड़ फाजिल है। मैं कहता हूं कि इससे और भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जितना आपका प्रबन्ध मौजूद है अगर उस प्रबन्ध में हम कोताही करें, उससे पूरा लाभ उठाने में कोताही करें तब तो जरूर मुजरिम हैं, लेकिन अगर भरसक प्रयत्न करते हैं और जो साधन उपलब्ध हैं उनसे जिस हद तक जा सकते हैं वहां तक गये हैं तब तो मुजरिम नहीं हैं।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे मित्र वर्मा जी ने फैजाबाद के बारे में कुछ बातें कहीं। (व्यवधान) जो कोतह अंदेश है उनको कोताही दिखाई पड़ती है। हमारे मित्र ने फैजाबाद के बारे में कहा और जिलाधीश के एक बयान की ओर संकेत किया। मैं समझता हूं माननीय मदनमोहन वर्मा जी भी वहीं के सदस्य हैं और मेरा खयाल है उन्होंने उनसे संबंध स्थापित किया होगा गलत कम्युनीक निकलने के बाद और आशा करता हूं उनसे संपर्क स्थापित करने के बाद अगर कोई गड़बड़ी रही होगी तो ठीक हो गई होगी और अगर सम्पर्क स्थापित नहीं किया तो मुझे अफसोस है। लेकिन मेरे पास जो इत्तला आयी है वह यह है कि फैजाबाद जिले में जून के महीने में ४०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हुई, जुलाई में ४५,००० एकड़ की सिंचाई हुई और अगस्त में ४८,००० एकड़ की सिंचाई हुई है। इस तरह से मैं देखता हूं पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा सिंचाई हुई है, तिगुनी हुई है। तो यह कहना कि वहां काम नहीं होता है मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, मैं यह भी नहीं कह सकता कि हमारे मित्र गलत कहते हैं। लेकिन मैं खोज करूंगा कि आया जो आंकड़े हमारे पास आये हैं वह ठीक हैं या हमारे मित्रों की बातें सही हैं।

हमारे मित्र पद्माकरलाल जी शायद चले गये लिहाजा क्या कहूं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि लगान की वसूली डंडे मार कर हो रही है यह सही नहीं है। कानूनी तरीके से भले ही वसूल होती हो लेकिन यह बात सही नहीं और जब कभी कोई बहुत स्पेसिफिक केस हमारे पास आ जाता है कि इस तरह से डंडा किसी के मारा गया तो उसकी पूरी जांच-पड़ताल करता हूं और साबित हो जाने पर मुनासिब कार्यवाही की जाती है।

जहां तक माननीय गोविन्दसिंह जी का सवाल है उन्होंने कुछ व्यंगात्मक ढंग से कई बातें कहीं। मुझे वह तरीका आता नहीं है। जब तक कि उस लेविल पर न उतर जायं तब तक उनका माकूल जबाब नहीं दिया जा सकता। और मैं वहां जाना नहीं चाहता। हमारे लिये और क्या जरूरी है सिवाय इसके कि उनकी बातों को इग्नोर किया जाय क्योंकि उसमें कोई लाजवाब बात नहीं है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--आप तो हाजिर जवाब हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, हूं लेकिन नीचे उतर कर नहीं देना चाहता। मैं फिर कहता हूं कि जो नक्शा है यह मुसल्लमा है। जैसा शुरू में मैंने कहा कि बारिश की हमारे यहां कमी है, जो बारिश है वह देर से शुरू हुई, अखंड हुई, गवर्नमेंट हाउस पर बरसता है हजरतगंज में नहीं बरसता है। बीकानेर में बरसता है, खुजराहों में नहीं बरसता, एक खेत में बरसता है और दूसरे खेत में नहीं बरसता, ऐसे भी वाकयात हुए हैं। तो हम इसे संतोषजनक बारिश तो नहीं कह सकते और यह जो एक घटना हो गयी है इसका हमको और आपको मुकाबला करना है। अगर हम हाथ-पांव ढीले करके बैठ जायं तो इस जनता की, हमारे देश व प्रदेश की परेशानी दूर नहीं होती, हमको खड़े होकर इसका मुकाबला करना है। जितने हमारे आपके पास साधन हैं उनको अच्छी तरह से प्रयोग करके जितना फायदा उठा सकें उठाने की कोशिश करें।

हम यह भी चाहते हैं कि जब-जब ऐसे संकट आते हैं तो सब से बड़ा अस्त्र जो है इन संकटों का मुकाबला करने के लिये वह साहस होता है। अगर आदमी हिम्मत हार जाता है तो अन्य साधनों के होते हुए भी वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा हमारा आपका कर्त्तव्य है कि हम और आप सब मिल कर प्रदेश के रहने वाले भाइयों का साहस न तोड़ें और ऐसे वाकयात पेश न करें प्रोपोगेंडा के लिहाज से जिससे लोगों के साहस में ह्रास हो और वे पस्त हिम्मत होकर बैठ जायं। कुछ मित्रों ने ऐसा खाका खींचा है जिससे मेरी हिम्मत भी पस्त होना शुरू हो गयी थी लेकिन मैंने अपने आपको रोका। ऐसा खाका नहीं खींचना चाहिये। क्योंकि यह जो नक्शा चन्द भाइयों ने खींचा है वह कुछ एग्जजरेटेड है और जो हमारे पास

इत्तलायें हैं उनसे नक्शा इतना खराब नहीं है जैसा कि खींचा गया है । लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, दिक्कतें हैं और उनमें हम दरगुजर नहीं कर सकते और जिस तरह से होगा उनका मुकाबला करेंगे ।

ड्रेनेज के बारे में भी यहां जिक्र किया गया । कहीं पर खुश्की है तो कहीं पर अधिक बारिश हो जाने से फसल को नुकसान पहुंचा है । वहां ड्रेनेज का सवाल पैदा हो जाता है । पारसाल भी माननीय सदस्यों को याद होगा पश्चिमी जिलों में अधिक वर्षा हुई थी जो कि उन जिलों के लिये एक नयी बात थी और वहां वाटर लागिंग का प्रश्न बहुत जोरों पर था। उस सिलसिले में तब से आपकी सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हैं और बना कर काफी रुपया उन पर व्यय किया है । बजट में रुपया प्रोवाइड भी किया और सेकिंड प्लान में भी रखा है और कुछ योजनायें हमारी कार्यान्वित भी हुई हैं । तो वह भी मसला हमारे सामने है । उसे हमने नजरन्दाज नहीं किया है ।

जहां तक कि उन अजला का ताल्लुक है जहां पर कि नार्मल या नार्मल से कुछ ऊपर पानी बरसा है वहां तो प्रश्न इतना जटिल हो नहीं सकता क्योंकि एबनार्मल पानी वहां बरसा नहीं। वहां इतना जरूर हो सकता है मानसून देर से शुरू होने से बुवाई देर से हुई हो लेकिन फसलों को नुकसान वहां इतना ज्यादा नहीं हो सकता ।

मेरे मित्र आचार्य दीपंकर जी ने मेरठ के बारे में एक नक्शा खींचा और बड़ा दुखद नक्शा खींचा । लेकिन मेरा ऐसा खयाल नहीं है और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के बारे में भी उन्होंने एक नक्शा खींचा । सहारनपुर में ज्यादा पानी जरूर बरसा लेकिन इतना पानी नहीं बरसा कि जितना नुकसान आचार्य जी बतला रहे हैं, उतना नुकसान हुआ हो । कुछ भले ही नुकसान हो गया हो लेकिन धान कुछ ज्यादा पानी बरदाश्त भी कर सकते हैं, मकई और बाजरा नहीं बरदाश्त कर सकते हैं । तो इन जिलों के बारे में हमारी परेशानियां कम हैं लेकिन इसके माने यह नहीं कि मेरी तवज्जह उधर नहीं है । लेकिन जो पश्चिमी जिले हैं वहां की हालत पूर्वी जिलों से बिल्कुल भिन्न है । वहां गन्ने की खेती ज्यादा होती है और वह नहर के कमांड एरिया में आता है इसलिये वहां मैं समझता हूं कि ज्यादा हानि नहीं । इसके अलावा वहां मिलेट, बाजरा, ज्वार, मेज आदि पैदा होता है जिसके लिये जिस क्रम से वहां पानी बरसा है उन टुकड़ों को जाने दीजिये जहां पानी कतई नहीं बरसा, वहां तो अवश्य हानि हुई होगी वह मेज वगैरह के लिये बहुत अच्छा है और भगवान की दया से इन दिनों में जो पानी बरस गया है उससे आशा की जाती है कि वहां ज्यादा हानि नहीं होगी क्योंकि वहां धान की फसल कम होती है ।

**एक सदस्य**—दुआ दीजिये ।

**श्री हुकुमसिंह विसेन**—दुआ ब्राह्मण की लगती है सिंह की कहां लगती है, न आपकी लगेगी न मेरी लगेगी, लेकिन हमारी दिली इच्छा है कि पानी पूर्वी जिलों में भी और पश्चिमी जिलों में भी खूब बरसे और पूर्वी जिलों में हमारी जिला भी शामिल है, तो इसमें मेरी थोड़ी बहुत खुदगरजी भी है । यह मुझे सुबह इत्तला मिली कि जो अभी हाल में बारिश हुई वह वाराणसी और फैजाबाद डिवीजन में भी हुई और गोरखपुर और अलीगढ़ में भी हुई । हां, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, यहां पानी की कुछ कमी है । तो यहां की परिस्थिति का हमको और आपको मुकाबला करना है और हम अपने साथियों से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि वे हमको सहयोग दें और जो लोग परेशान हैं उनका साहस कायम करने में हमारी मदद करें ताकि साहस के साथ हम और वे मिल कर इस मौजूदा परिस्थिति का मौजूदा अवस्था में मुकाबला कर सकें ।

**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—यह जानना चाहता हूं कि सूखा की स्थिति को मंत्री भी स्वीकार करते हैं, तो क्या इस समय सिंचाई के साधन २४ घंटे इस्तेमाल किये जायं इसके लिये सरकार ने कोई आदेश दिया है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पानी की कमी जरूर है और जरूरत है कि सिंचाई हो । तो इरीगेशन डिपार्टमेन्ट को आर्डर दे दिया गया है कि :ु दि बेस्ट आफ देयर कैपेसिटी वे अपनी नहरों और ट्यूबवेल्स को चालू रखें ।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) आप प्रश्न पूछ सकते हैं भाषण नहीं कर सकते ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्यों ? क्या नियम है ?

श्री उपाध्यक्ष---आप खुद नियम बता दें ।

श्री राजनारायण---कोई प्रस्ताव तो है नहीं । यह तो अपोजीशन ने मांग की थी और यह मालूम होना चाहिये आपको और आपके द्वारा सदन को कि उस मांग में हम किसी से पीछे नहीं हैं । हम अभी तक बोल नहीं पाये । हम भी खड़े थे, हमको भी बुला लिया गया होता । हम अपना दुःख नहीं कह पाये । जब दस मिनट का समय बाकी है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको भी समय दीजिये, हम बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---दिक्कत यह हुई कि माननीय मंत्री जी····

श्री राजनारायण---तो क्या हर्ज है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसलिये कि वे दो मर्तबा बोल चुके हैं ।

श्री राजनारायण---यह कोई बिल तो है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---बिल नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री जी दो बार बोल चुके हैं । अब उनके बाद किसी को बोलने का मौका न मिलेगा ।

श्री राजनारायण---आप देख लीजिये । माननीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि मुझे १५ मिनट का समय देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---आप खड़े नहीं हुए ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये जिससे गड़बड़ी हो । मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष---दिक्कत यह है कि जब वाद-विवाद हो रहा था उस समय आप खड़े नहीं हुए ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, ज्यों ही मैं आधा खड़ा हुआ कि आपने मंत्री जी को बुला लिया । क्या मैं उनसे लड़ाई करता अगर कोई विधेयक होता तब तो उनके आखिरी भाषण की बात होती । लेकिन मैं समझता था कि यह हमारी तरफ से मांग है और अभी समय बाकी है तो हम बोल सकते हैं ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---श्रीमन्, मुझे मालूम हुआ था कि कुछ देर पहले माननीय राजनारायण जी ने यह कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा । हमारी तरफ से दूसरे सज्जन बोलेंगे तो ऐसी दशा में जब समय समाप्त हो रहा है तो उनको आज्ञा न दी जाय ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आपके नये नेता जी से निवेदन कर दूं कि मैंने यह नहीं कहा था कि मैं नहीं बोलूंगा । मैंने कहा था कि मैं बोलना नहीं चाहता था । बहुत सी जानकारी हमारे साथी उग्रसेन जी को हो सकती है । अवस्थी जी बोलेंगे, वर्मा जी बोलेंगे और अगर जरूरत होगी तो मैं भी बोलूंगा । अभी समय बाकी है तो सदन का समय नष्ट क्यों हो ? किस नियम के मुताबिक मैं नहीं बोल सकता ?

श्री उपाध्यक्ष--मेरे पास कौंसिल से एक संदेश आया है उसे सदन के सामने रखना हैं अगर आप एक दो प्रश्न रखना चाहते हों तो मैं इजाजत दे दूंगा ।

श्री राजनारायण--मैं आपकी व्यवस्था से सहमत नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है ।

श्री राजनारायण--मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के जो पूर्वी जिलों के लिये नहर के रेट ढाई आने, तीन आने और दो आने है और उसी के साथ-साथ जो नलकूप के रेट गंगा ग्रिड में ८० रुपये प्रति हार्स पावर, शारदा ग्रिड में १०० रुपये और सोहावल में ११३ रुपये प्रति हार्स पावर है यह विषमता है जिससे सिंचाई में दिक्कत होती है । इसको दूर करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो सूखा के लिये हम पानी दे रहे हैं पेमेंट का सवाल बाद को देखा जायगा ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार को मालूम है कि रिहन्द बांध में १५० रुपये किलोवाट की दर से बिजली अल्यूमीनियम फैक्ट्री को दी जा रही है और किसानों को जो दी जाती है उसकी दर १,००० रुपये प्रति किलोवाट से भी ज्यादा पड़ती है तो सरकार इस समय जब कि किसान मर रहे हैं, जब उनके बदन पर कपड़ा नहीं है, जब उनकी हड्डियां सूख रही है, जब लोग भूखे मर रहे हैं तो सरकार ऐसी स्थिति में उनके लिये सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त में करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसन--श्रीमन्, अभी तो रिहन्द बांध में बिजली नहीं फिर कब्लअज वक्त यह बावेला ।

श्री राजनारायण--मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो नलकूपों की योजना बनाई है उसके संबंध में यह कि हर नलकूप का एक कमांड एरिया होता है । लेकिन वह उसको कवर नहीं कर पा रहा है । अगर कमांड एरिया एक हजार एकड़ है तो वह मुश्किल से २५० -३०० एकड़ ही कवर कर पाता है । जो क्षेत्र नहीं सींचा जाता है तो उसके लिये जो कुयें खोदने की तथा उन पर रहट लगाने की योजना बनाई थी, क्या सरकार उसकी व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--श्रीमन्, मैसोनरी वेल्स के लिये हम तकावी देते हैं ।

## उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--अब मैं विधान परिषद को एक सूचना देता हूं जो सचिव ने भेजी है । वह यह है कि मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ सितम्बर, १९५९ की बैठक में न्याय मंत्री का यह संकल्प स्वीकार कर लिया कि सन् १९५९ ई० का उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय, परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उक्त प्रवर समिति पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्वाचित किया--

१--श्री पृथ्वी नाथ
२--श्री लल्लू राम द्विवेदी
३--श्री राम कुमार शास्त्री
४--श्री वंशोधर शुक्ल
५--श्रीमती विद्यावती राठौर
६--श्री महाराज सिंह भारती
७--श्री नौरंग सिंह
८--श्री जय बहादुर सिंह ।

**न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित सदस्य ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के सदस्य नियुक्त किये जायं ---

१---डाक्टर विशम्बर सिंह ।
२---श्रीमती विद्यावती वाजपेयी।
३---श्री केशव पांडेय ।
४---श्री सोहनलाल धुसिया ।
५---श्री रामेश्वरप्रसाद ।
६---श्री राममूर्ति ।
७---श्री रऊफ़ जाफ़री ।
८---श्री महावीरप्रसाद शुक्ल ।
९---श्री अवधेशचन्द्र ।
१०---श्री जगपतिसिंह ।
११---श्री राजदेव उपाध्याय ।
१२---श्री गेंदासिंह ।
१३---श्री मलखानसिंह ।
१४---श्री हरदयालसिंह ।
१५---श्री भीखालाल ।
१६---श्री भूपकिशोर ।

**श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)**---मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और हाउस के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंटरी पद्धति को यहां सही रूप देने के लिए जो स्टैंडिंग कमेटियां हम बनायें उनमें एक नान-आफिशल चेयरमैन हो । इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से हाउस ने पिछली बार जिला परिषद के लिये कमेटी बनायी उसके चेयरमैन उपाध्यक्ष महोदय को बनाया था, उसी प्रकार मैं इसमें माननीय राम नारायण त्रिपाठी का नाम प्रस्तुत करता हूं , जिनका नाम इस में नहीं है । मुझे उम्मीद है कि हाउस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

**श्री उपाध्यक्ष**---(माल मंत्री के खड़े होने पर )परिषद् ने अपने नाम भेज दिये हैं। आपने १६ नाम रख दिये । उन्होंने एक नाम और रख दिया है । अब आपस में समझौते की बात है । अब सदन में १७ नाम प्रस्तुत हो गये ।

**श्री हुकुमसिंह बिसेन**---एक नाम बढ़ जायगा और हम अपने कम करना नहीं चाहते ।

**श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)**---मैं समझता हूं कि प्रतापसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह उचित है और मेरा अपना विचार यह है कि जितने नाम अभी तक इसमें बताये गये हैं ये करीब करीब सब पार्टियों से लिये गये हैं । मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष जी को भी इस कमेटी में रखना चाहिए और अच्छा यह होगा कि एक नयी परम्परा कायम की जाय कि उपाध्यक्ष महोदय को हाउस के रिप्रिजेंटेटिव की तरह से रखा जाय । तभी सदन की जो भावना है वह पूरी तौर से तुष्ट हो पायेगी ।

**श्री राजनारायण**--मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां नामों के संबंध में विवाद है और मैं भी चाहता हूं कि जो नाम पेश किये गये हैं उनकी लिस्ट हमें मिले। हम हर नाम पर एक एक दूसरा नाम पेश करना चाहते हैं। तब तक के लिए यह मामला स्थगित हो क्योंकि सवा चार बज रहे हैं, जब नामों की लिस्ट मिल जाय और मैं सब सदस्यों की योग्यता समझ लूं।

**श्री उपाध्यक्ष**--नाम तो आपने सुन लिये।

**श्री राजनारायण**--मुझे याद नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**--यह प्रश्न।

**श्री राजनारायण**--यह प्रश्न मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा कि सर्वप्रथम यह प्रश्न हमने रखा था। आपको यह भी मालूम होगा कि हमने अपने दल की ओर से एक आदमी का नाम हटा कर वहाँ पर उपाध्यक्ष का नाम रखा था। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जब कोई ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी बने तो उसका चेयरमैन सरकारी पक्ष का न हो। उसका चेयरमैन गैर सरकारी पक्ष का हो। लेकिन इस संबंध में यहां जो नुक्ते नजर पेश किया गया उससे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। वह गैर सरकारी सदस्य केवल उपाध्यक्ष ही नहीं हो सकते हैं। अगर सदन इसको मंजूर कर ले तो गैर सरकारी सदस्य कोई भी हो सकता है जो सरकारी पक्ष का न हो। जैसे इसके जानकार माननीय गेंदासिंह जी है, वह हमारे अधिष्ठाता के रूप में यहां बैठते हैं जरा सुन लीजिए.....

**श्री उपाध्यक्ष**--चूंकि यह विषय अभी बिचाराधीन है इसलिए मैं अपने विशेषाधिकार से जो १५ मिनट का समय और मिलता है उसमें से जितना आवश्यक होगा इस विषय के लिए उतना दे दूंगा।

**श्री राजनारायण**--इसमें विशेषाधिकार कहां पर आता है? यह तो समय सवा चार बजे का हाउस ने स्पेशल रिजोलूशन से तय किया था जयप्रकाश जी का भाषण सुनने के लिये, तो जिस मकसद की पूर्ति के लिए वह रिजोल्यूशन रखा गया था वह मकसद ही खत्म हो जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष**--आप अपनी बात कहिए। मैं तो आपको बोलने का समय दे रहा हूं। जहां तक चैयरमैन की बात है नियमावली के मुताबिक स्पीकर चैयरमैन को नामजद करेंगे। आपको अगर कोई नाम पेश करना हो तो कर सकते हैं।

**श्री राजनारायण**--मैं इनकी शंका का समाधान कर रहा हूं, अपने मित्र प्रतापसिंह जी को। उपाध्यक्ष महोदय ही हों, यह कोई जरूरी नहीं है। कोई भी गैर सरकारी सदस्य होना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ यह किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि चूंकि हमने उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव रखा था इसलिए हम यह कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी को समझना चाहिए। हमारा मकसद केवल यह है कि खेती के संबंध में इस सदन में ऐसे लोग हैं जो कि उसकी ज्यादा जानकारी रखते हैं, इसलिए उनके सभापतित्व में संयुक्त प्रवर समिति यदि काम करेगी तो ज्यादा अच्छी प्रकार से काम कर पायेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक गैर सरकारी सदस्य उसका चेयरमैन हो और वह गैर सरकारी सदस्य ऐसा हो कि यहां पर हम लोग उसका नाम तय कर दें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरी बात एक मिनट आप सुन लें। राजस्व मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि इस समय एक उसूल की बात सामने आ गई है। हम यह देख रहे हैं कि इधर के सभी लोगों का यह आग्रह है कि डिप्टी स्पीकर साहब को सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन होने का अवसर दिया जाय और इस बिल के महत्व को देखते हुए मैं यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि इस सेलेक्ट कमेटी की सदारत माननीय माल मंत्री जी को नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड मैं और चाहता हूं। यहां जरूर कुछ दिक्कत हो सकती है सलाह मशविरा करने में तो मैं समझता हूं कि अभी कल तो हाउस बैठ ही रहा है तो इसे कल तक के लिए मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कल तक के लिए इसे मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छी बात है।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
९ सितम्बर, १९५९।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५७ पर )

Copy of Appointment (B) Department G. O. no. 3219/II-B—178/-958, dated October 13, 1958, from the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, to All Heads of Departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh and copy endorsed to all Departments of Secretariat.

---

*Subject* : **Procedure to be followed in disciplinary proceedings against government servants**

---

I am directed to say that numerous cases of disciplinary proceedings against government servants have come to the notice of Government in which major punishments of dismissal, removal or reduction in rank were inflicted but the order of punishment had to be set aside in appeal, revision or on representation due to some material defect in the proceedings. As a result, the government servant had to be brought to his original position and in the case of dismissal or removal, had to be reinstated from the date the order of dismissal or removal became effective, and Government thus had to incur heavy expenditure. This state of affairs is mainly due to the fact that the punishing authorities, while dealing with the disciplinary cases do not generally pay adequate attention to the relevant rules and orders on the subject. With a view to put an end to this unsatisfactory state of affairs Government have decided that in future if any officer/official is found responsible for any irregularity in conducting disciplinary proceedings against a delinquent government servant, he himself will be liable to be dealt with departmentally. It is, therefore, requested that wherever any appeal is examined and allowed by you, wholly or partly, it should be ascertained whether the punishing authority had observed the prescribed procedures. If it is found that the punishing authority was grossly careless in following the prescribed procedure, necessary departmental action may be taken against him and suitable punishment awarded. The maximum punishment in such cases may amount to the recovery from the pay of the officer/official concerned of the whole or part of the amount which Government may have to pay to the reinstated government servant in the shape of arrears. Lesser penalties of censure, stoppage of increment, etc. can also, in the alternative, be imposed by the punishing authority at its direction.

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६४ पर)

श्रीमान जिलाधीश महोदय,
देहरादून ।

श्रीमान जी,

सादर उपचार के अनन्तर निवेदन है कि ऋषिकेश म्युनिसिपल बोर्ड में इस समय अध्यक्ष-महोदय श्री हीरा लाल अग्रवाल के समेत कुल १७ सदस्य हैं इनमें से निम्नहस्ताक्षरी ७ सदस्य आपका ध्यान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवैधानिक प्रक्रियाओं की ओर दिलाते हैं जो अध्यक्ष महोदय श्री हीरा लाल के द्वारा जानबूझ कर की गई हैं ताकि आप चाहें तो आप स्वयं इनके संबंध में जांच पड़ताल करके समुचित कार्यवाही कर सकें हमारी यह भी प्रार्थना है कि इस विषय की कार्यवाही तुरन्त ही होनी चाहिये क्योंकि अध्यक्ष महोदय अपने स्वभाव के अनुसार आये दिन नई से नई अवैधानिक क्रियायें करने में किसी प्रकार का संकोच या हिचकिचाहट नहीं करते ।

पटियाला सरकार की मिलकियत ऋषिकेश स्थित जायदाद जिन्दाबादाड़ और नामा क्षेत्र को सम्मिलित रूप से खरीदने के लिये अध्यक्ष महोदय पटियाला सरकार के साथ २ वर्ष हुए ७०,००० रु० में सौदा कर चुके हैं संपूर्ण मूल्य ७०,००० रु० की मोटी धनराशि वह पटियाला सरकार को दे चुके हैं । संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर चुकने के २ वर्ष बाद तक भी पटियाला सरकार उक्त जायदाद का कब्जा देने में अपने को असमर्थ पा रही है म्युनिसिपल बोर्ड ऋषिकेश अपने ता० ३०-४-५९, २८-२-५९, ६-४-५९, के अधिवेशनों में सर्वसम्मति से बार बार तकाजा कर चुका है कि संपूर्ण रुपया फौरन वापिस लिया जावे लेकिन अध्यक्ष महोदय बार बार यह प्रस्ताव बोर्ड के आगे ला रहे हैं कि ३५,००० रु० में नामा क्षेत्र ले लिया जावे और जिन्दाबादाड़ छोड़ दिया जावे यद्यपि नामा क्षेत्र जिन्दाबादाड़ का चतुर्थ अंश भी नहीं है म्यु० बोर्ड के प्रायः समस्त सदस्यों का यह मत है कि नवीन सौदा हमें मंजूर नहीं है और पुराने सौदे को पटियाला सरकार पूरा नहीं कर सकी फलतः सूद समेत यह सब रुपया म्यूनिसिपल बोर्ड ऋषिकेश के पास आना चाहिए ।

ऋषिकेश नगरपालिका के उपनियम और नियम के पृष्ठ १२२ की पंक्ति १४, १६ में बोर्ड की बैठक दिनांक १६-११-४६ ई० के प्रस्ताव नं० १७ की प्रतिलिपि मुद्रित है कि चेयरमैन साहब १०० रु० तक एक मद पर खर्च करने की मंजूरी दे सकते हैं । परन्तु अध्यक्ष महोदय ने बिना ही बोर्ड की स्वीकृति के १७,५०० रु० में ऋषिकेश में एक और जायदाद खड़ी कर ली और संपूर्ण मूल्य १७,५०० रु० देकर रजिस्ट्री भी ता० २७-१-५९ को करा ली और इस सब बात की सूचना तक भी २५-२-५९ तक बोर्ड को नहीं दी फलतः बोर्ड ने इस सौदे की मंजूरी देने से इनकार कर दिया और अध्यक्ष महोदय को कहा कि वह इस रुपये को बोर्ड के कोष में दाखिल करे यह बोर्ड का निर्णय प्रायः सर्वसम्मति से हुआ था लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इस पर कोई अमल नहीं किया, देखिये कार्यवाही २५-२-५९ ।

३--लगभग २३,००० बोरी सीमेंट १९५७ से बोर्ड के पास खरीदा पड़ा है जो सड़कों के बनवाने के लिये खरीद किया गया था इन ३ वर्षों में सड़कों के बनवाने के लिये कार्य भी हाथ में नहीं लिया गया इसका फल यह हुआ तीन बरसात निकल जाने के कारण सब सीमेन्ट निकम्मा हो चुका है बोर्ड का विचार है कि इस नुकसान की जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय पर है इस कुल सीमेन्ट का मूल्य लगभग १६,००० रु० आंका गया है जो अब काम में नहीं आ सकता सड़कों के न बनाने से नागरिक भी सुख से बंचित रहे और रुपया भी किसी काम न आया इस कार्यवाही से नागरिकों की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग ही हुआ, देखिये बोर्ड का प्र० सं० ९ ता० ५-५-५९ ।

४--बिना बोर्ड की स्वीकृति के अध्यक्ष महोदय ने लगभग ५५० रु० की अदायगी बिजली सामान के खरीदने के निमित्त की जिससे बोर्ड ने पीछे स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, देखिये बोर्ड की कार्यवाही ता० ६-४-५९ ।

५--इसी प्रकार ३४६ रु० की अदायगी करने के चिरकाल के बाद बोर्ड से स्वीकृति मांगी गई जो बोर्ड ने देने से इनकार कर दिया देखिये बोर्ड की कार्यवाही ६-५-५९ ।

६--२,१०० रु० की सिक्योरिटी को २ ठेकेदारों की सम्मिलित रूप से बोर्ड के पास में पड़ी थी अध्यक्ष महोदय ने दोनों सम्मिलित प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षरों के बिना ही केवल १ ही प्रार्थना पर समुचित सिक्यूरिटी वापस की दूसरी ठेकेदार की अपनी स्वतंत्र सिक्योरिटी कई बार प्रार्थना करने पर भी वापिस नहीं की ।

७--जनरल बोर्ड ने दिनांक १२-१२-५८ को प्रं० सं० ११ को निर्णय किया था कि १ माली की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु अध्यक्ष महोदय ने निर्णण की अवहेलना ही नहीं की अपितु उल्लंघन कर दिया क्योंकि उसमें पूरा टाइम का एक माली अपनी स्वतंत्र इच्छा से रख लिया ।

८--म्युनिसिपल बोर्ड को १ ओवरसियर की अनिवार्य रूपेण आवश्यकता थी उसके लिये अखबारों में भी बिज्ञापन निकाले गये प्रार्थना पत्र भी अनेक आये उनमें से कई प्रार्थी अनुभवी और योग्य भी थे परन्तु उनमें से कोई रखा नहीं गया । अध्यक्ष महोदय ने रखलिया एक वर्क्स सुपरवाइजर जिसकी पोस्ट का अभी सृजन नहीं किया गया था यह कोई धांधली और स्वेच्छाचारिता नहीं तो और क्या ? हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ऋषिकेश के नागरिकों के वर्तमान अध्यक्ष महोदय श्री हीरा लाल अग्रवाल के हाथों में सुरक्षित नहीं हैं ।

१९-५-५९

हम हैं आप के शुभ चिन्तक ,
ऋषिकेश म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य ।

उत्तराखण्ड पदुआ

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे ६६५ पृष्ठ पर)

## सूची

| क्रम-संख्या | मद जिसके अन्तर्गत ब्याज की धनराशि अदा की गई | ब्याज की धनराशि | |
|---|---|---|---|
| | | रु० | नये पैसे |
| १ | सीमेंट कंक्रीट लीडर रोड का निर्माण .. | १०० | ५८ |
| २ | कटरा कर्नलगंज नाला का बढ़ाव .. | ६७ | ०२ |
| ३ | सलेज प्रोजेक्ट गंदे पानी का निकास .. | १,२६६ | ८४ |
| ४ | ग्रांड ट्रंक रोड के एक भाग का निर्माण .. | ७१४ | ४९ |
| ५ | कटरा कर्नलगंज नाला का फैलाव .. | ४२८ | ५२ |
| ६ | ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन पंप न० ११ में बिजली की फिटिंग | ४९ | ३१ |
| ७ | *३०, ३१, ३२, ३३, ३५, ३७, ४० ऋणों का संकलन | ६८,८९१ | ३२ |
| ८ | वाटर वर्क्स के हेतु भिन्न भिन्न मीटर के भाग का मूल्य | ३,०९७ | ६१ |
| ९ | सिवेज युटीलाइजेशन स्कीम .. | २८,०८२ | ६४ |
| १० | मेहतरों के लिये क्वार्टर निर्माण .. | २,००४ | ५६ |
| ११ | बैराहना टैगोर टाउन नाला निर्माण योजना .. | ३५,७२० | ५५ |
| १२ | कालरा अस्पताल का निर्माण .. | ९,२५३ | ७० |
| १३ | ट्रक एवं ट्रैक्टर खरीदने हेतु ऋण .. | १,२८७ | २१ |
| १४ | बोर्ड के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के हेतु गृह निर्माण | २,६४९ | २५ |
| १५ | जल वितरण योजना .. | १२,५०० | ०० |
| १६ | नाला निर्माण योजना .. .. | ७,५०० | ०० |
| १७ | जल वितरण योजना .. .. | ७३,८७१ | १५ |
| १८ | नाला निर्माण योजना .. .. | ७३,८७१ | १५ |

*मद ७ के अन्तर्गत जो ब्याज की धनराशि दी गई है वह ७ भिन्न भिन्न ऋणों के अन्तर्गत देय ब्याज की धनराशि का संकलन है। यह ब्याज की धनराशि सरकार द्वारा दिये गये निम्नलिखित ऋणों के अन्तर्गत अदा की गई है:—

१—खुसरूबाग में ४था पंप लगाने हेतु

२—जी० टी० रोड से दारागंज तक १० इंच के फीडर मेन (Feeder Main) के निर्माण हेतु।

३—द्वितीय पुनर्संगठन भाग ४ के लिये प्रस्तावित स्वच्छ जल रिजर्वायर (Clear Water Reservoir)

४—खुसरूबाग में स्थित फिलटर्ड पंप (Filtered Pump) के बदलने के लिये।

५—इलाहाबाद वाटर वर्क्स (Water works) में लेबोरेटरी (Laboratory) स्थापित करने के लिये।

६—खुसरूबाग और करैलाबाग में ४ था पंप लगवाने हेतु।

७—इलाहाबाद वाटर वर्क्स के द्वितीय पुर्नसंगठन योजना (II Reorganization Scheme) के लिये।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६८ एल० ए०—१९५९—८४५।